PERFECT 7
साप्ताहिक
समसामयिकी

अगस्त-2019 | अंक-3

जलवायु परिवर्तन और भूमि

आईपीसीसी की विशेष रिपोर्ट

- राज्य से केन्द्रशासित प्रदेश की ओर : जम्मू कश्मीर के विशेष संदर्भ में
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 : एक अवलोकन
- हागकांग पर चीन का बढ़ता हस्तक्षेप
- ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी और उसका प्रभाव
- क्षेत्रीय भाषाओं का विलुप्तिकरण : संरक्षण एवं संवर्द्धन की आवश्यकता
- मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम : भ्रष्टाचार पर बढ़ता सिकंजा

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

फिर लहराया परचम

पिछले वर्ष हमने बुलंदियां छुई
और इस वर्ष बनाए कुछ नए कीर्तिमान

2017 में 120+ सफलताओं के बाद UPSC-2018 में भी 122+ चयन

AIR 1 KANISHAK KATARIA

AIR 3 JUNAID AHMED

ADMISSIONS OPEN FOR NEW SESSION 2019-20

MUKHERJEE NAGAR (DELHI)
सामान्य अध्ययन
Pre-cum-Mains
19 AUG | 2:30 PM

LUCKNOW (ALIGANJ)
सामान्य अध्ययन
Pre-cum-Mains
19 AUG | 8:30 AM

LUCKNOW (GOMTI NAGAR)
सामान्य अध्ययन
Pre-cum-Mains
19 AUG | 8:30 AM
IAS WEEKEND BATCH
17 AUG | 5:30 PM

LAXMI NAGAR (DELHI)
सामान्य अध्ययन
IAS REGULAR BATCH
13 AUG | 10:30 AM
IAS WEEKEND BATCH
17 AUG | 11 AM
PCS BATCH
13 AUG | 7:30 AM
UP PCS TARGET FOR PRE
22 AUG | 6 PM

PRAYAGRAJ (ALLAHABAD)
सामान्य अध्ययन
Pre-cum-Mains
1 SEP | 5:30 PM
Focus Pre Batch
19 AUG | 5:30 PM

LIVE STREAMING
सामान्य अध्ययन
IAS REGULAR BATCH
13 AUG | 10:30 AM
IAS WEEKEND BATCH
17 AUG | 11 AM
PCS BATCH
13 AUG | 7:30 AM

COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES
TARGET 2020
18th AUGUST 2019
TOTAL 37 TESTS

वैकल्पिक विषय
- समाजशास्त्र
- इतिहास
- भूगोल
- राजनीति विज्ञान
- हिन्दी साहित्य

Face to Face Centres
DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068 , **LUCKNOW (ALIGANJ)** 0522-4025825 | 9506256789, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres
BIHAR : PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621| **GUJRAT** : AHMEDABAD - 9879113469| **HARYANA** : HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADYA PRADESH** : GWALIOR -9993135886, 9893481642 , JABALPUR - 8982082023, 8982082030, REWA – 9926207755, 7662408099| **MAHARASHTRA** : MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB** : PATIALA - 9041030070 , LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN** : JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND** : HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH** : ALIGARH – 9837877879, 9412175550 , AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962 , LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221 , VARANASI - 7408098888

FOR DETAILS VISIT US ON WWW.DHYEYAIAS.COM OR CALL ON 011 49274400

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

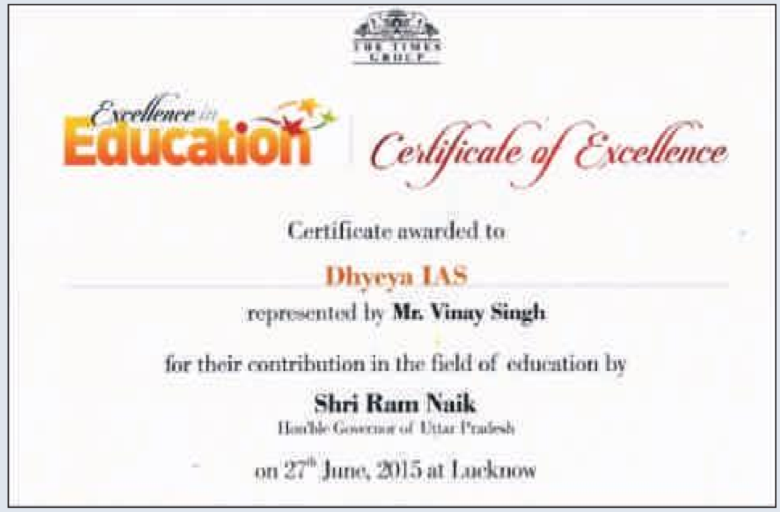

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण

Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

अगस्त-2019 | अंक-3

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन, अवनीश पाण्डेय, शशिधर मिश्रा

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार, बाघेन्द्र प्रताप सिंह

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम, जीवन ज्योति

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार, सचिन कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल, तरून कनौजिया

लेख सहयोग
रजनी तिवारी, मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव, आयुषी जैन,
प्रीति मिश्रा, आदेश, अंकित मिश्रा, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार, राजू यादव, शुभम,
अरूण त्रिपाठी, चंदन

Content Office
DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- जलवायु परिवर्तन और भूमि : आईपीसीसी की विशेष रिपोर्ट
- राज्य से केन्द्रशासित प्रदेश की ओर : जम्मू कश्मीर के विशेष संदर्भ में
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 : एक अवलोकन
- हागकांग पर चीन का बढ़ता हस्तक्षेप
- ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी और उसका प्रभाव
- क्षेत्रीय भाषाओं का विलुप्तिकरण : संरक्षण एवं संवर्द्धन की आवश्यकता
- मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम : भ्रष्टाचार पर बढ़ता सिकंजा

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. जलवायु परिवर्तन और भूमि : आईपीसीसी की विशेष रिपोर्ट

चर्चा का कारण

हाल ही में इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) के विशेषज्ञों ने 'जलवायु परिवर्तन और भूमि' (Climate Change and Land) के विषय पर एक नई रिपोर्ट पेश करते हुए यह बताया है कि भूमि की उर्वरक शक्ति प्रभावित होने से विश्व के सामने खाद्य संकट उत्पन्न होने का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पृथ्वी पर लगभग एक चौथाई बर्फ मुक्त भूमि को नुकसान पहुँचा है। आईपीसीसी की रिपोर्ट 2018 में कहा गया था कि हमारे पास केवल 2030 तक का समय है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) विनाशकारी साबित होगा।

पृष्ठभूमि

जलवायु परिवर्तन पर अंतर्सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि के प्रति इंसानी दृष्टिकोण ने जलवायु संतुलन को कम करने का काम किया है। हालांकि वानिकी लंबे समय से कार्बन सिंक बनाने पर ध्यान दे रही है, लेकिन खाद्य वस्तुओं की खपत, कृषि की आधुनिक प्रणाली और मरुस्थलीकरण ने जलवायु परिवर्तन को बढ़ाया है। आईपीसीसी की यह रिपोर्ट 8 अगस्त 2019 को जारी की गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आबादी बढ़ने, खान पान की आदतों में बदलाव, आय में वृद्धि से 2050 तक कार्बन उत्सर्जन में 30 से 40 फीसदी की वृद्धि हो सकती है।

इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1961 के मुकाबले प्रति व्यक्ति कैलोरी में 33 फीसदी की खपत बढ़ी है, इसके बावजूद 82 करोड़ लोग अभी भी कुपोषित हैं। फिर भी वर्तमान में कुल खाद्य उत्पादन का 25 से 30 फीसदी हिस्सा बर्बाद किया जा रहा है, जो सीधे-सीधे जलवायु को नुकसान पहुँचा रहा है।

आईपीसीसी की रिपोर्ट

पहली बार ऐसा हुआ है कि आईपीसीसी, जिसका काम जलवायु परिवर्तन विज्ञान के बारे में वैज्ञानिक साहित्य (Scientific literature) का आकलन करना है, ने अपना ध्यान पूरी तरह से भूमि क्षेत्र पर केन्द्रित किया है। वर्ष 2018 में, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर अंतर्सरकारी पैनल (IPCC) ने कहा था कि 2030 तक पृथ्वी के औसत तापमान में पूर्व-औद्योगिक स्तरों से ऊपर 1.5 डिग्री सेल्सियस की औसत वृद्धि होगी, जिससे अत्यधिक सूखे, जंगलों में आग, बाढ़ और करोड़ों लोगों के लिए खाद्यान्न की कमी का खतरा बढ़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन के विशिष्ट पहलुओं की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए सरकारों द्वारा इन रिपोर्टों की माँग की गयी थी।

इस रिपोर्ट में वैश्विक तापन (Global warming) के लिए भूमि संबंधी गतिविधियों के योगदान के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से भूमि पर होने वाले विभिन्न प्रकार की गतिविधियों ने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ाया है, उदाहरण के लिए- कृषि, उद्योग, वानिकी, पशुपालन और शहरीकरण। इस रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि खाद्य उत्पादन जैसी गतिविधियाँ न केवल वैश्विक तापन में योगदान देती हैं बल्कि इससे प्रभावित भी होती हैं।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्पादन पूर्व (pre-production) की गतिविधियाँ, जैसे- पशुपालन और उत्पादन बाद (post-production) की गतिविधियाँ, जैसे- परिवहन, ऊर्जा और खाद्य प्रसंस्करण को यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो खाद्य उत्पादन प्रत्येक वर्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 37 प्रतिशत का योगदान देता है। गौरतलब है कि उत्पादित सभी खाद्य पदार्थों का लगभग 25 प्रतिशत या तो नष्ट हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। साथ ही कचरे के अपघटन से भी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है।

इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) के द्वारा जलवायु परितर्वन संबंधी मुद्दे पर आए बड़े निष्कर्ष के लगभग एक साल बाद ये चेतावनी आई है।

दूसरी आईपीसीसी रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन और भूमि क्षरण के दुष्चक्र को उजागर करती है।

आईपीसीसी के एक अधिकारी ने कहा कि 'हम मनुष्य 70% से अधिक बर्फ मुक्त भूमि को प्रभावित करते हैं, इस भूमि का एक चौथाई हिस्सा खराब हो जाता है, जिस तरह से हम भोजन का उत्पादन करते हैं और जो खाते हैं वह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान और जैव विविधता के ह्रास में भूमिका निभाता है। जलवायु परिवर्तन से सूखे, बाढ़ और गर्मी की लहरों की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ जाती है, जो अपरिवर्तनीय रूप से प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों को नष्ट कर सकता है और खाद्यान्न संकट को जन्म दे सकते हैं।

इस रिपोर्ट के कुछ प्रमुख बिंदु

दक्षिण अमेरिका का आकार छोटा होना: यहाँ रासायनिक उर्वरकों, वनों की कटाई और गहन खेती की वजह से पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों में कमी आनी शुरू हो गई है। इस नुकसान प्रक्रिया में, दक्षिण अमेरिका का आकार में दो अरब हेक्टेयर भूमि को नुकसान पहुँचा है।

फूड वेस्ट और मांसाहार पर रोक लगाने की जरूरत: आईपीसीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हम वैश्विक उत्सर्जन को कम करना चाहते हैं तो फूड वेस्ट और मांस की खपत को कम करना होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग में दोनों का बड़ा योगदान है। फूड वेस्ट 8-10% और 14.5% के बीच वैश्विक उत्सर्जन करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्पादित सभी खाद्य पदार्थों का 25-30% कभी नहीं खाया जाता है, जबकि दुनिया भर में 821 मिलियन लोग अल्पपोषित हैं।

प्राकृतिक कार्बन सिंक को बहाल करने की जरूरत: वन और वेटलैंड्स महत्वपूर्ण कार्बन सिंक हैं, लेकिन इंसानी गतिविधियों से ये बहुत कम हो गए हैं। आईपीसीसी ने चेतावनी दी है कि मानव कार्यों के आधार पर कार्बन की अत्यधिक उपयोग करने की उनकी क्षमता की वजह से ये समस्या बनी रह सकती हैं।

जलवायु परिवर्तन से खाद्य सुरक्षा को खतरा: भोजन प्रणाली जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है साथ ही जलवायु परिवर्तन से ये खुद भी प्रभावित होता है।

जलवायु परिवर्तन चरम मौसम की घटनाओं की बारंबारता और तीव्रता को बढ़ाता है, जैसे कि सूखा और बाढ़, जो फसलों और महत्वपूर्ण कृषि अवसंरचना को नष्ट करते हैं।

बायो एनर्जी समाधन नहीं: आईपीसीसी ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर वैश्विक तापमान रखने पर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (बीईसीसीएस) जैसी तकनीकों का उपयोग करके वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने की जरूरत होगी। लेकिन अपनी नई रिपोर्ट में, आईपीसीसी ने कहा कि बड़े पैमाने पर इस तकनीक को जल्दी ही हटाना होगा।

वर्तमान परिदृश्य

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) का अनुमान है कि लगभग 4.4 गीगाटन खाने की वस्तुएँ खराब की गई, जो 2011 में कुल कार्बन उत्सर्जन का 8 फीसदी था। साथ ही खाने-पीने की आदत में बदलाव करके 1.8 से 3.4 गीगाटन कार्बन डाईऑक्साइड सालाना कम किया जा सकता है।

खानपान पर बहस अकसर शाकाहारी और मांस की खपत या विभिन्न धर्मों के आधार पर होती है, लेकिन आईपीसीसी ने अपील की है कि इसे आस्था, संस्कृति या धर्म के आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिए बल्कि मोटे अनाज, फल और सब्जियाँ, नट और बीज तक पहुँच बढ़ाना और मांस की वजह से होने वाले कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा। साथ ही, खाने को बर्बाद होने से बचाने की सख्त जरूरत है। इसके लिए सप्लाई चेन प्रबंधन को सुदृढ़ कर लाखों डॉलर की बचत की जा सकती है।

आईपीसीसी ने स्पष्ट किया है कि आधुनिक कृषि प्रणाली ने भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दिया है। इससे नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यह एक ऐसी ग्रीनहाउस गैस है, जो कार्बन डाईऑक्साइड के मुकाबले 300 गुणा अधिक नुकसानदायक है। 1961 के मुकाबले अब जमीन से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग दोगुना वृद्धि हो चुकी है, जो हर साल लगभग 3 मेगाटन कृषि भूमि की मिट्टी में मिल रहा है। आईपीसीसी ने मिट्टी में खराब नाइट्रोजन के इस्तेमाल की ओर इशारा किया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में सुधार करने के नाम पर जिन तकनीकों का सहारा लिया गया, उससे हालात सुधरने की बजाय बिगड़े हैं, खासकर उससे जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ा है। रिपोर्ट में विकासशील देशों में छोटी जोत को कृषि क्षेत्र के लिए चुनौती बताया गया है।

आईपीसीसी क्या है

आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन के आकलन के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा वर्ष 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। वर्तमान में विश्व के 195 देश इसके सदस्य हैं। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के समूह कार्य करते हैं साथ ही वे जलवायु परिवर्तन का नियमित आकलन करते हैं। प्रत्येक 5-6 वर्ष उपरांत आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

प्रमुख कारण

वनों की कटाई और अव्यवस्थित कृषि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। वनों की कटाई और अव्यवस्थित कृषि प्रणाली वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने और ग्रीनहाउस गैसों की विशाल मात्रा में उत्सर्जन करने की भूमि की क्षमता को कमजोर करती है। गौरतलब है कि जब भूमि का क्षरण होता है, तो यह कार्बन को ग्रहण करने की मिट्टी की क्षमता को कम कर देती है और यह जलवायु परिवर्तन को बढ़ा देती है। जलवायु परिवर्तन कई अलग-अलग तरीकों से भूमि क्षरण को बढ़ावा देता है। आज के दौर में 500 मिलियन लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो मरुस्थलीकरण से प्रभावित हैं।

वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु संकट को रोकने के लिए हमें तुरंत भूमि को प्रबंधित करने, भोजन बनाने और कम मांस खाने पर जोर देना होगा। आईपीसीसी रिपोर्ट में नुकसान को दूर करने के लिए प्रमुख अवसर बताए गए हैं। कृषि भूमि पर वृक्षारोपण करना, एग्रोफॉरेस्ट्री, बेहतर मिट्टी प्रबंधन और फूड वेस्ट को कम करना बेहतर समाधान हैं जो भूमि उत्पादकता को बढ़ावा दे सकते हैं और उत्सर्जन को कम कर सकते हैं।

वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वैश्विक खाद्य उत्पादन प्रणाली का 16 से 27 प्रतिशत योगदान हो सकता है। यदि इसमें परिवहन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कारकों को शामिल कर लिया जाय तो यह 27 प्रतिशत से बढ़कर 37 प्रतिशत तक हो सकता है। तापमान में वैश्विक वृद्धि सभी ग्रहों की तुलना में पृथ्वी पर सबसे तेजी से हुई है। भूमि पर इस अतिरिक्त वैश्विक तापन से गर्मी से संबंधित घटनाओं की आवृत्ति, तीव्रता और अवधि में वृद्धि हो सकती है।

भूमि और जलवायु परिवर्तन

भूमि का उपयोग और भूमि के उपयोग में आने वाले परिवर्तन हमेशा से जलवायु परिवर्तन संबंधी बातचीत का अभिन्न हिस्सा रहा है, क्योंकि भूमि कृषि, संबंधी गतिविधियों के साथ-साथ कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती है। उदाहरणस्वरूप, कृषि और पशुपालन मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का एक प्रमुख स्रोत है। दोनों ही गैस ग्रीनहाउस गैस के रूप में कार्बन डाईऑक्साइड की तुलना में सैकडों गुना अधिक खतरनाक हैं।

हालांकि मिट्टी, पेड़, वृक्षारोपण और वन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में कमी आती है।

गौरतलब है कि बड़े पैमाने पर भूमि के उपयोग में परिवर्तन होने से जैसा कि वनों की कटाई अथवा शहरीकरण या यहाँ तक कि फसल के पैटर्न में बदलाव से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

भूमि, महासागर और वन

कार्बन चक्र में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से भूमि और महासागर प्रत्येक वर्ष लगभग 50 प्रतिशत ग्रीनहाउस गैसों को अवशोषित करते हैं। कार्बन सिंक के रूप में भूमि और महासागर का काफी महत्त्व है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए वनीकरण और वनों की कटाई में कमी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जलवायु परिवर्तन पर भारत की कार्य योजना, वनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। भारत सरकार का कहना है कि वह अपने वनों को बढ़ाकर और अधिक पेड़ लगाकर वर्ष 2032

तक लगभग 2.5 बिलियन से 3 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाएगा।

आगे की राह

आईपीसीसी रिपोर्ट किसी भी नीति के लिए निर्देश नहीं पेश करता है। वे कार्रवाई के सर्वोत्तम पाठ्यक्रम की सिफारिश भी नहीं करते हैं। इसके बजाय, वे केवल भिन्न-भिन्न देशों द्वारा विभिन्न धारणाओं के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संभावित मार्ग प्रदान करते हैं। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2050 तक कृषि और पशुधन गतिविधियों से प्रति वर्ष 2.3 और 9.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड से बचना संभव हो पाएगा। इसी प्रकार लोगों की आदतों में बदलाव लाकर वर्ष 2050 तक प्रत्येक वर्ष 8 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर बचना संभव हो पाएगा।

खाद्य अपव्यय में कमी, सतत कृषि प्रथाओं और आहार वरीयताओं के स्थानांतरण जैसे उपायों में पौधे आधारित भोजन को शामिल कर खाद्य सुरक्षा को संकट में डाले बगैर उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। वास्तव में यह मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में लाभकारी होगा।

गौरतलब है कि आईपीसीसी रिपोर्ट ने जो सख्त चेतावनी दी है, उसके पश्चात वैश्विक स्तर पर लोगों की जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि जलवायु परिवर्तन से बचाव संभव हो सके। साथ ही जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौते की राह में जो भी बाधाएँ हैं, उन्हें दूर करने की आवश्यकता है और सभी देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकनी होगी। हालाँकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का ही नतीजा है कि जल संकट पर काबू पाना अपेक्षाकृत मुश्किल प्रतीत हो रहा है जिससे कि विकट भविष्य में लगभग 27 करोड़ लोगों को इस समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है, इसलिए समय रहते ही वैश्विक स्तर पर कुछ ठोस पहल किए जाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

2. राज्य से केन्द्रशासित प्रदेश की ओर : जम्मू कश्मीर के विशेष संदर्भ में

चर्चा का कारण

संसद के दोनों सदनों में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पास होने के बाद जिसपर राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसके परिणामस्वरूप अब जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बाँट दिया गया है। सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने का कारण सुरक्षा और सामरिक आधार पर उसकी विशेष स्थिति को बताया है। अब देश में 7 की जगह 9 केंद्रशासित प्रदेश हो गए हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि भारत में जो 9 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए हैं, उनके क्या कारण हैं?

परिचय

संघ राज्य क्षेत्र: मूल संविधान के अंतर्गत भारत में चार प्रकार के राज्यों यथा-A, B, C तथा D का गठन किया गया था। 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से 7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 पारित किया गया। इस संशोधन द्वारा राज्यों के उक्त चार वर्गों को समाप्त कर दिया गया तथा उन्हें दो वर्गों-(1) राज्य (State), (2) संघ राज्य (The Union Territories) में रखा गया। वर्तमान में भारतीय संघ के तहत कुल 28 राज्य तथा 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए हैं।

संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख संविधान के भाग-8 में अनुच्छेद 239-242 के अन्तर्गत किया गया है। इसमें अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति अपने अभिकर्त्ता के रूप में एक प्रशासक (Administrator) की नियुक्ति करता है, जो राष्ट्रपति द्वारा विशेष (Specified) पदनाम (designations) से जाना जाता है। विभिन्न संघ शासित राज्यों के प्रशासकों के पदनाम भिन्न-भिन्न हैं। जैसे-दिल्ली, पुदुचेरी और अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल (Lieutenant Governor), चण्डीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner) कहा जाता है। शेष संघ राज्यों में प्रशासक होते हैं। उल्लेखनीय है कि पंजाब राज्य का राज्यपाल ही चण्डीगढ़ का प्रशासक होता है। दादर और नागर हवेली का प्रशासक दमन एवं दीव का भी कार्य देखता है, वहीं लक्षद्वीप का अलग प्रशासक होता है।

केंद्रशासित प्रदेश के गठन के कारण

केंद्रशासित प्रदेश या संघ-राज्यक्षेत्र या संघक्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक इकाई हैं। भारत में केंद्रशासित प्रदेश क्यों बनाए गए इसके पीछे की वजह भी खास है जैसे, छोटा आकार और कम जनसंख्या, अलग संस्कृति, अन्य राज्यों से दूरी, प्रशासनिक महत्व, स्थानीय संस्कृतियों की सुरक्षा करना, शासन के मामलों से संबंधित राजनीतिक उथल-पुथल को दूर करना और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति आदि। जिन्हें निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझ सकते हैं-

प्रशासनिक ढाँचा: भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्रशासित प्रदेशों में सीधे-सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत के राष्ट्रपति हर केंद्रशासित प्रदेश का एक 'सरकारी प्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर)' या 'उप-राज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर)' नामित करते हैं। केंद्रशासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति इन्हीं प्रशासक या उप-राज्यपाल के जरिए करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कोई भी काम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं, इसलिए इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि केंद्रशासित प्रदेश पर केंद्र सरकार का ही शासन चलता है।

केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभा और मंत्रिपरिषद हो भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन इन दोनों के अधिकार बहुत सीमित होते हैं और कुछ ही मामले में इनको अधिकार होते हैं। इन विधानसभाओं के जरिए पारित विधेयक को भी राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ती है और कुछ खास कानून बनाने के लिए तो इन्हें केंद्र सरकार से अग्रिम स्वीकृति लेनी पड़ती है अत: कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण इन क्षेत्र को किसी राज्य का हिस्सा नहीं बनाकर सीधे केंद्र सरकार के अधीन रखा जाता है।

भौगोलिक कारण: ये कानूनी तौर पर तो भारत का हिस्सा होते हैं लेकिन प्रायः भारत के मुख्य भूभाग (Main Land) से बहुत दूर होते हैं, इसलिए किसी पड़ोसी राज्य का हिस्सा नहीं बन सकते और जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के हिसाब से इतने छोटे होते हैं कि उन्हें अलग राज्य का दर्जा देना मुश्किल होता है। इसलिए उन्हें केंद्रशासित प्रदेश बना दिया जाता है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इसके उदाहरण हैं।

लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह हमारे देश के बहुत दूर पश्चिम और पूर्व छोर पर स्थित हैं और वे मुख्य क्षेत्र से काफी दूर हैं, इसलिए केंद्र सरकार के जरिए उन्हें सीधे नियंत्रित करना आसान होता है क्योंकि वे भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं और किसी भी आपातकालीन स्थिति में भारत सरकार सीधे वहाँ कार्यवाही कर सकती है। इसी प्रकार भारत में सभी केंद्रशासित प्रदेशों का आकार इतना बड़ा नहीं है कि उन्हें एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सके। दिल्ली के अलावा अन्य केंद्रशासित प्रदेशों में बहुत कम आबादी है और एक राज्य की तुलना में इन संघ राज्यों का क्षेत्रफल भी बहुत कम है, इसलिए विधानसभा का गठन और उसके लिए मंत्रिपरिषद बनाने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

सांस्कृतिक कारण: सांस्कृतिक कारणों से भी केंद्रशासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। कई बार किसी जगह की खास सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए उन्हें केंद्रशासित प्रदेश बना दिया जाता है, उदाहरणस्वरूप दमन व दीव, दादर व नागर हवेली और पुदुचेरी।

दरअसल यहाँ लंबे समय तक यूरोपीय देशों पुर्तगाल (दमन व दीव, दादर व नागर हवेली) और फ्रांस (पुदुचेरी) का राज रहा था। इसलिए यहाँ की संस्कृति उनसे मेल खाती है और इसलिए इनकी सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने के लिए इन्हें किसी राज्य के साथ ना मिलाकर केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। पुदुचेरी की एक और खास बात ये है कि इसके चार जिले अलग-अलग राज्यों से मिलते हैं। माहे केरल के पास, यनम आंध्र प्रदेश के पास और पुदुचेरी व कराईकल तमिलनाडु के पास स्थित हैं। ऐसे में सबसे बेहतर यही था कि उन्हें एक केंद्रशासित प्रदेश बनाकर रखा जाए।

राजनैतिक कारण: राजनैतिक और प्रशासनिक कारणों से भी केंद्रशासित प्रदेश बनाये जाते हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ इसके उदाहरण हैं। भारत में नई दिल्ली को किसी राज्य से अलग उसी प्रकार रखा गया है, जैसे- संयुक्त राज्य अमरीका में राजधानी वाशिंगटन डीसी को रखा गया है। 1956 से 1991 तक नई दिल्ली भी केंद्रशासित प्रदेश ही था लेकिन 1991 में 69वें संविधान संशोधन से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (NCT) का दर्जा प्राप्त हुआ है और दिल्ली में भी पुदुचेरी की तरह मंत्रिमंडल व मुख्यमंत्री की व्यवस्था है। यहाँ भी उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है जो केंद्र सरकार करती है और उपराज्यपाल व मंत्रिमंडल के सामंजस्य से यह प्रदेश चलता है।

संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन

- राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है और जहाँ कोई राज्यपाल इस प्रकार प्रशासक नियुक्त किया जाता है, वहाँ वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद् से स्वतंत्र रूप में करता है (अनुच्छेद 239)।
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार या विधान सभा द्वारा निर्मित विधि के अनुसार (जिन संघ राज्यों में विधान सभा है) चलाता है। ध्यातव्य है कि जिन संघ राज्यों की अपनी विधान सभा नहीं है, उसके लिए विधि का निर्माण संसद करती है।
- संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मूल संविधान में विधान सभा तथा मंत्रिपरिषद् के लिए प्रावधान नहीं किया गया था, किन्तु संसद को अनुच्छेद-239 के तहत यह शक्ति प्रदान की गयी थी कि वह संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विधि द्वारा कोई अन्य प्रावधान कर सकती है। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम (1962) द्वारा संविधान में अनुच्छेद '239(क)' जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि संसद कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमण्डल या मंत्रिपरिषद् या दोनों का सृजन कर सकती है।
- 1963 में संसद ने एक संसदीय विधि (Parliamentary Law) द्वारा पुदुचेरी में 30 सदस्यीय विधान सभा गठित कर दी।

भारत के केन्द्र शासित प्रदेश

जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर को सुरक्षा और सामरिक आधार पर विशेष स्थिति के कारण केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया है। इसमें दिल्ली की तरह मंत्रिमंडल व मुख्यमंत्री की व्यवस्था रहेगी।

लद्दाख: लद्दाख की सीमा रेखा चीन से मिलती है। इसलिए यह भी सुरक्षा और सामरिक आधार पर विशेष स्थान रखता है। यही वजह है कि लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया है। लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा का प्रावधान नहीं है।

दिल्ली: देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया था। 1956 से 1991 तक नई दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश ही था। 1991 में इसे राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ। यहां पुदुचेरी की तरह मंत्रिमंडल व मुख्यमंत्री की व्यवस्था है।

पुदुचेरी: 1 नवम्बर, 1956 को पुदुचेरी केंद्रशासित प्रदेश बना। यह पहले फ्रांस का उपनिवेश था। सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने के लिए पुदुचेरी को किसी राज्य में नहीं मिलाया गया। पुदुचेरी का विस्तार चार अलग-अलग जगहों पर है जिनके नाम माहे, यनम, कराईकल और पुडुचेरी हैं।

लक्षद्वीप: लक्षद्वीप भी 1 नवम्बर, 1956 को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। यह भी भारत की मुख्य भूमि से बहुत दूर था इसलिए इसे केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा मिला।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1 नवम्बर, 1956 को केंद्रशासित प्रदेश बना। भारत की मुख्य भूमि से बहुत दूर होने के कारण इसे केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया।

अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों के संघीय राज्य होने के दो कारण हैं-

- वे किसी भी राज्य में विलय किए जाने के लिए बहुत दूर हैं।
- उनकी संस्कृति पूरी तरह अलग है इसलिए उन्हें किसी भी राज्य के साथ विलीन करना प्रशासनिक दृष्टि से ठीक नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जारवा जनजाति रहती है जो अभी भी आदिम जिंदगी जी रही है और उनकी संस्कृति से छेड़छाड़ करना भारत सरकार द्वारा अपराध घोषित किया गया है।

दादर और नागर हवेलीः दादर और नागर हवेली 11 अगस्त, 1961 को केंद्रशासित प्रदेश बना। दादर और नागर हवेली पुर्तगाल का उपनिवेश था। सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने के लिए दादर और नागर हवेली को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया।

दमन-दीवः दमन और दीव को 30 मई, 1987 को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। दमन और दीव भी पुर्तगाल का उपनिवेश था। सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने के लिए ही इसे केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है।

चंडीगढ़ः 1 नवंबर, 1966 को हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया। चंडीगढ़ पहले पंजाब का एक हिस्सा था। बाद में पंजाब को विभाजित किया गया और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया लेकिन चंडीगढ़ के प्रशासनिक महत्व के कारण कोई भी राज्य इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। यही वजह थी कि चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया गया था।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

नया राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश बनाने से पहले उन राज्यों की स्थिति का जायजा लिया जाना चाहिए, जो बड़े-बड़े दावों के आधार पर बनाए गए थे। यह आकलन का विषय है कि मूल प्रदेश से अलग होने के बाद लद्दाख क्या उन राज्यों में शामिल होगा जहाँ क्रांतिकारी बदलाव आए? निर्माण के दशकों बाद भी जम्मू-कश्मीर विकास की बाट जोह रहा है। आंकड़ों के आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि यूपी से अलग होने के बाद उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई। आँकड़े जो चाहे कहें, मगर इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस कागजी समृद्धि के पीछे राज्य के विकास की जगह बंटवारे के बाद जनसंख्या में आई औसत कमी का योगदान अधिक है। इन राज्यों की जमीनी हालात में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। इन राज्यों की सरकारों ने न तो सिस्टम में क्रांतिकारी परिवर्तन किया और न ही ऐसी योजनाएं बनायी हैं, जिनसे प्रदेश की जनता की स्थिति में सुधार हो सके। आज भी छत्तीसगढ़ और झारखंड में नक्सली हमले जारी हैं। वहाँ के निवासियों को उन दिक्कतों से निजात नहीं मिली है, जो 2000 से पहले वहाँ थीं। वहाँ आज भी लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क बिजली, पानी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। चाहे पंजाब से अलग हुआ हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश से हुआ उत्तराखंड, ये राज्य आर्थिक मदद के लिए हमेशा दिल्ली की ओर टकटकी लगाए रखते हैं।

सीमावर्ती राज्यों में रह रहे लोग भाषा के आधार पर, विकास के आधार पर अथवा दूरी के आधार पर भारत के कितने नजदीक हैं, यह भी सोचना होगा। क्योंकि भारत के सीमावर्ती और पूर्वोत्तर राज्य देश के विकास और आंतरिक सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत के नीति-निर्माताओं को सर्वप्रथम इन राज्यों की समस्याओं को दूर करना होगा। वहाँ के लोगों के बीच अपने लिए सहानुभूति हासिल करनी होगी और उनमें यह विश्वास पैदा करना होगा कि सही मायने में भारत ही उनका हितैषी है। तभी नए राज्यों के गठन की प्रासंगिकता भी है अन्यथा छोटे-छोटे राज्य शत्रु देशों के हाथों का कब खिलौना बन जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा।

जहाँ तक राजनीतिक स्थिरता की बात है तो नवगठित राज्यों में वह कभी देखने को नहीं मिली। चाहे उत्तराखंड रहा हो या झारखंड। सत्ता का संघर्ष हमेशा विकास पर हावी रहा। पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, गोवा में तो राजनीतिक स्थिरता की बात करना भी बेमानी है। वहाँ पलक झपकते ही सरकारें बदल जाती हैं। नेताओं की निष्ठा दम तोड़ देती हैं और इसका दुष्प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर और वहाँ के विकास पर पड़ता है। विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि और उसके खर्च की जिम्मेदारी लेने के प्रति कोई गंभीर नहीं हो पाता। अगर यह कहा जाए कि पूर्वोत्तर में छोटे राज्यों के गठन का फॉर्मूला सर्वथा विफल हो गया है तो कदाचित गलत नहीं होगा।

आगे की राह

भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के खण्ड 1 के सिवाए अन्य उपबंधों को हटाने और राज्य को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेह-लद्दाख में ऐतिहासिक माना जा रहा है। नेता और धार्मिक संस्थाएँ भी इसका स्वागत कर रही हैं। दरअसल लद्दाख में बहुत सालों से इसकी माँग की जा रही थी। साल 1989 में अलग राज्य बनाए जाने को लेकर यहां आंदोलन भी चला था जिसके आधार पर लद्दाख को स्वायत्त हिल डेवलपमेंट काउंसिल मिली थी।

अब तक जम्मू और कश्मीर की ही बात होती है जबकि राज्य के क्षेत्रफल का 68 प्रतिशत हिस्सा लद्दाख का है।

केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को एक अलग पहचान मिलेगी। हालाँकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि वहाँ के लोगों को विश्वास में लिए बगैर केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है, जो भारत के संविधान के आत्मा के विरुद्ध है। परंतु आंतरिक सुरक्षा और पड़ोसी देशों से संबंध मजबूत करने हेतु सरकार के द्वारा उठाया गया यह कदम एक सराहनीय प्रयास है। इसके लिए आवश्यकता है कि सरकार वहाँ के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए और उनमें विश्वास बहाली करने के लिए आधारभूत संरचना जैसे कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित करें ताकि जिस उद्देश्य के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2019 बनाया है, उसकी सार्थकता सिद्ध हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- स्वतंत्रता के पश्चात् देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ।
- संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

■

3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में संसद ने ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 को अनुमति प्रदान कर दी है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात अब इसने कानून का रुप ले लिया है। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के विवादों के शीघ्र और प्रभावी रूप से समाधान करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करना है। यह विधेयक तीन दशक से भी पुराने 'उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 1986' का स्थान लेगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री ने कहा कि यह अधिनियम उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण की प्रक्रिया को सरल बनाएगा, फलस्वरूप उपभोक्ताओं की शिकायतों का तेजी से समाधान होगा और इससे देशभर में उपभोक्ता अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटारा करने में सहायता मिलेगी।

उपभोक्ता अधिकार

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास की ओर अग्रसर होने के कारण तकनीकी एवं उच्च विशेषता वाले असहज उत्पादों के निर्माण होने से उपभोक्ताओं में उनके उपभोग के लिए सस्ता एवं अच्छा उत्पाद के चुनाव के लिए व्यापक संशय उत्पन्न हो गया है। आधुनिक व्यापारिक तकनीकों और लुभावने विज्ञापनों पर विश्वास कर लोग वस्तु की खरीद तो करते हैं परन्तु यह उनके उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है। उपभोक्ताओं के हितों की देखरेख के लिए संगठनों के अभाव होने से यह समस्या और भी जटिल हो जाती है। इसी परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए संस्थागत प्रणाली की शुरूआत विभिन्न देशों में की गई जिन्हें उपभोक्ता अधिकार कहा जाता है।

इतिहास

उपभोक्ता अर्थात क्रेता के अधिकारों के संरक्षण की परम्परा समाज के विकास के साथ ही विकसित हुई है। कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' में भी क्रेता के अधिकारों तथा विक्रेता की लोभी प्रवृत्ति का उल्लेख मिलता है। उपभोक्ता के संरक्षण से संबंधित आधुनिक आंदोलन, जिसे उपभोक्ता आंदोलन भी कहा जाता है, की शुरूआत 15 मार्च, 1962 को अमेरिका से हुई। इस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने उपभोक्ता के अधिकारों को 'बिल ऑफ राइट्स' में सम्मिलित करने की घोषणा के साथ-साथ 'उपभोक्ता सुरक्षा आयोग' के गठन की घोषणा की थी। इसी उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।

अमेरिका द्वारा की गयी इस पहल से प्रेरित होकर 1973 में ब्रिटेन में भी व्यापार संबंधी अधिनियम लागू किया गया। अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स में शामिल उपभोक्ता अधिकार सूचना, सुरक्षा, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार तथा स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार शामिल कर इसे और सशक्त बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए कई दिशा-निर्देश भी जारी किए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस प्रयास के बाद अमेरिका, यूरोप तथा विश्व के अन्य विकसित एवं विकासशील देशों में उपभोक्ता के संरक्षण की दिशा में व्यापक रूप से जागरूकता आयी।

1966 में जेआरडी टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की मुंबई में स्थापना की गई और इसकी शाखाएँ कुछ अन्य प्रमुख शहरों में भी स्थापित की गईं और हम यह कह सकते हैं कि यहीं से भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरूआत हुई। इसके बाद स्वयंसेवी संगठन के रूप में ग्राहक पंचायत की स्थापना बी.एम. जोशी द्वारा 1974 में पुणे में की गई। अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थाओं का गठन हुआ। इस प्रकार उपभोक्ता आन्दोलन आगे बढ़ता रहा। 24 दिसम्बर, 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देशभर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम में बाद में 1993 व 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इन व्यापक संशोधनों के बाद यह एक सरल व सुगम अधिनियम हो गया है। इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों का पालन न किए जाने पर धारा 27 के अधीन कारावास व दण्ड तथा धारा 25 के अधीन कुर्की का प्रावधान किया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की मुख्य विशेषताएँ

उपभोक्ता की परिभाषा: उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है या कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेलीशॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरिए किया जाने वाला सभी तरह का ऑफलाइन या ऑनलाइन लेनदेन शामिल है।

उपभोक्ताओं के अधिकार: बिल में उपभोक्ताओं के छह अधिकारों को स्पष्ट किया गया है जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं : (i) ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा जो जीवन और संपत्ति के लिए जोखिमपरक हैं, (ii) वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी प्राप्त होना, (iii) प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्यों पर वस्तु और सेवा उपलब्ध होने का आश्वासन प्राप्त होना, (iv) अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में मुआवजे की माँग करना।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण: केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनका संरक्षण करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) का गठन करेगी। यह प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करेगा। महानिदेशक की अध्यक्षता में सीसीपीए की एक अन्वेषण शाखा (इन्वेस्टिगेशन विंग) होगी, जो ऐसे उल्लंघनों की जांच या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है।

सीसीपीए के कार्यः (i) उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जाँच और उपयुक्त मंच पर कानूनी कार्यवाही शुरू करना, (ii) जोखिमपरक वस्तुओं को रीकॉल या सेवाओं को वापस करने के लिए आदेश जारी करना,चुकाई गई कीमत की भरपाई करना और अनुचित व्यापार को बंद कराना, (iii) संबंधित ट्रेडर/मैन्यूफैक्चरर/एन्डोर्सर/एडवरटाइजर/पब्लिशर को झूठे या भ्रामक विज्ञापन को बंद करने या उसे सुधारने का आदेश जारी करना, (iv) जुर्माना लगाना (v) खतरनाक और असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं को सेफ्टी नोटिस जारी करना।

उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन: जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर 'उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशनों' (सीडीआरसी) का गठन किया जाएगा। एक उपभोक्ता निम्नलिखित के संबंध में आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है: (i) अनुचित और प्रतिबंधित तरीके का व्यापार, (ii) दोषपूर्ण वस्तु या सेवाएँ, (iii) अधिक कीमत वसूलना या गलत तरीके से कीमत वसूलना, (iv) ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को बिक्री के लिए पेश करना, जो जीवन और सुरक्षा के लिए जोखिमपरक हो सकती हैं। अनुचित कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ शिकायत केवल राज्य और राष्ट्रीय सीडीआरसी में फाइल की जा सकती हैं। जिला सीडीआरसी के आदेश के खिलाफ राज्य सीडीआरसी में सुनवाई की जाएगी। राज्य सीडीआरसी के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय सीडीआरसी में सुनवाई की जाएगी। अंतिम अपील का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होगा।

सीडीआरसी का क्षेत्राधिकार: जिला सीडीआरसी उन शिकायतों के मामलों को सुनेगा, जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक न हो। राज्य सीडीआरसी उन शिकायतों के मामले में सुनवाई करेगा, जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक हो, लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक न हो। 10 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत की वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित शिकायतें राष्ट्रीय सीडीआरसी द्वारा सुनी जाएंगी।

उत्पाद की जिम्मेदारी (प्रोडक्ट लायबिलिटी): उत्पाद की जिम्मेदारी का अर्थ है, उत्पाद के विनिर्माता, सेवा प्रदाता या विक्रेता की जिम्मेदारी। यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह किसी खराब वस्तु या दोषी सेवा के कारण होने वाले नुकसान या चोट के लिए उपभोक्ता को मुआवजा दे। मुआवजे का दावा करने के लिए उपभोक्ता को बिल में स्पष्ट खराबी या दोष से जुड़ी कम से कम एक शर्त को साबित करना होगा।

अनुचित कॉन्ट्रैक्ट: एक कॉन्ट्रैक्ट अनुचित है, अगर इससे उपभोक्ता के अधिकारों में कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक परिवर्तन होता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) बहुत अधिक सिक्योरिटी डिपॉजिट की मांग, (ii) कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर ऐसा दंड जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से होने वाले नुकसान के अनुपात में न हो, (iii) अगर उपभोक्ता किसी कर्ज का रीपेमेंट पहले करना चाहे तो इसे लेने से इनकार करना, (iv) बिना किसी उचित कारण के कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करना, (v) बिना उपभोक्ता की सहमति के कॉन्ट्रैक्ट को थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना, जिससे उपभोक्ता का नुकसान होता हो, (vi) ऐसा अनुचित शुल्क या बाध्यता लगाना, जिससे उपभोक्ता का हित प्रभावित होता हो। राज्य एवं राष्ट्रीय आयोग निर्धारित कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें अनुचित हैं और ऐसी शर्तों को अमान्य घोषित कर सकते हैं।

दंड एवं उपचार का प्रावधान

- अगर कोई व्यक्ति जिला, राज्य या राष्ट्रीय आयोगों के आदेशों का पालन नहीं करता तो उसे कम से कम एक महीने और अधिकतम तीन वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है या उस पर कम से कम 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है जिसे एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है या उसे दोनों सजा भुगतनी पड़ सकती है।
- झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिए मैन्यूफैक्चरर या एंडोर्सर पर 10 लाख रुपए तक का दंड लगाया जा सकता है और अधिकतम दो वर्षों का कारावास भी हो सकता है। इसके बाद अपराध करने पर यह जुर्माना बढ़कर 50 लाख रुपए तक हो सकता है और सजा पाँच वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। दोषी को दण्ड और जुर्माने दोनों से दण्डित भी किया जा सकता है।
- सीसीपीए भ्रामक विज्ञापन के एंडोर्सर को एक वर्ष तक की अवधि के लिए किसी विशेष उत्पाद या सेवा को एंडोर्स करने से प्रतिबंधित भी कर सकती है। हर बार अपराध करने पर प्रतिबंध की अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ऐसे कुछ अपवाद भी हैं जब एंडोर्सर को ऐसे किसी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
- सीसीपीए मिलावटी उत्पादों की मैन्यूफैक्चरिंग, बिक्री, स्टोरिंग, वितरण या आयात के लिए भी दंड लगा सकती है। ये दंड निम्नलिखित हैं : (i) अगर उपभोक्ता को क्षति नहीं हुई है तो दंड एक लाख रुपए तक का जुर्माना और छह महीने तक का कारावास हो सकता है, (ii) अगर क्षति पहुँची है तो दंड तीन लाख रुपए तक का जुर्माना और एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है, (iii) अगर गंभीर चोट लगी है तो दंड पाँच लाख रुपए तक का जुर्माना और सात वर्ष तक का कारावास हो सकता है, (iv) मृत्यु की स्थिति में दंड दस लाख रुपए या उससे अधिक का जुर्माना और कम से कम सात वर्ष का कारावास हो सकता है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।
- सीसीपीए नकली वस्तुओं की मैन्यूफैक्चरिंग, बिक्री, स्टोरिंग, वितरण या आयात के लिए भी दंड लगा सकती है। ये दंड निम्नलिखित हैं : (i) अगर क्षति पहुँची है तो दंड तीन लाख रुपए तक का जुर्माना और एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है, (ii) अगर गंभीर चोट लगी है तो दंड पाँच लाख तक का जुर्माना और सात वर्ष तक का कारावास हो सकता है, (iii) मृत्यु की स्थिति में दंड दस लाख रुपए या उससे अधिक का जुर्माना और कम से कम सात वर्ष का कारावास हो सकता है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की संरचना और भूमिका

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 परामर्श निकाय के तौर पर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों (सीपीसी) को स्थापित करता है। ये परिषदें उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण के संबंध में परामर्श देंगी। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय परिषद और राज्य परिषद का नेतृत्व क्रमश: केंद्र और राज्य स्तर के उपभोक्ता मामलों के मंत्री द्वारा किया जाएगा। जिला परिषद का नेतृत्व जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।
- इसके अनुसार, इन निकायों को उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण के संबंध में परामर्श देना चाहिए।

निष्कर्ष

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है जिससे उपभोक्ताओं के संरक्षण की उम्मीद तेज हो गई है। इस विधेयक में परिवर्तन को लेकर काफी पहले से बहस चल रही थी जो अब जाकर पूर्ण हुई है। अब यह अधिनियम नागरिकों के हितों के संरक्षण में अपना सहयोग देगा।

इसके तहत उपभोक्ताओं के शिकायतों की त्वरित गति से सुनवाई होगी जो सरकार की गुड गवर्नेंस के लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगा। इससे खराब गुणवत्ता वाले सामानों का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से भी मुक्ति मिलेगी क्योंकि यह कानून उन पर रोक लगाएगा।

हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि सिर्फ कानून बना देने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो जाता बल्कि आवश्यकता है उस कानून को सही तरीके से लागू करने की, ताकि इसका फायदा देश के हर नागरिक को मिल सके। साथ ही उपभोक्ताओं को जागरूक करने की भी आवश्यकता है ताकि वे इस कानून को जान व समझ सकें और अधिकारों के लिए उपभोक्ता फोरम तक पहुँच सकें। इससे सरकार के स्वस्थ नागरिक व स्वस्थ देश की अवधारणा को साकार किया जा सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

4. हांगकांग पर चीन का बढ़ता हस्तक्षेप

चर्चा का कारण

हाल ही में हांगकांग में हिसंक विरोध प्रदर्शन की स्थिति देखी गई। प्रदर्शनकारी हांगकांग सरकार के प्रत्यर्पण विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इस नए प्रत्यर्पण विधेयक का विरोध करने वालों में कानूनविद्, कारोबारी, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं समेत कई आम लोग भी शामिल है जिनके लिए हांगकांग में कानून का शासन सबसे अहम हैं।

क्या है प्रत्यर्पण विधेयक

इस कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति चीन में अपराध करके हांगकांग में शरण लेता है तो उसे जाँच प्रक्रिया में शामिल होने के लिए वापस चीन भेज दिया जाएगा। हांगकांग सरकार इस मौजूदा कानून में संशोधन के लिए फरवरी में प्रस्ताव लाई थी। इसके अतिरिक्त अगर ये कानून पास हो जाता है तो इससे चीन को उन क्षेत्रों में संदिग्धों को प्रत्यर्पित करने की अनुमति मिल जाएगी, जिनके साथ हांगकांग का समझौता नहीं है। विदित हो कि हांगकांग के मौजूदा प्रत्यर्पण कानून में कई देशों के साथ इसके समझौते नहीं हैं। इसके चलते अगर कोई व्यक्ति अपराध कर हांगकांग वापस आ जाता है तो उसे मामले की सुनवाई के लिए ऐसे देश में प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जिसके साथ इसकी संधि नहीं हुई है। चीन को भी अब तक प्रत्यर्पण संधि से बाहर रखा गया था।

विवाद का कारण

- साल 1997 में जब हांगकांग को चीन के हवाले किया गया था तब बीजिंग ने 'एक देश-दो व्यवस्था' की अवधारणा के तहत कम से कम 2047 तक लोगों की स्वतंत्रता और अपनी कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने की गारंटी दी थी। इसके चलते हांगकांग और चीन के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं हुई। लेकिन नए प्रत्यर्पण विधयेक ने स्वतंत्रता और अपनी कानूनी व्यवस्था के प्रति लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है।
- विधेयक का विरोध करने वाले चीन और हांगकांग को अलग मानते हैं। उनका कहना है कि प्रत्यर्पण विधेयक में किए गए संशोधन हांगकांग की स्वायत्तता को प्रभावित करेंगे।
- गौरतलब है कि हांगकांग में अभी लोकतांत्रिक रूप से सरकार विरोधी प्रदर्शन करने और किसी विचार या मत से असहमति रखने की स्वतंत्रता है, जिसे चीनी सरकार अपनी वैचारिक दर्शन के अनुरूप खत्म करना चाहती है।
- प्रदर्शनकारियों के अनुसार, प्रत्यर्पण संशोधन उन्हें चीन की दलदली न्यायिक व्यवस्था में धकेल देगा, जहां राजनीतिक और वैचारिक विरोधियों को आर्थिक अपराधों और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों जैसे मामलों में आरोपी बनाकर उनका भीषण शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उनकी आशंका है कि इस कानून का उपयोग अभियोजन के लिए हांगकांग से असंतुष्टों या बागियों को चीन भेजा जाएगा। वे मानते हैं कि चीन में एक बार कोई आरोप लगा तो व्यक्ति को ऐसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होता है जहाँ अधिकांश आपराधिक मामले यातनाओं के साथ कठोरतम सजा पर समाप्त होते हैं।
- अधिनायकवादी चीन विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, जहाँ का राजनीतिक अधिष्ठान साम्यवादी है लेकिन वह पूंजीवाद पर सर्वाधिक बल देता है, जिसमें न ही कोई मानवाधिकार है और ही मानवता का कोई स्थान है। परिणामस्वरूप, आज 142 करोड़ की आबादी वाले चीन में मौत की सजा, आत्महत्या करने वालों और अवसाद पीड़ित रोगियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है।
- वर्ष 2012-13 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सत्ता में आने और गत वर्ष अनिश्चितकाल के लिए राष्ट्रपति रहने की घोषणा के बाद यह स्थिति और भी अधिक विकराल हो गई है। जिनपिंग सरकार के निर्देश पर ही वर्ष 2015 में हांगकांग के कई पुस्तक विक्रेताओं को नजरबंद कर दिया गया था।
- विवाद का एक बिन्दु यह भी माना जा रहा है कि स्थानीय सरकार कानून में यह संशोधन चीनी सरकार के कहने पर कर रही है। दरअसल हांगकांग में कानूनविदों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का एक ऐसा बड़ा वर्ग मौजूद है, जो चीनी सरकार के तानाशाही रवैये का विरोध करता रहा है। जिसके चलते चीन की सरकार अपने मनचाहे आदेश हांगकांग पर थोपने में कामयाब नहीं रही है। प्रस्तुत विधेयक से चीन की सरकार हांगकांग के लोगों को अपनी पक्षपातपूर्ण न्यायिक व्यवस्था के जरिए निशाना बना सकती है।
- उल्लेखनीय है कि इसी साल मार्च में 2014

के अंब्रेला आंदोलन के लिए चार लोगों को सजा सुनाई गई। प्रदर्शन में शामिल नौ लोगों पर महीनों तक चले ट्रायल के बाद ये सजा सुनाई गई। वहीं आजादी का समर्थन करने वाली एक पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस कार्रवाई को चीन की साम्यवादी सरकार का हांगकांग की स्वायत्तता पर बढ़ते दबाव के तौर पर देखा जा रहा है।

- बीजिंग ने हाल के वर्षों में हांगकांग के शहर में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की है, जिससे शहर के लोकतंत्र समर्थक समूहों की चिंता बढ़ गई है जो बड़े पैमाने पर बीजिंग को संशय की दृष्टि से देखते हैं। इसके अलावा, हांगकांग में हाल के वर्षों में चीन की बढ़ती अधिनायकवादी प्रवृत्ति को भी देखा जा रहा है। उदाहरण के लिए सांसदों को अयोग्य घोषित किए जाने के कई मामले सामने आए हैं, कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यालय चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, एक राजनीतिक दल प्रतिबंधित है और एक विदेशी पत्रकार को निष्कासित कर दिया गया है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य

- प्रस्तुत विधेयक के संदर्भ में चीन का कहना है कि यदि ये संशोधन जल्द से जल्द पारित नहीं होता हैं तो हांगकांग के लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और शहर अपराधियों का अड्डा बन जाएगा।
- सरकार का कहना है कि नया कानून गंभीर अपराध करने वालों पर लागू होगा, जिसके तहत कम से कम सात साल की सजा का प्रावधान है।
- प्रत्यर्पण की कार्रवाई करने से पहले यह भी देखा जाएगा कि हांगकांग और चीन दोनों के कानूनों में अपराध की व्याख्या है या नहीं। सरकार ने जोर देकर यह भी कहा है कि वह राजनीतिक अपराधों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाएगी।
- इसके अलावा अधिकारियों का यह भी कहना है कि बोलने और प्रदर्शन करने की आजादी से जुड़े मामलों में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी।
- चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में कहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) हांगकांग सरकार द्वारा अनुरोध करने पर 'सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने' में मदद कर सकती है।

हांगकांग के बारे में

हांगकांग लगभग 200 छोटे-बड़े द्वीपों का समूह है और इसका शाब्दिक अर्थ है सुगंधित बंदरगाह। ब्रिटेन ने चीन के साथ व्यापार करने में हांगकांग को एक व्यावसायिक बंदरगाह की तरह इस्तेमाल किया। वर्ष 1941 के बाद लगभग चार वर्ष तक इस पर जापान का अधिकार रहा, किन्तु 1945 में ब्रिटेन और चीनी सेना ने मिलकर जापान को हरा दिया।

ब्रिटेन ने 1997 में हांगकांग की संप्रभुता कई शर्तों के साथ चीन को वापस सौंपी, जिसमें प्रमुख शर्त थी हांगकांग की पूँजीवादी व्यवस्था को बनाए रखना। चीन ने भी रक्षा व विदेश छोड़कर हांगकांग की प्रशासकीय व्यवस्था में हस्तक्षेप न करने का व पूँजीवादी व्यवस्था को आगामी 50 वर्षों तक जस का तस रखने का आश्वासन दिया।

वर्तमान समय में देखें तो हांगकांग की प्रशासनिक व्यवस्था एक देश, दो नीति के अंतर्गत और बुनियादी कानून के अनुसार संचालित होती है। लेकिन अब चीन अलग राह चुनता दिखाई दे रहा है जिसमें वह हांगकांग पर अधिक प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.) पहले से ही चीन के साथ व्यापार युद्ध में लगा हुआ है। अमरीका ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कहा कि हांगकांग के लोग लोकतंत्र की माँग कर रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सरकारें लोकतंत्र नहीं चाहती हैं। इस पर चीन ने कहा है कि इसके समग्र विकास के लिए मुश्किलें पैदा करने में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका का हाथ रहा है।
- इसी तरह यूरोपीय संघ ने भी वर्तमान हांगकांग की स्थिति पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ब्रिटेन ने तो कहा है कि वह हर तरह की हिंसा का विरोध करता है लेकिन प्रशासन को भी समस्या की जड़ को समझना चाहिए। हांगकांग के लोग इस बात से चिंतित हैं कि उनकी आजादी पर हमला हो रहा है। ताइवान ने तो साफ हिदायत देते हुए कहा है कि हांगकांग के लोग गुस्से और निराशा से भर रहे हैं और एक देश दो सिस्टम का आइडिया झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। जहां तक भारत का प्रश्न है तो उसने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि विश्व के बड़े लोकतंत्र होने के नाते उसने हांगकांग की जनभावना का समर्थन करते हुए शंतिपूर्ण समाधान की मंशा जताई है।

हांगकांग-चीन सम्बन्ध और लोकतंत्र

हांगकांग ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। 1984 में ब्रिटेन और हांगकांग के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत हांगकांग को चीन को लौटा दिया गया। इसके लिए हांगकांग में एक देश-दो सरकार का सिद्धांत लागू किया गया। जिसके तहत अगले 50 साल के लिए अपनी स्वतंत्रता, सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था बनाने की गारंटी दी गई थी। इसी के चलते हांगकांग में रहने वाले लोग खुद को चीन का हिस्सा नहीं मानते और खुले आम सरकार की आलोचना करते हैं। इसके बावजूद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने वर्तमान समय में हांगकांग सरकार पर प्रभाव डाला है। विदित हो कि हांगकांग के लोग चीन के के प्रभाव में अपना नेता नहीं चुनते हैं क्योंकि हांगकांग की संसद में चीन समर्थक सांसदों का एक बड़ा गुट है। हांगकांग का शासन 1200 सदस्यों की चुनाव समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा चलाया जाता है। हांगकांग के लोग चाहते हैं कि ये प्रतिनिधि जनता के जरिए चुने जाने चाहिए। 2007 में यह निर्णय लिया गया कि 2017 में होने वाले चुनावों में लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने का हक मिलेगा। 2014 की शुरूआत में इसके लिए कानूनों में जरूरी बदलाव शुरू हुए।

इसी क्रम में जनवरी 2013 में हांगकांग की एक प्रोफेसर बेनी ताई ने एक आर्टिकल लिखा, जिसमें कहा गया कि सरकार मताधिकार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन नहीं कर रही है। इसके लिए उन्होंने एक अहिंसक आंदोलन करने का आह्वान किया। आंदोलन के लिए 'ऑक्यूपाई सेंट्रल विद लव एंड पीस' नाम का एक संगठन बनाया गया। जून 2014 में इस संगठन ने एक जनमत संग्रह भी कराया, जिसमें करीब आठ लाख लोगों ने वोट दिया। ये हांगकांग के कुल वोटरों का 20 प्रतिशत है। 31 अगस्त, 2014 को सरकार ने वोटिंग के नए कानून बनाए, जिसे हांगकांग के लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद 22 सितंबर 2014 को हांगकांग के कई स्टूडेंट यूनियनों ने इसका विरोध करना शुरू किया। 26 सितंबर 2014 को इस आंदोलन से और लोग जुड़े और सरकारी मुख्यालय के सामने इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। ये लोग पीले कलर के बैंड और छाते अपने साथ लेकर आए थे। इसलिए इसका नाम 'येलो अंब्रेला प्रोटेस्ट' रखा गया।

हांगकांग और चीन के सरकारी अधिकारियों ने इस प्रदर्शन को नियमों का उल्लंघन करने वाला और गैरकानूनी बताया। ये प्रदर्शन 15 दिसंबर 2014 तक चलता रहा। आंदोलन को 1989 में बीजिंग के तियानमेन चौक पर हुए प्रदर्शनों के बाद सबसे बड़ा लोकतंत्र समर्थक आंदोलन माना जाता है। हालांकि आंदोलन असफल रहा चूँकि इसे नागरिकों के बड़े वर्ग का समर्थन नहीं मिल

पाया था। लेकिन वर्तमान प्रत्यर्पण विधेयक के विरोध में पिछले सबसे बड़े प्रदर्शन के मुकाबले करीब दोगुने लोग सड़कों पर उतरे हैं। इस बार प्रत्यर्पण कानून मसौदे के खिलाफ हुए आंदोलन को 'प्रो डेमोक्रेसी' कहा गया है और प्रदर्शन को सबसे बड़ा लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है।

चीन पर प्रभाव

हांगकांग में हो रहे उग्र प्रदर्शन का सीधा असर चीन की व्यवस्था पर पड़ सकता है। दरअसल हांगकांग में यदि तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका सीधा असर एफडीआई पर पड़ेगा। साथ ही यहाँ चीन का जो पूरा वित्तीय बाजार है उसमें बड़ी-बड़ी चीनी कंपनियों का 40 से 50 प्रतिशत तक स्टॉक हांगकांग में ही लिस्टेड हैं, जो शंघाई और शिनजेन से कहीं ज्यादा है।

हांगकांग इस लिहाज से भी बेहद खास हो जाता है कि दीर्घकालिक निवेश का 61 फीसद केवल यहीं से आता है। यहां पर एफडीआई के आने की वजह निवेश की लचीली और सरल प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हांगकांग की साख, हांगकांग का एक फाइनेंशियल हब के रूप में उभरना है। यही वजह है कि यहां पर होने वाले प्रदर्शन या किसी भी तरह की अस्थिरता का सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

वैसे भी वर्तमान में चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है। अमेरिका के साथ जारी ट्रेड वार भी इसकी एक बड़ी वजह है। विदित हो कि चीन की बड़ी कंपनी अलीबाबा भी हांगकांग के शेयरबाजार में लिस्टेड है। लेकिन वहाँ के बदलते राजनीतिक और आर्थिक माहौल में यह भी प्रभावित हो सकता है।

हांगकांग के लोग स्वायत्तता से किसी भी तरह समझौता करने को तैयार नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्पण बिल के पहले भी हांगकांग के लोग चीन की सख्ती पर गुस्सा दिखा चुके हैं। उदाहरण के लिए चीन के राष्ट्रगान के प्रति असम्मान जाहिर करने पर दंडित करने का कानून, लोकतंत्र और आजादी समर्थक विधायकों की सदस्यता खारिज करने और आजादी समर्थक कार्यकर्ताओं को जेल में डालने का विरोध होता रहा है। ऐसे में प्रस्तुत विधेयक चीन का माहौल खराब कर वहाँ आन्तरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन कर सकता है। नतीजतन चीन में हिंसा व तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है साथ ही चीन की अंतर्राष्ट्रीय साख पर सवाल उठ सकता है। दरअसल चीन विश्व के अन्य देशों को मानवाधिकार के मुद्दे पर घेरता आया है। वर्तमान स्थिति में चीन खुद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मानवाधिकार के प्रश्नों पर घिर सकता है।

आगे की राह

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्तमान युग में वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र एवं मानवाधिकार के व्यापक प्रसार तथा साम्यवाद के पराभव के बावजूद, एशिया के विशालतम राष्ट्र चीन में साम्यवादी व्यवस्था ही कायम है। आर्थिक क्षेत्र में चीन ने भले ही कुछ उदार नीतियाँ अपनाई हो किंतु राजनीतिक रूप से चीन का लोकतंत्र विरोधी रुख अभी भी कायम है। चीन में 22 प्रांत, 4 प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले नगर क्षेत्र, तिब्बत समेत 5 स्वशासी क्षेत्र तथा हांगकांग एवं मकाऊ दो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सम्मिलित हैं। प्रांतों एवं स्वशासी क्षेत्रों के लिए चीन की नीति 'वन चाइना पॉलिसी' की रही है किंतु विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए चीन की नीति 'वन कंट्री टू सिस्टम्स' (One Country, two Systems) की है। दोनों प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक मकाऊ पूर्व पुर्तगाली उपनिवेश है जबकि दूसरा हांगकांग पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश (डिपेंडेन्सी) है। दोनों प्रशासनिक क्षेत्रों में, संयुक्त राष्ट्र में पंजीकृत संयुक्त घोषणाओं के तहत 'इंटर स्टेट ट्रीटीज' के उपबंधों तथा अपने मौलिक कानूनों (बेसिक लॉज) के अंतर्गत, चीन के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक स्वायत्तता है। लेकिन यह स्वायत्तता भी इतनी अधिक नहीं है कि उसे लोकतंत्र के समकक्ष माना जा सके। ऐसे में प्रत्यर्पण कानून को स्वीकारने का मतलब है चीन के दबदबे को स्वीकार करना व चीन के मनोबल को बढ़ाना जो कहीं न कहीं हांगकांग के आगामी भविष्य के लिए अधोमुखी (नकारात्मक) साबित हो सकती है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव, भारतीय डायसपोरा।

■

5. ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी और उसका प्रभाव

चर्चा का कारण

हाल ही में भारतीय ऑटोमोटिव उपकरण निर्माता संघ (ACMA) ने कहा है कि देश के ऑटो सेक्टर में आर्थिक मंदी देखी जा रही है जिसके कारण लगभग 10 लाख लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि बड़ी-बड़ी वाहन निर्माता कंपनियों की बिक्री में लगातार गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगातार नौकरियाँ भी खत्म हो रही हैं और शो रूम भी बंद हो रहे हैं।

परिचय

उद्योग संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के अनुसार पिछले तीन माह के दौरान ऑटोमोबाइल की खुदरा विक्रेताओं ने करीब दो लाख कर्मचारियों की छंटनी की है। फाडा के अनुसार, हाल की घटनाओं को देखते हुए निकट भविष्य में स्थिति में सुधार की संभावना नहीं दिख रही है साथ ही इस कारण आगे और भी शोरूम बंद हो सकते हैं। गौरतलब है कि वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट के बीच देशभर में वाहन डीलर बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं।

उद्योगपतियों का कहना है कि बिक्री में गिरावट की वजह से अब उनके पास श्रमबल में कटौती का ही विकल्प बचा है। इससे बचने के लिए सरकार को वाहन उद्योग को राहत देने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती जैसे उपाय करने चाहिए।

विशेषज्ञों का कहना है कि अभी ज्यादातर छटनियाँ ऑफिस स्टाफ एवं बिक्रीकर्ताओं (Salesman) की हो रही है, लेकिन मंदी का यह रुख यदि जारी रहता है तो तकनीकी नौकरियाँ भी प्रभावित हो सकती हैं। अभी तक दो लाख लोगों को नौकरी से बाहर किया गया है।

देशभर में 15,000 डीलरों द्वारा परिचालित 26,000 वाहन शोरूमों में करीब 25 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। जबकि 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में रोजगार मिला हुआ है। पिछले कुछ माह के दौरान डीलरशिप से दो लाख श्रमबल को कम किया गया है।

इस साल अप्रैल तक 18 माह की अवधि में देश के 271 शहरों में 286 शोरूम बंद हो चुके

हैं, जिससे 32,000 लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। गौरतलब है कि कर्मचारियों के प्रशिक्षण में कम्पनियाँ काफी निवेश करती हैं।

वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम (SIAM) के आँकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में सभी श्रेणियों में वाहनों की बिक्री 12.35 प्रतिशत घटकर 60,85,406 इकाई रह गई। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में वाहन बिक्री 69,42,742 इकाई रही थी। जबकि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2.3 प्रतिशत और विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में 25 प्रतिशत का योगदान देने वाले इस क्षेत्र में तीन लाख 95 हजार 902 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया जो एक साल पहले की तुलना में साढ़े 14 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान ऑटो उपकरणों का निर्यात 17.1 प्रतिशत बढ़कर 106048 करोड़ रुपए का हो गया है।

वर्तमान परिदृश्य

गौरतलब है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की मौजूदा मंदी के बीज कुछ वर्ष पहले ही पड़ गए थे, जब सभी कार कंपनियाँ डीजल इंजन बनाने पर भारी भरकम निवेश कर रही थीं, तभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली एनसीआर में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला आया। उसके बाद से ऑटो सेक्टर पर नीतिगत अनिश्चितता के जो बादल छाए हैं, वे अभी तक नहीं छँट पाए हैं। इसके फलस्वरूप न केवल ऑटोमोबाइल उद्योग की विकास की रफ्तार रूक गई, बल्कि वह इस दशक की सबसे बड़ी मंदी के करीब जा पहुँचा है।

ऑटो क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने डीजल वाहनों पर दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंध के साथ-साथ उत्सर्जन मानकों के चलते भारत स्टेज-चार से सीधे साल 2020 में भारत-छह मानक लागू करने के एलान ने कंपनियों को आश्चर्यचकित कर दिया। हाल ही में पेट्रोल डीजल चालित वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में वृद्धि का भी प्रस्ताव किया गया है। इन सभी वजहों ने न सिर्फ कंपनियों की लागत बढ़ाई, बल्कि ग्राहकों के लिए भी उत्पादों की कीमत बढ़ना तय हो गया।

हालांकि जमीनी तौर पर कुछ दूसरी वजहें भी हैं, जिन्होंने समूचे ऑटोमोबाइल सेक्टर को निराशा के गर्त में डाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से बैंकों व वित्तीय संस्थानों ने कार डीलरों से कर्ज के बदले कोलैटरल की माँग शुरू कर दी है। अभी तक डीलर को कंपनियों से जितनी गाड़ी लेनी होती थी उसके बदले आराम से कर्ज मिल जाता था, लेकिन अब उन्हें यदि 40 करोड़ रुपये का कर्ज लेना है तो बैंक 10 से 25 करोड़ रुपये तक की जमानत कोलैटरल के रूप में माँग रहे हैं। इसके साथ ही सरकारी एजेंसियों ने कई कार डीलरों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की है। संभव है कि कुछ कार डीलरों के स्तर पर अनियमितता हो, लेकिन सभी डीलरों को उसकी सजा नहीं दी जा सकती।

ऑटो कंपनियों से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सामंजस्य का अभाव भी परेशानी पैदा करता है। अभी ऑटो सेक्टर के लिए केंद्र सरकार के छह मंत्रालय (भारी उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, स्टील मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय) अलग-अलग नीतियाँ बनाते हैं। ऑटो सेक्टर को इन सभी मंत्रालयों के आदेशों का पालन करना पड़ता है। संभवतः यही वजह है कि स्क्रैप नीति (ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में उत्पन्न अवशेष निपटान नीति) की घोषणा भी अभी तक नहीं हो पा रही है।

ऑटो सेक्टर में बिक्री की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जुलाई महीने में मारुति की बिक्री में 33.5 फीसद और महिंद्रा की बिक्री 15 फीसदी गिर गई। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में सभी श्रेणियों में वाहनों की बिक्री में करीब साढ़े बारह फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

इस उद्योग में फैली मंदी की यह स्थिति इससे जुड़े क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है। ना सिर्फ वाहन निर्माण में लगी कंपनियों को मंदी की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है बल्कि उनके स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों के सामने भी ये स्थिति विकट बनी हुई हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की बड़ी वाहन निर्माता कंपनियों जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा और होण्डा ने माँग कम होने के कारण उत्पादन पर रोक लगा रखी है। टाटा मोटर्स ने पिछले दो हफ्तों में अपने चार संयंत्रों को बंद कर दिया है

गौरतलब है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए ये स्थिति काफी भयावह है और आने वाले दिनों में इसके दुष्परिणाम चारों ओर दिख सकता है। यद्यपि इस क्षेत्र में साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है जो कि पूरे विनिर्माण क्षेत्र का करीब आधा है।

वहीं, घरेलू ऑटोमोबाइल उद्योग भले ही मंदी की मार का सामना कर रहा हो लेकिन इसके निर्यात पर कोई विपरीत असर नहीं दिख रहा है। निर्यातक इकाइयों के अधिकारियों का कहना है कि घरेलू बाजार में वाहनों की माँग घटने से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारी मंदी है, लेकिन निर्यात के क्षेत्र में ऐसा नहीं है।

निर्यात क्षेत्र मंदी की इस स्थिति से अभी तक प्रभावित नहीं हो पाया है। दूसरे देशों से ऑर्डर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि भारत में वाहन बनाने वाली कंपनियों की बिक्री में कमी आती रही और उत्पादन गिरता रहा तो आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में भी कमी दिखना स्वाभाविक है।

मंदी के कारण

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अर्थव्यवस्था में मंदी (slowdown) को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि (GDP Growth) का अनुमान 7 से घटाकर 6.9 फीसदी कर दिया है। आरबीआई के अनुसार, कुछ सेक्टरों में स्लोडाउन का साया गहरा होता जा रहा है। इसमें ऑटो सेक्टर प्रमुख है, जहाँ माँग लगातार घट रही है। इसके कारण वाहनों की खरीददारी कम होती जा रही है। इससे ऑटो कंपनियों को कम उत्पादन और अधिशेष कर्मचारीयों की छंटनी करनी पड़ रही है। ऑटो सेक्टर के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स के अनुसार, इस समय ऑटो सेक्टर में 10 लाख नौकरियाँ जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अगर स्थिति न सुधरी तो यह संख्या और बढ़ सकती है। ऑटो मोबाइल उद्योग क्षेत्र में मंदी के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

एनबीएफसी संकटः रिटेल मार्केट में मारुति कंपनी की जितनी गाड़ियाँ बिकती हैं, उसमें एक तिहाई कारों की फंडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (एनबीएफसी) की तरफ से की जाती है। छोटे और टीयर-2 शहरों में कारों की खरीददारी के लिए एनबीएफसी की फंडिंग प्रमुख स्रोत है अर्थात यहां लोग गाड़ी खरीदने के लिए इसी पर निर्भर रहते हैं। इस समय अधिकांश एनबीएफसी खुद वित्तीय संकट में फँसी हुई हैं। ये बैंक अपने लोन की वसूली नहीं कर पा रही हैं। इससे नए लोन देने की उनकी क्षमता कम होती जा रही है। ऐसे में उन्होंने उधार देना कम कर दिया है। इस कारण इसका असर नकारात्मक पड़ा है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीः सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर वस्तु एवं सेवा

कर (जीएसटी) कम कर दिया है, लेकिन अन्य गाड़ियों पर यह टैक्स 28% है जिससे लोगों की वाहन खरीदने की क्षमता प्रभावित हुई है।

बीएस-6 ईंजन: ऑटो सेक्टर में मंदी की एक वजह इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी है। कंपनियों का मानना है कि सरकार ने अभी तक इसका कोई स्पष्ट रोडमैप उद्योग के सामने नहीं रखा है। वास्तविकता यह है कि ग्राहक अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि वह पेट्रोल व डीजल चालित कारें खरीदे या इलेक्ट्रिक वाहनों के आने का इंतजार करें।

गौरतलब है कि गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को 1 अप्रैल 2020 तक अपने वाहनों में बीएस-6 इंजन लगाना अनिवार्य होगा। फिलहाल वाहनों में बीएस-4 इंजन लगता है। बीएस-6 से डीजल वाहनों से 68% और पेट्रोल वाहनों से 25% नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। अधिकतर लोग नए इंजन की गाड़ियाँ लेना चाह रहे हैं इससे स्पष्ट होता है कि यह भी एक प्रमुख कारण है।

ग्रामीणों की आय में कमी: चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ट्रैक्टर की बिक्री में 10 से 12 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। इसके पीछे कारण है कि रबी फसल की पैदावार में कमी और खरीफ फसलों की बुआई में गिरावट आयी है। इससे ग्रामीण लोगों की आमदनी में कमी आ रही है। इसके अलावा ट्रको पर ओवरलोड को लेकर सरकार के बनाए सख्त नियम का भी असर है कि ट्रकों की बिक्री घटी है।

ऑटोमोबाइल उद्योग में संकट: गौरतलब है कि बाजार में माँग कम होने से यात्री वाहन निर्माता शीर्ष कंपनियों को बड़े संकट से गुजरना पड़ रहा है। आर्थिक अनिश्चितताओं के बढ़ने, ताजा निवेश में कमी और गैर-बैंकिंग ऋणदाताओं के दबाव में आने से शहरी और ग्रामीण दोनों उपभोक्ताओं की माँग में भारी कमी आयी है। पिछले वर्ष वाहन बीमा की लागत में वृद्धि और ऋण में कमी के कारण भी कई उपभोक्ताओं को वाहन खरीदने की अपनी योजना स्थगित करनी पड़ी। इन सभी कारकों ने ऑटोमोबाइल उद्योग पर बुरा प्रभाव डाला है।

मारुति की बिक्री में कमी: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के घरेलू यात्री वाहन की बिक्री में, इस वर्ष जुलाई में पहले की तुलना में लगभग 36 प्रतिशत की कमी आयी है। बीते महीने जहां मारुति ने 1,54,510 यूनिट की बिक्री की, वहीं जुलाई में केवल 98,210 वाहनों (यूनिट) की बिक्री ही हो पायी। जून 2017 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब मारुति ने एक महीने में एक लाख यूनिट से कम की बिक्री की है।

कर्ज देने में बैंक सुस्त: कर्ज फँसने के भय से कई बैंक ऑटो मोबाइल डीलरों को कर्ज देने से बच रहे हैं। इस दशक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही ऑटो उद्योग को बैंक कर्ज देने से पहले बहुत सावधानी बरत रहे हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री का अनुमान है कि ऑटो मोबाइल डीलरों पर 70 से 80 हजार करोड़ रुपये बकाया है।

यात्री वाहनों की बिक्री में गिरावट: रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रिसर्च के मुताबिक इस समय भी खुदरा बाजार में जारी गिरावट का असर बना रहेगा। मारुति सुजुकी, ह्युंडई और तीन अन्य प्रमुख कंपनियों की कार बिक्री में बीते जुलाई महीने के दौरान दोहरे अंकों में गिरावट दर्ज की गयी थी।

क्रिसिल के अनुमान के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले जुलाई में यात्री वाहनों की बिक्री में 27 से 31 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी।

गौरतलब है कि स्वामित्व की बढ़ती लागत, ग्रामीण बिक्री में कमी और तरलता में कमी की वजह से दोपहिया वाहनों की बिक्री में लगातार छठे महीने भी गिरावट जारी रही। बीते जुलाई माह में बजाज और टीवीएस की घरेलू बिक्री में क्रमशः 13 और 15 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी। जाहिर है कि कम तरलता, कम उपभोग और कड़े मानकों के कारण बढ़ती लागत की वजह से वाहनों की बिक्री में गिरावट आयी है। वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में कार बिक्री में 23 प्रतिशत और यात्री वाहन बिक्री में 18 प्रतिशत की कमी रही।

पंजीकरण शुल्क बढ़ने से बढ़ सकता है संकट: उद्योग संगठन, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) का कहना है कि नये वाहनों पर पंजीकरण शुल्क 10 से 20 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव घरेलू ऑटोमोबाइल उद्योग के संकट को और बढ़ा सकता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 26 जुलाई को जारी किये गये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में नये मीडियम गुड्स/ यात्री वाहनों पर पंजीकरण शुल्क को मौजूदा 1,000 रुपये से 20 गुना तक बढ़ाकर 20,000 रुपये, नये ट्रक या बस पर 1,500 से 20,000 रुपये, नये दो पहिया वाहनों पर 50 रुपये से 1,000 रुपये और नयी कार पर 600 रुपये से 5,000 रुपये तक करने का प्रस्ताव है। एसआईएएम का कहना है कि ऐसी स्थिति में नये वाहनों के पंजीकरण शुल्क में इस तरह की वृद्धि बाजार की स्थिति को नकारात्मक रूप से बढ़ायेगी।

वैश्विक बाजार की स्थिति: इस वर्ष की पहली छमाही यानी जनवरी से जून तक विश्व के सभी प्रमुख कार बाजार में कार खरीद कम रही है। इस मामले में सिर्फ ब्राजील अपवाद रहा, जिसकी कार बिक्री में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

वहीं इस अवधि में जापानी कार बाजार में कोई खास हलचल नहीं दिखी, जबकि अमेरिकी और रूसी कार बाजार में दो प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय संघ के नये यात्री वाहन पंजीकरण में पहली छमाही में तीन प्रतिशत की कमी दर्ज हुई, लेकिन अपेक्षाकृत यह उच्च स्तर पर बना रहा। भारत में वर्ष 2019 की पहली छमाही में नये कार की बिक्री में 10 प्रतिशत की कमी आयी। वहीं 14 प्रतिशत गिरावट के बावजूद चीन विश्व का सबसे बड़ा नया कार बाजार बना रहा।

आगे की राह

गौरतलब है कि इस समय सरकार को इस सेक्टर में फंडिंग बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही मार्केट में मुद्रा का प्रवाह बढ़ाने से ऑटो सेक्टर में आयी मंदी को टाला जा सकता है। ऑटोमोबाइल उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि आरबीआई ने रेपो रेट तो कम कर दिया है, परंतु अब बैंकों को ऑटो लोन को सस्ता करना चाहिए, जिससे लोगों की फिर से वाहन खरीदने की क्षमता में वृद्धि होगी। सरकार को ऑटो सेक्टर में परिस्थितियों को देखते हुए कुछ समय के लिए टैक्स कम करना चाहिए। आने वाला समय इलेक्ट्रिक वाहनों का हो सकता है, लेकिन हमें वर्तमान को भी देखना होगा और कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा। ऐसे में जरूरी है कि भविष्य के साथ वर्तमान को भी देखा जाना चाहिए।

ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में माँग में कमी से कंपनियों और डीलरों की कमाई संकुचित हो रही है, तो दूसरी तरफ बैंकों से कर्ज लेने की प्रक्रिया मुश्किल होती जा रही है। सरकार, उत्पादक, निवेशक और नीति-निर्धारकों को वाहन उद्योग के आसन्न संकट पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था की सेहत बरकरार रहे। यदि आरबीआई बैंकों को फंड देने

की थोड़ी छूट दे, चाहे वह होलसेल बिलिंग के लिए हो या जो कस्टमर गाड़ी खरीदने जा रहे हैं उनके लिए हों, तो इससे इस सेक्टर में वित्तीय संकट काफी कम हो सकता है।

इस उद्योग के सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी विकास और अधिग्रहण के लिए वित्त उपलब्ध कराने के साथ ही अनुसंधान पर भी रियायतें देना आवश्यक है।

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की परिभाषा को बदलने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेहतर परिभाषित प्रौद्योगिकी रोड मैप की जरूरत है।

हालाँकि जो गाड़ियाँ बिक रही हैं उन पर लोग बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे में एक नकारात्मक सोच बन गयी है। इसे कम करने के लिए सरकार की तरफ से बजट में कुछ अच्छे प्रावधान किये गये हैं। आधारभूत संरचना में अच्छे निवेश की बात कही गयी है। यदि सरकार ऐसा करेगी, तो इससे ऑटो उद्योग को काफी फायदा होगा। सड़कें अच्छी होंगी, तो जाहिर है कि लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे। यदि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, तो पूरी उम्मीद है कि आनेवाले समय में ऑटो उद्योग का प्रदर्शन बेहतर होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

6. क्षेत्रीय भाषाओं का विलुप्तिकरण : संरक्षण एवं संवर्द्धन की आवश्यकता

चर्चा का कारण

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2019 को 'देशीय भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' (International Year of Indigenous Languages) के रूप में घोषित किया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के तहत विभिन्न आयोजनों हेतु 'यूनेस्को' (UNESCO) 'शीर्ष संगठन' (Lead Organisation) के रूप में कार्य करेगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विश्व की लगभग 6700 भाषाओं में से 96 प्रतिशत, विश्व की मात्र 3 प्रतिशत जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। ऐसा अनुमान है कि विश्व की आधी से अधिक भाषाएँ वर्ष 2100 तक विलुप्त हो जाएंगी।

2019 को स्वदेशी भाषाओं का वर्ष घोषित करने के पीछे इसका उद्देश्य स्वदेशी भाषाओं के नुकसान की ओर ध्यान आकर्षित करना है और स्वदेशी भाषाओं को संरक्षित, पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देना है।

परिचय

आधुनिक अर्थ में देशी भाषा से आशय देश में प्रचलित उन भाषाओं में से किसी एक से है जिनका उद्गम एवं विकास प्राकृत अथवा अपभ्रंश से हुआ हो अथवा जिनका उद्भव स्थानीय बोलियों के आधार पर प्राय: स्वतंत्र रूप से हुआ हो। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में इस तरह की बीसों देशी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इनमें से हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उड़िया आदि प्रथम (आर्यभाषाओं के) वर्ग में तथा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि द्वितीय (द्राविड़) वर्ग में आती हैं।

भारत विविध संस्कृति और भाषा का देश रहा है। साल 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में फिलहाल 1365 मातृभाषाएँ हैं, जिनका क्षेत्रीय आधार अलग-अलग है।

वर्तमान स्थिति

भारतीय संविधान निर्माताओं की आकांक्षा थी कि स्वतंत्रता के बाद भारत का शासन अपनी भाषाओं में चले ताकि आम जनता शासन से जुड़ी रहे और समाज में एक सामंजस्य स्थापित हो और सबकी प्रगति हो सके। इसमें कोई शक नहीं कि भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है, परंतु यह भी सच है कि इस प्रगति का लाभ देश की आम जनता तक पूरी तरह पहुंच नहीं पा रहा है। इसके कारणों की तरफ जब हम दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि शासन को जनता तक उसकी भाषा में पहुंचाने में अभी तक कामयाबी नहीं मिली हैं, यह एक प्रमुख कारण है। जब तक इस काम में तेजी नहीं आती तब तक किसी भी क्षेत्र में देश की बड़ी से बड़ी उपलब्धि और प्रगति का कोई मूल्य नहीं रह जाता। अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंग्रेजी के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। किन्तु वैश्विक दौड़ में आज हिन्दी कहीं भी पीछे नहीं है। यह सिर्फ बोलचाल की भाषा ही नहीं, बल्कि सामान्य काम से लेकर इंटरनेट तक के क्षेत्र में इसका प्रयोग बखूबी हो रहा है। बावजूद इसके हिन्दी भाषा अभी भी भारत के हर क्षेत्र में विद्यमान नहीं है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति भी अपेक्षानुरूप नहीं है।

उल्लेखनीय है कि भारत में 29 भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 1000000 (दस लाख) से ज्यादा है। भारत में 7 ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। भारत में 122 ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 10000 (दस हजार) से ज्यादा है।

2011 की जनगणना में भारतीयों भाषाओं के आंकड़ों के मुताबिक, 43.63 फीसदी लोगों की मातृभाषा हिंदी है। 2001 में 41.03 फीसदी लोगों की मातृभाषा हिन्दी थी। इस तरह 2001 से 2011 के बीच देश में हिन्दी बोलने वाले लोगें की संख्या ढाई फीसदी से ज्यादा बढ़ी है।

दूसरे नंबर पर बंगाली (बांग्ला) भाषा बरकरार है। वहीं, तेलुगू को पीछे छोड़कर मराठी तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा हो गई है। 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार, गैर-अनुसूचित भाषाओं में लगभग 2.6 लाख लोगों ने अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा बताया। इनमें से सबसे अधिक 1.06 लाख लोग महाराष्ट्र में हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक अंग्रेजी बोलने के मामले में क्रमश: दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं।

वहीं, देश में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। भारत की इस सबसे पुरानी भाषा को केवल 24,821 लोगों ने अपनी मातृभाषा बताया है। इसे बोलने वाले लोगों की संख्या बोडो, मणिपुरी, कोंकणी और डोगरी भाषा बोलने वाले लोगों से भी कम है।

राजस्थान में बोली जाने वाली भिली/भिलौड़ी भाषा 1.04 करोड़ की संख्या के साथ गैर-सूचीबद्ध भाषाओं में पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली गोंडी भाषा बोलने वालों की संख्या 29 लाख है।

2001 की जनगणना के मुकाबले 2011 में भारत में बांग्ला को मातृभाषा बताने वाले लोगों की संख्या 8.11 से बढ़कर 8.3 फीसदी हो गई है। वहीं मराठी भाषा बोलने वालों की संख्या 2001 में 6.99 फीसदी से बढ़कर 2011 में 7.09 फीसदी हो गई है, जबकि इस दौरान तेलुगू भाषा बोलने वाले 7.19 फीसदी से घटकर 6.93 फीसदी रह गए हैं।

इस मामले में उर्दू सातवें नंबर पर पहुंच गई है, जबकि 2001 में यह छठी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा थी। वहीं दूसरी ओर, देश में गुजराती बोलने वालों की संख्या बढ़ी है। इस मामले में इसने उर्दू को पीछे छोडते हुए छठा स्थान पा लिया है। 2011 की जनगणना के मुताबिक, देश में 4.74 फीसदी लोग गुजराती बोलते थे। 2011 की जनगणना के मुताबिक, जहां देश की 96.71 फीसदी आबादी ने 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक को अपनी मातृभाषा के रूप में चुना है वही 3.29 फीसदी ने अन्य भाषाओं को अपनी मातृभाषा बताया है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विश्व में बोली जाने वाली कुल भाषाएं लगभग 6900 हैं। इनमें से 90 फीसद भाषाएं बोलने वालों की संख्या एक लाख से कम है। दुनिया की कुल आबादी में तकरीबन 60 फीसद लोग 30 प्रमुख भाषाएं बोलते हैं, जिनमें से दस सर्वाधिक बोली जानी वाली भाषाओं में जापानी, अंग्रेजी, रूसी, बांग्ला, पुर्तगाली, अरबी, पंजाबी, मंदारिन, हिंदी और स्पैनिश है। दुनिया में अगले 40 साल में चार हजार से अधिक भाषाओं के खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है।

एथनोलॉग कहता है कि आज दुनिया में लगभग 7000 से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं। इनमें से लगभग एक तिहाई लुप्तप्राय हैं। दुनिया की आधी से अधिक आबादी केवल 23 भाषाएं बोलती है।यूनेस्को के अनुसार, पिछली सदी में लगभग 600 भाषाएं गायब हो गई हैं और वे हर दो सप्ताह में एक भाषा की दर से गायब होती रहती हैं। यदि वर्तमान रुझान जारी रहा तो इस सदी के अंत से पहले दुनिया की 90 प्रतिशत भाषाओं के गायब होने की संभावना है।

कुछ प्रमुख तथ्य

प्रशांत द्वीप के राष्ट्र पापुआ न्यू गिनी में दुनिया की सबसे अधिक स्वदेशी भाषाएँ (840) बोली जाती हैं, जबकि भारत 453 भाषाओं के साथ चौथे स्थान पर है। कई भाषाएँ अब लुप्तप्राय (Endangered) हैं और कई भाषाएँ जैसे- तिनिगुआन (कोलम्बियाई मूल) बोलने वाला केवल एक ही मूल वक्ता बचा है।

नृवंश-विज्ञान (Ethnologue) जो भाषाओं की एक निर्देशिका है, में दुनिया भर की 7,111 ऐसी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है जो अभी भी लोगों द्वारा बोली जाती हैं। चीनी, स्पेनिश, अंग्रेजी, हिंदी और अरबी दुनिया भर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएँ हैं। दुनिया भर में 40% से अधिक लोगों द्वारा इन भाषाओं को बोला जाता है।

अमेरिका में 335 भाषाएँ और ऑस्ट्रेलिया में 319 भाषाएँ बोली जाती हैं, ये व्यापक रूप से अंग्रेजी बोलने वाले देश हैं। एशिया एवं अफ्रीका में सबसे अधिक देशी भाषाएँ (कुल का लगभग 70%) बोली जाती हैं। सामान्यत: एक देश में सभी की मातृभाषा एक ही होती है लेकिन देश में स्थानीय लोगों द्वारा विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं, इसका तात्पर्य यह है कि देश भर में अधिक भाषाओं का प्रसार किया जाए। नृवंश-विज्ञान (Ethnologue) के अनुसार, 3,741 भाषाएँ ऐसी हैं, जिसे बोलने वाले 1,000 से भी कम हैं। कुछ परिवारों में ही कई भाषाएँ बोली जाती हैं, हालाँकि इनका प्रतिशत बहुत ही कम है।

भाषायी नृविज्ञान

भाषायी मानवविज्ञान मानवशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें वैसी भाषाओं का अध्ययन किया जाता है जो अभी भी अलिखित हैं। ऐसी भाषा को समझने के लिए शब्दकोश व व्याकरण का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। शोधकर्ता को भाषा का अध्ययन करके शब्दकोश व व्याकरण तैयार करना पड़ता है। इसमें भाषाओं की उत्पत्ति, उद्विकास व विभिन्न समकालीन भाषाओं के बीच अंतरों का अध्ययन किया जाता है। मानवविज्ञान की शाखा के रूप में भाषायी मानवविज्ञान अपने आप में पूर्ण एवं स्वायत्त है। संस्कृति का आधार भाषा है। भाषा का अध्ययन कर हम संस्कृति को समझ सकते हैं।

भाषा के विलुप्ति का कारण

किसी भी देश या समाज की मूलभाषा या स्थानीय भाषा के विलुप्त होने के कई कारण हैं जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देख सकते हैं-

पलायन: जब कोई जनसंख्या अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर कहीं और पलायन करती है, चाहे वह प्राकृतिक (बाढ़, सूखा, अकाल, महामारी आदि) हो या फिर मानवीय (शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आदि) तब उस मूल जनसंख्या की अपनी जो भाषा होती है वह काफी हद तक परिवर्तित हो जाती है क्योंकि वह आबादी जिस भी प्रदेश में जाती है वहाँ की भाषा को सीखने लगती है और उसे ही अपना लेती है। परिणामस्वरूप उस आबादी की मूल भाषा विलुप्त हो जाती है।

जनसंख्या: वैसे तो पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या तीव्र गति से घट रही है, इनमें आदिवासी समुदाय प्रमुख हैं। भारत को ही कई आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जिनकी आबादी कम हो रही है जैसे जारवा, सेंटेलिज आदि। इसी तरह की स्थिति विश्व स्तर पर भी है खासकर अफ्रीका और कैरेबियन क्षेत्रों में। इनकी आबादी कम होने से इनकी भाषा विलुप्त होती जा रही है क्योंकि उन भाषाओं को बोलने और समझने वाले ये जनजातीय लोग ही हैं।

आधुनिक शिक्षा: वर्तमान में शिक्षा की जो पद्धति है वह भी स्थानीय भाषाओं के लिए हानिकारक साबित हो रही है। शिक्षा का अर्थ अब व्यवसाय हो गया है, जबकि ज्ञानअर्जित करना कम रह गया है। वर्तमान में लोग वही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिससे कि उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके और वे अपने को उच्च वर्ग में शामिल कर सकें। इसका परिणाम है कि स्थानीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषाओं का प्रचलन धीरे-धीरे कम होता जा रहा है जैसे कि प्राकृत, पाली, संस्कृत, डोगरी आदि। यही कारण है कि इन भाषाओं का प्रभाव कम होते जा रहा है एवं यह विलुप्त होती जा रही है।

अंग्रेजी विकल्प के रूप में: भाषाओं का विलुप्तिकरण केवल भारत का विषय नहीं है बल्कि यह विश्व की समस्या है, जिस तरीके से अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ा है उससे कई देशों की स्थानीय भाषाएँ इतिहास बनती जा रही हैं। चूंकि अंग्रेजी तथा अन्य व्यावसायिक भाषाओं का प्रचलन बढ़ा है तथा ये सभी एक विकल्प उपलब्ध करा रही हैं जिससे एक बड़ी आबादी अपनी स्थानीय भाषाओं को छोड़कर इनके तरफ आकर्षित हो रही हैं। यही नहीं अब चाहे गांव हो या शहर हर तरफ व्यावसायिक शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन स्थानीय भाषाओं का विकास तेजी से पीछे होते जा रहा है और ये विलुप्त होती जा रही हैं। इसके अलावा बढ़ता शहरीकरण और औद्योगिकीकरण भी इनके समाप्ति का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा वैश्वीकरण के दौर में वैसी भाषा का चुनाव किया जा रहा है जो उनके रोजगार के लिए लाभदायक होता है।

तकनीकी का प्रसार: वर्तमान समय में लोगों के जीवन में जिस तरीके से तकनीकी का बोलबाला बढ़ते जा रहा है उसे देखते हुए स्थानीय भाषाओं को बचा पाना बड़ा मुश्किल कार्य हो गया है। आज के दौर में इंटरनेट जीवन का हिस्सा बनते जा रहा है। चूंकि इंटरनेट का प्रसार व प्रचार स्थानीय भाषाओं में नहीं हो पा रहा जिससे कुछ

गिने-चुने भाषा में ही इसका लाभ मिल रहा है। सभी लोग विकास के दौर में आगे बढ़ना चाहते हैं इसलिए वे उन्हीं भाषाओं पर जोर दे रहे हैं जिनसे उन्हें तकनीकी फायदा मिल सके। परिणामस्वरूप स्थानीय भाषा विलुप्त होती जा रही है।

भाषा में क्लिष्टता: किसी भी भाषा के विलुप्त होने की एक वजह उसकी क्लिष्टता भी है। सिंधु घाटी की लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है, जो किसी युग में निश्चय ही जीवंत भाषा रही होगी। जब भी कोई भाषा अपने सहज स्वाभाविक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करने लगती है, तो वह क्लिष्ट बन जाती है और यही क्लिष्टता उसके जनसामान्य से कटने की वजह बनती है। इसी तरह महात्मा बुद्ध और महावीर की भाषा प्राकृत और पाली रही। इन्हीं भाषाओं में उनके लेख व उपदेश भी हैं, जो कि क्लिष्ट होने के कारण आम जन से कट गये। लैटिन, ग्रीक जैसी भाषाएं अपनी क्लिष्टता के कारण अवरुद्ध हो गई।

इसके अलावा इन जनजातीय समुदायों के जीवन में सरकार का भी हस्तक्षेप कम होता है। सरकार इनके भाषाओं को समृद्ध करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है जिससे कि ये भाषाएँ विलुप्त हो जाती हैं।

भाषा के संरक्षण की आवश्यकता क्यों

भारत में एक कहावत है कि 'कोस-कोस पर पानी बदले और तीन कोस पर वाणी'। अर्थात प्रत्येक एक कोस (3 किमी.) पर पानी की प्रकृति बदल जाती है ठीक इसी प्रकार प्रत्येक तीन कोस पर भाषा बदल जाती है। अतः इसकी महत्ता को समझते हुए विश्व की कोई भी भाषा चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों न हो उसे संरक्षित किया जाना चाहिए।

भाषा किसी भी सभ्यता व संस्कृति तथा उसके रहन-सहन की पहचान होती है। यदि किसी समुदाय की भाषा ही न बचे तो उसके बारे में जानना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो जाता है। ईसाइयों और यहूदियों के धर्मग्रन्थों की मूल भाषा हिब्रू थी जो अब इस्तेमाल में नहीं है, इसी तरह पाली, प्राकृत सहित कई भाषाओं ने अपना अस्तित्व खोया है। इन्हें संरक्षित नहीं करने का ही परिणाम है कि इनके मूल ग्रन्थों में क्या कहा गया है यह जानना बड़ा मुश्किल है।

उल्लेखनीय है कि जब किसी भी समुदाय की भाषा को नहीं जाना जाता है तो उस समुदाय के बारे में सही जानकारी भी नहीं मिल पाती है और स्वतंत्र टिप्पणी कर जो लिखते और कहते हैं उन्हें ही सत्य मान लिया जाता है। इसलिए यदि सही अर्थों में किसी संस्कृति की प्रगाढ़ता को समझना है तो उनकी भाषा को समझना और संरक्षित करना अति आवश्यक है।

लोकतंत्र के समुचित विकास के लिए विभिन्न भाषाओं का समृद्ध होना बहुत जरूरी है क्योंकि इन भाषाओं के माध्यम से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक की समस्या को आसानी से जाना जा सकता है और उसके निराकरण के लिए कार्य किया जा सकता है। भारत में अभी भी कई ऐसे समुदाय हैं जिनकी भाषा को सही तरीके से समझा नहीं गया है। यदि वे विलुप्त हो जाती हैं तो उनके बारे में जानना असंभव हो जाएगा। अतः इन भाषाओं का संरक्षण आवश्यक है।

किसी भी देश की एकता और अखण्डता के लिए आवश्यक है कि वहाँ के लोग मिल-जुल कर रहें। इसके लिए भाषा सर्वोत्तम माध्यम है ताकि लोग एक दूसरे से जुड़ सकें व अपनी पहचान को बता सकें इसलिए भी भाषाओं को संरक्षित करना आवश्यक है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त होता है।

यदि स्थानीय भाषा को संरक्षण मिलता है तो उन आदिवासी लोगों के अधिकार को भी संरक्षित किया जा सकता है जो अपनी बातों को किसी दूसरे भाषा में नहीं कह पाते है। इससे समाज का समावेशी विकास हो पाता है।

जब स्थानीय भाषा समृद्ध होती है तो उस क्षेत्र में विकास तेज गति से होता है और वहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त होता है जिससे कि शांति स्थापित होती है। इससे देश के विकास में सबका समान रूप से सहयोग प्राप्त होता है।

निष्कर्ष

भाषा जो अपने समाज की प्रतिबिम्ब होती है, यदि वह संरक्षित व सुरक्षित नहीं रहेगी तो प्रतिबिम्ब की कल्पना नहीं की जा सकती है। लुप्त हो रही भाषाओं पर सिर्फ चिंता व्यक्त करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है बल्कि सरकार को इसके संरक्षण के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए इन भाषाओं को मुख्यधारा में लाना होगा, इन भाषाओं पर रिसर्च करना होगा, स्कूली स्तर पर इन्हें बढ़ावा देना होगा, इन्हें रोजगार परक बनाना होगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए इन्हें तैयार करना होगा तथा इन भाषाओं का सरलीकरण करना होगा आदि के माध्यम से सरकार और समाज दोनों मिलकर स्थानीय भाषाओं को बचा सकते हैं।

यही नहीं आदिवासी समुदाय की उचित जनगणना करके यह पता लगाया जा सकता है कि आदिवासियों की स्थिति क्या है और उनकी भाषाएँ किस हद तक विलुप्ति के कगार पर हैं। यदि किसी भी क्षेत्र की संस्कृति, परिवेश, अस्मिता, खान-पान और रहन-सहन को संरक्षित करना है तो वहाँ की भाषाओं को संरक्षित करना आवश्यक है। इसके लिए सरकार और नागरिकों को आगे आना होगा जिससे कि भाषाएं संवृद्ध और संरक्षित रह सकें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता।

■

7. मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम : भ्रष्टाचार पर बढ़ता शिकंजा

चर्चा का कारण

हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) पर लगाम लगाने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई। प्रस्तुत संशोधन धन शोधन के मामलों से निपटने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मजबूत करने पर बल देता है।

प्रावधान के प्रमुख बिन्दु

- वर्तमान संशोधन मनी लॉन्डिंग को स्वमेव अपराध की श्रेणी में रखता है। उल्लेखनीय है कि अब तक धन शोधन को स्वतंत्र अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता था बल्कि यह किसी अन्य अपराध पर निर्भर करता था जिसे 'पूर्वगामी अपराध' या अनुसूचित अपराध के रूप में जाना जाता है।
- प्रस्तुत संशोधन समत्तियों को भी आपराधिक श्रेणी में मानता है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित अपराध से संबंधित गतिविधियों से प्राप्त की गयी है।
- विदित हो कि जो अपराध धन शोधन निवारण (अधिनियम, 2002 की धारा 2(1)

(वाई) में सूचीबद्ध होते हैं उसे ही अनुसूचित अपराध कहा जाता है। इस अपराध को दो भागों में बांटा गया है- भाग ए और भाग सी।

- भाग ए में 28 पैराओं में अनुसूचित अपराध को सूचीबद्ध किया गया है, जबकि भाग सी में सीमा पार से संबंधित अपराधों को रखा गया है।
- मनी लॉन्ड्रिंग बिल में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन धारा 17 (तलाशी और गिरफ्तारी) और धारा 18 की उपधारा (1) के प्रावधानों को हटाया जाना है। उल्लेखनीय है कि इन प्रावधानों में व्यवस्था थी कि PMLA Act के अंतर्गत अधिसूचित अपराधों में से किसी भी अपराध में जाँच करने से पहले सक्षम एजेंसी के लिए चार्जशीट या दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट का होना अनिवार्य होता था।
- सरकार द्वारा प्रस्तुत अधिनियम को धारा 45 में संशोधन करते हुए एक स्पष्टीकरण को अलग से जोड़ा गया है। इस स्पष्टीकरण के मुताबिक अब धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अन्तर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती माने जायेंगे। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय कुछ शर्तों के अधीन बिना किसी वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर सकेंगे।
- प्रस्तुत संशोधन धारा 72 के तहत केन्द्र में एक अंतर मंत्रालयी समन्वय समिति गठन करने का प्रावधान करती है जो धन शोधन और आतंकवाद रोधी वित्तपोषण की पहल पर परामर्श हेतु नीतिगत और संचालन स्तर पर सहयोग के लिये विभागीय और अंतर एजेंसी समन्वय हेतु जिम्मेदार होगी।

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate)

यह राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक विशेष वित्तीय जाँच एजेंसी है।

पृष्ठभूमि

मनी लॉन्ड्रिंग' शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में अपराधिक समूह से उत्पन्न हुई थी। आपराधिक समूहों ने जबरन वसूली, जुआ आदि से भारी मात्रा में कमाई की और इस पैसे को वैध स्रोत (जैसे लाउन्डोमेट्स) के रूप में दिखाया। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1980 के दशक में मनी लॉन्डिंग एक चिंता का विषय बन गया था। भारत में, 'मनी लॉन्ड्रिंग' को लोकप्रिय रूप में हवाला लेनदेन के रूप में जाना जाता है। भारत में यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय 1990 के दशक के दौरान हुआ जब इसमें कई नेताओं के नाम उजागर हुए थे।

मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है

मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में परिवर्तित करना है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश में लगाया जाता है कि जाँच करने वाली एजेंसियां को भी धन के मुख्य स्रोत का पता लगाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, जो व्यक्ति इस प्रकार के धन की हेरा-फेरी करता है, उसे "लाउन्डर" (The launderer) कहा जाता है। विदित हो कि लॉन्डरिंग पैसे की प्रक्रिया में तीन चरण शामिल होते हैं-

1. प्लेसमेंट (Placement)
2. लेयरिंग (Layering)
3. एकीकरण (Integration)

- पहले चरण का संबंध नगदी के बाजार में आने से होता है। इसमें लाउन्डरर (The launderer) अवैध तरीके से कमाए गए धन को वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों या अन्य प्रकार के औपचारिक या अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों में नगद रूप में जमा करता है।
- "मनी लॉन्ड्रिंग" में दूसरा चरण 'लेयरिंग' अर्थात् धन छुपाने से सम्बंधित होता है। इसमें लाउन्डर लेखा किताब (Book of accounting) में गड़बड़ी करके और अन्य संदिग्ध लेनदेन करके अपनी असली आय को छुपा लेता है। लाउन्डर, धनराशि को निवेश के साधनों जैसे कि बांड, स्टॉक, और ट्रैवेलर्स चेक या विदेशों में अपने बैंक खातों में जमा करा देता है। यह खाता अकसर ऐसे देशों की बैंकों में खोला जाता है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियानों में सहयोग नहीं करते हैं।
- एकीकरण मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। जिसके माध्यम से बाहर भेजा गया पैसा या देश में खपाया गया पैसा वापस लाउन्डरर के पास वैध धन के रूप में आ जाता है। ऐसा धन अकसर किसी कंपनी में निवेश, अचल संपत्ति खरीदने, लक्जरी सामान खरीदने आदि के माध्यम से वापस आता है।

चुनौतियाँ

मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी राष्ट्र के लिए घातक होता हैं। इससे उत्पन्न चुनौतियों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है।

- सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं के दृष्टिकोण से मनी लॉन्ड्रिंग अपराधिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी करता है। इसकी सफलता अपराधियों को अवैध काम के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसका खामियाजा समाज को भुगतान पड़ता है।
- मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। दरअसल इससे देश की अर्थव्यवस्था में ब्याज दर, मुद्रा विनियम दर तथा मुद्रास्फिति बढ़ती है।
- मनी लॉन्डिंग से समाज में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। इससे भ्रष्ट आचरण से प्राप्त धन के वैध हो जाने की संभावना होती है।
- विदेशी निवेश के संदर्भ में राउण्ड ट्रिपिंग की संभावना बढ़ जाती है अर्थात् काले धन को विदेशों में शोषित करके वापस निवेश हेतु लाना सहज हो जाता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
- हवाला कारोबार को प्रोत्साहन मिलता है।
- अवैध स्रोतों से प्राप्त धन के वैध होने पर उपभोगवादी संस्कृति को व्यापक समर्थन मिलता है। नतीजतन संसाधनों पर दबाव बढ़ता है।
- इसके अतिरिक्त वैध लघु व्यापारी मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अग्रणी व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने उत्पादों को कम दाम पर बाजार में नहीं बेच पातें हैं।

सरकारी प्रयास

भारत सरकार धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में दुनिया भर में जो कोशिशें की जा रही हैं, उनमें अपनी भागीदारी निभा रही है। जिसको निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- धन शोधन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए जब पेरिस में 1989 में हुए जी-7 समिट में धन शोधन पर 'फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स' (एफएटीएफ) का गठन किया गया तब भारत ने इसमें बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

- धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में पारित प्रस्तावों पर भारत ने हस्ताक्षर किया है। उदाहरण के लिए-
    1. आतंकवाद का वित्त पोषण रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन (1999)।
    2. अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन (2000): और
    3. भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन (2003)
- इसी तरह 8 से 10 जून 1998 को सम्पन्न हुए संयुक्त राष्ट्र आम सभा के एक विशेष सत्र में एक राजनैतिक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इस घोषणा पत्र पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया। उल्लेखनीय है कि इसमें सदस्य देशों से धन शोधन के विरुद्ध कार्यक्रम तैयार करने को कहा गया।
- मनी लॉन्ड्रिंग के दिन प्रतिदिन बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय संसद ने एक विशेष विधेयक के जरिए धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए 2002) नामक विशेष कानून बनाया। इस कानून को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए इसमें 3 बार संशोधन (2005, 2009 और 2012) किया गया। 2012 के आखिरी संशोधन को जनवरी 3, 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी और यह कानून 15 फरवरी से लागू हो गया था। उल्लेखनीय है कि अधिनियम के प्रावधानों की अकसर समीक्षा की जाती है और समय-समय पर विभिन्न संशोधन भी पारित किये जाते हैं, जिसकी पुष्टि हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा PMLA Act में संशोधन की अधिसूचना से भी होती है।
- पीएमएलए (संशोधन) अधिनियम, 2012 में अपराधों की सूची में धन को छुपाना (concealment), अधिग्रहण (acquisition) कब्जा (possession) और धन का क्रिमिनल कामों में उपयोग (use of proceeds of crime) इत्यादि को शामिल किया गया है।
- ध्यान योग्य बात है कि PMLA, 2002 में आरबीआई, सेबी और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) को पीएमएलए के तहत लाया जा चुका है और इसलिए इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।
- यह कानून जम्मू-कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत में लागू है। अधिनियम की प्रस्तावना में बताया गया है कि यह कानून धन शोधन की रोकथाम के लिए है और अवैध रूप से कमाई गई सम्पत्ति (धन) को जब्त करने का अधिकार देता है, जो धन शोधन या इससे जुड़ी गतिविधियों से अर्जित की गई हो।
- ज्ञातव्य है कि मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करने वाले प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत धन शोधन के अपराध के मामलों की जांच करने का दायित्व सौंपा गया है।
- इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने भारतीय वित्तीय आसूचना इकाई भारत (एफआईयू-इंडिया), को राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय राष्ट्रीय अभिकरण, प्रवर्तन अभिकारणों और विदेशी वित्तीय आसूचना ईकाइयों के संबंध में संदिग्ध वित्तीय कारोबारों से संबंधित सूचना प्राप्त करने, प्रक्रिया चलाने, विश्लेषण करने और उसके फैलाव के बारे में जांच करने का उत्तरदायित्व दिया है।

अन्य प्रयास

सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने के लिए कुछ कार्यनीतियों को अंगीकार किया है जो निम्नलिखित हैं:

1. काले धन के खिलाफ विश्वस्तरीय अभियान में शामिल होना। उदाहरण के लिए जी-20, कर प्रयोजनों के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान के लिए विश्वस्तरीय मंच, वित्तीय एकता और आर्थिक विकास पर कार्यबल, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल आदि मौकों पर शामिल होना।
2. एक उपयुक्त कानूनी ढांचा सृजित करना तथा प्रत्यक्ष कर संहिता, नए दोहरे कराधन के परिहार संबंधी करारों और कर सूचना के आदान-प्रदान करारों में संशोधन करना।
3. अवैध निधियों से निपटने के लिए संस्थाओं की स्थापना करना।
4. कार्यान्वयन के लिए प्रणालियों का विकास करना।

गौरतलब है कि इन उपायों ने परिणाम देना शुरू कर दिया है लेकिन सरकार विभिन्न कारणों से विदेशी बैंकों आदि में जमा धन वापस लाने में कठिनाइयों का सामना कर रही है जैसे विदेश में रखे काले धन के आधिकारिक अनुमानों का उपलब्ध न होना, विदेशी बैंकों में अवैध धन रखने वाले खाता धारकों की पहचान का अभाव इत्यादि। हाल ही में भारत ने विभिन्न देशों में वित्तीय सूचना प्राप्त करने के लिए समझौते किए हैं जिससे विदेशों में भारतीय नागरिकों द्वारा छिपाए गए काले धन पर सूचना मिलने लगी है तथा उन पर कार्रवाई जारी है।

अपने प्रयासों के तहत सरकार द्वारा एक-पृथक सेल- 'सेल फॉर कम्बेटिंग ऑफ फंडिंग ऑफ टेरिज्म' गृह मंत्रालय के अधीन गठित किया गया है। विदित हो कि गृह मंत्रालय ने ही आतंकवाद के वित्तपोषण एवं जाली मुद्रा के मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए 2010 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में एक टेरर फंडिंग एण्ड फेक करेंसी सेल (ओआईएफएफसी) का गठन भी किया था।

आगे की राह

- निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि देश में मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या बहुत ही गंभीर हो चुकी है। और यदि समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो यह बलवती होती जाएगी। इसके लिए नितांत जरूरी है कि भारत सरकार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काले धन को नियंत्रण में लाने के यथासंभव प्रयास करे तथा देश के कर कानूनों में सुधार लाए। इस संदर्भ में कुछ सुझावों को यहाँ अमल में लाया जा सकता है।
- देश में कर संबंधी कानूनों में एकरसता, सरलता एवं साम्य स्थापित किया जाए।
- मनी-लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया काफी जटिल और चालाकी भरी होती है जिसको रोकने के लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना चाहिए।
- मनी-लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए फास्ट ट्रेक अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए। यदि मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला इत्यादि के मामले में अपराधियों को शीघ्रातिशीघ्र सजा मिले, तो इस तरह के अपराध कम हो जायेंगे। मनी-लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक पारदर्शी प्रशासन निभा सकता है। इसके लिए सरकार को मौजूदा संस्थानों को सशक्त बनाना चाहिए।
- एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून को मजबूत बनाना चाहिए दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप

से कमाए गए काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया होती है। भारत में हाल ही में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून, 2002 को सशक्त बनाने के लिए उसमें संशोधन किया गया है साथ ही ज्यादा संस्थानों को इसके दायरे में लाया गया है जो एक सराहनीय कार्य है।

- मनी-लॉन्ड्रिंग के प्रसार को रोकने के लिए भारत वैश्विक मुहिम में शामिल हुआ है तथा सूचनाएँ बांटने के लिए कई देशों के साथ समझौता भी किया है। वर्ष 2010 में भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फॉर्स (FATF) का 34वां सदस्य बना। एफ.ए.टी.एफ. विश्व स्तर पर सरकारों द्वारा स्थापित संस्था है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी संगठनों को धन के अंतरण के लिए बैंकिंग प्रणालियों के इस्तेमाल को रोकने के तौर-तरीकों के मानक का निर्धारण और इससे जुड़ी नीतियों के विकास और प्रोत्साहन का कार्य करती है। भारत को चाहिए कि अगामी समय में भी इसी तरह के पहलों को बढ़ावा दें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. जलवायु परिवर्तन और भूमि : आईपीसीसी की विशेष रिपोर्ट

प्र. 'जलवायु परिवर्तन और भूमि' नामक रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में आगाह करती है और इस चुनौती से निपटने के लिए अनुकूलीकरण और कार्बन उत्सर्जन घटाने की रणनीतियाँ साझा करती हैं। विश्लेषण कीजिए।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) के विशेषज्ञों ने 'जलवायु परिवर्तन और भूमि' (Climate Change and Land) के विषय पर एक नई रिपोर्ट पेश करते हुए यह बताया है कि भूमि की उर्वरक शक्ति प्रभावित होने से विश्व के सामने खाद्य संकट उत्पन्न होने का खतरा मंडरा रहा है।

पृष्ठभूमि

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर्सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि के प्रति इंसानी दृष्टिकोण ने जलवायु संतुलन को कम करने का काम किया है। हालांकि वानिकी लंबे समय से कार्बन सिंक बनाने पर ध्यान दे रही है, लेकिन खाद्य वस्तुओं की खपत, कृषि की आधुनिक प्रणाली और मरुस्थलीकरण ने जलवायु परिवर्तन को बढ़ाया है। आईपीसीसी की यह रिपोर्ट 8 अगस्त 2019 को जारी की गई।

आईपीसीसी की रिपोर्ट

- वर्ष 2018 में, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर अंतर्सरकारी पैनल (IPCC) ने कहा था कि 2030 तक पृथ्वी के औसत तापमान में पूर्व-औद्योगिक स्तरों से ऊपर 1.5 डिग्री सेल्सियस की औसत वृद्धि होगी, जिससे अत्यधिक सूखे, जंगलों में आग, बाढ़ और करोड़ों लोगों के लिए खाद्यान्न की कमी का खतरा बढ़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन के विशिष्ट पहलुओं की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए सरकारों द्वारा इन रिपोर्टों की माँग की गयी थी।

वर्तमान परिदृश्य

- इस रिपोर्ट में बताया गया है कि खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) का अनुमान है कि लगभग 4.4 गीगाटन खाने की वस्तुएँ खराब की गई, जो 2011 में कुल कार्बन उत्सर्जन का 8 फीसदी था। साथ ही खाने-पीने की आदत में बदलाव करके 1.8 से 3.4 गीगाटन कार्बन डाईऑक्साइड सालाना कम किया जा सकता है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में सुधार करने के नाम पर जिन तकनीकों का सहारा लिया गया, उससे हालात सुधरने की बजाय बिगड़े हैं, खासकर उससे जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ा है। रिपोर्ट में विकासशील देशों में छोटी जोत को कृषि क्षेत्र के लिए चुनौती बताया गया है।

प्रमुख कारण

- वनों की कटाई और अव्यवस्थित कृषि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। वनों की कटाई और अव्यवस्थित कृषि प्रणाली वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने और ग्रीनहाउस गैसों की विशाल मात्रा में उत्सर्जन करने की भूमि की क्षमता को कमजोर करती है। गौरतलब है कि जब भूमि का क्षरण होता है, तो यह कार्बन को ग्रहण करने की मिट्टी की क्षमता को कम कर देती है और यह जलवायु परिवर्तन को बढ़ा देती है। जलवायु परिवर्तन कई अलग-अलग तरीकों से भूमि क्षरण को बढ़ावा देता है। आज के दौर में 500 मिलियन लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो मरुस्थलीकरण से प्रभावित हैं।

आगे की राह

- आईपीसीसी रिपोर्ट किसी भी नीति के लिए निर्देश नहीं पेश करता है। वे कार्रवाई के सर्वोत्तम पाठ्यक्रम की सिफारिश भी नहीं करते हैं। इसके बजाय, वे केवल भिन्न-भिन्न देशों द्वारा विभिन्न धारणाओं के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संभावित मार्ग प्रदान करते हैं। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2050 तक कृषि और पशुधन गतिविधियों से प्रति वर्ष 2.3 और 9.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड से बचना संभव हो पाएगा। इसी प्रकार लोगों की आदतों में बदलाव लाकर वर्ष 2050 तक प्रत्येक वर्ष 8 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर बचना संभव हो पाएगा।

■

2. राज्य से केन्द्रशासित प्रदेश की ओर : जम्मू कश्मीर के विशेष संदर्भ में

प्र. केंद्रशासित प्रदेशों के गठन के कारणों की चर्चा करते हुए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- संसद के दोनों सदनों में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पास होने के बाद जिसपर राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसके परिणामस्वरूप अब जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बाँट दिया गया है।

परिचय

- **संघ राज्य क्षेत्र:** मूल संविधान के अंतर्गत भारत में चार प्रकार के राज्यों यथा-A, B, C तथा D का गठन किया गया था। 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से 7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 पारित किया गया। इस संशोधन द्वारा राज्यों के उक्त चार वर्गों को समाप्त कर दिया गया तथा उन्हें दो वर्गों-(1) राज्य (State), (2) संघ राज्य (The Union Territories) में रखा गया। वर्तमान में भारतीय संघ के तहत कुल 28 राज्य तथा 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए हैं।

केंद्रशासित प्रदेश के गठन के कारण

- भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्रशासित प्रदेशों में सीधे-सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत के राष्ट्रपति हर केंद्रशासित प्रदेश का एक 'सरकारी प्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर)' या 'उप-राज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर)' नामित करते हैं।
- सांस्कृतिक कारणों से भी केंद्रशासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। कई बार किसी जगह की खास सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए उन्हें केंद्रशासित प्रदेश बना दिया जाता है, उदाहरणस्वरूप दमन व दीव, दादर व नागर हवेली और पुदुचेरी।
- राजनैतिक और प्रशासनिक कारणों से भी केंद्रशासित प्रदेश बनाये जाते हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ इसके उदाहरण हैं।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

- नया राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश बनाने से पहले उन राज्यों की स्थिति का जायजा लिया जाना चाहिए, जो बड़े-बड़े दावों के आधार पर बनाए गए थे। यह आकलन का विषय है कि मूल प्रदेश से अलग होने के बाद लद्दाख क्या उन राज्यों में शामिल होगा जहाँ क्रांतिकारी बदलाव आए? निर्माण के दशकों बाद भी जम्मू-कश्मीर विकास की बाट जोह रहा है। आंकड़ों के आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि यूपी से अलग होने के बाद उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई।

आगे की राह

- भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के खण्ड 1 के सिवाए अन्य उपबंधों को हटाने और राज्य को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेह-लद्दाख में ऐतिहासिक माना जा रहा है। नेता और धार्मिक संस्थाएँ भी इसका स्वागत कर रही हैं। दरअसल लद्दाख में बहुत सालों से इसकी माँग की जा रही थी।
- अत: आवश्यकता इस बात की है कि सरकार वहाँ के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए और उनमें विश्वास बहाली करने के लिए आधारभूत संरचना जैसे कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित करें ताकि जिस उद्देश्य के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2019 बनाया है, उसकी सार्थकता सिद्ध हो सके।

■

3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 : एक अवलोकन

प्र. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों की चर्चा करते हुए यह बतायें कि यह उपभोक्ता संरक्षण के लिए किस प्रकार सहयोगी होगा?

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में संसद ने ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 को अनुमति प्रदान कर दी है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात अब इसने कानून का रुप ले लिया है।

उपभोक्ता अधिकार

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास की ओर अग्रसर होने के कारण तकनीकी एवं उच्च विशेषता वाले असहज उत्पादों के निर्माण होने से उपभोक्ताओं में उनके उपभोग के लिए सस्ता एवं अच्छा उत्पाद के चुनाव के लिए व्यापक संशय उत्पन्न हो गया है। आधुनिक व्यापारिक तकनीकों और लुभावने विज्ञापनों पर विश्वास कर लोग वस्तु की खरीद तो करते हैं परन्तु यह उनके उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है। उपभोक्ताओं के हितों की देखरेख के लिए संगठनों के अभाव होने से यह समस्या और भी जटिल हो जाती है। इसी परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए संस्थागत प्रणाली की शुरूआत विभिन्न देशों में की गई जिन्हें उपभोक्ता अधिकार कहा जाता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की मुख्य विशेषताएँ

- इस बिल में उपभोक्ताओं के छह अधिकारों को स्पष्ट किया गया है।
- केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनका संरक्षण करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) का गठन करेगी।

दंड एवं उपचार का प्रावधान

- अगर कोई व्यक्ति जिला, राज्य या राष्ट्रीय आयोगों के आदेशों का पालन नहीं करता तो उसे कम से कम एक महीने और अधिकतम तीन वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है या उस पर कम से कम 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है जिसे एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है या उसे दोनों सजा भुगतनी पड़ सकती है।

निष्कर्ष

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है जिससे उपभोक्ताओं के संरक्षण की उम्मीद तेज हो गई है। इस विधेयक में परिवर्तन को लेकर काफी पहले से बहस चल रही थी जो अब जाकर पूर्ण हुई है। अब यह अधिनियम नागरिकों के हितों के संरक्षण में अपना सहयोग देगा। इसके तहत उपभोक्ताओं के शिकायतों की त्वरित गति से सुनवाई होगी जो सरकार की गुड गवर्नेंस के लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगा। इससे खराब गुणवत्ता वाले सामानों का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से भी मुक्ति मिलेगी क्योंकि यह कानून उन पर रोक लगाएगा।

■

4. हांगकांग पर चीन का बढ़ता हस्तक्षेप

प्र. प्रत्यर्पण विधेयक से आप क्या समझते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रस्तुत विधेयक हांगकांग के हितों को प्रभावित कर चीन के दबदबे को बढ़ा सकती है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में हांगकांग में हिसंक विरोध प्रदर्शन की स्थिति देखी गई। प्रदर्शनकारी हांगकांग सरकार के प्रत्यर्पण विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

विवाद का कारण

- साल 1997 में जब हांगकांग को चीन के हवाले किया गया था तब बीजिंग ने 'एक देश-दो व्यवस्था' की अवधारणा के तहत कम से कम 2047 तक लोगों की स्वतंत्रता और अपनी कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने की गारंटी दी थी। इसके चलते हांगकांग और चीन के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं हुई। लेकिन नए प्रत्यर्पण विधयेक ने स्वतंत्रता और अपनी कानूनी व्यवस्था के प्रति लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य

- प्रस्तुत विधेयक के संदर्भ में चीन का कहना है कि यदि ये संशोधन जल्द से जल्द पारित नहीं होता हैं तो हांगकांग के लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और शहर अपराधियों का अड्डा बन जाएगा।
- इसी तरह यूरोपीय संघ ने भी वर्तमान हांगकांग की स्थिति पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ब्रिटेन ने तो कहा है कि वह हर तरह की हिंसा का विरोध करता है लेकिन प्रशासन को भी समस्या की जड़ को समझना चाहिए।

आगे की राह

- निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्तमान युग में वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र एवं मानवाधिकार के व्यापक प्रसार तथा साम्यवाद के पराभव के बावजूद, एशिया के विशालतम राष्ट्र चीन में साम्यवादी व्यवस्था ही कायम है। आर्थिक क्षेत्र में चीन ने भले ही कुछ उदार नीतियाँ अपनाई हो किंतु राजनीतिक रूप से चीन का लोकतंत्र विरोधी रुख अभी भी कायम है।

■

5. ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी और उसका प्रभाव

प्र. वर्तमान में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी के कारण रोजगार में तीव्र कमी देखी जा रही है। इस कथन से आप कितना सहमत हैं? चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारतीय ऑटोमोटिव उपकरण निर्माता संघ (ACMA) ने कहा है कि देश के ऑटो सेक्टर में आर्थिक मंदी देखी जा रही है जिसके कारण लगभग 10 लाख लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ सकता है।

परिचय

- उद्योग संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के अनुसार पिछले तीन माह के दौरान ऑटोमोबाइल की खुदरा विक्रेताओं ने करीब दो लाख कर्मचारियों की छंटनी की है। फाडा के अनुसार, हाल की घटनाओं को देखते हुए निकट भविष्य में स्थिति में सुधार की संभावना नहीं दिख रही है साथ ही इस कारण आगे और भी शोरूम बंद हो सकते हैं। गौरतलब है कि वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट के बीच देशभर में वाहन डीलर बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं।

वर्तमान परिदृश्य

- गौरतलब है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की मौजूदा मंदी के बीज कुछ वर्ष पहले ही पड़ गए थे, जब सभी कार कंपनियाँ डीजल इंजन बनाने पर भारी भरकम निवेश कर रही थीं, तभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली एनसीआर में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला आया।

मंदी के कारण

- एनबीएफसी संकट, वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (जीएसटी), बीएस-6 ईंजन, ग्रामीणों की आय में कमी, मारुति की बिक्री में कमी और कर्ज देने में बैंक सुस्त आदि।

आगे की राह

- गौरतलब है कि इस समय सरकार को इस सेक्टर में फंडिंग बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही मार्केट में मुद्रा का प्रवाह बढ़ाने से ऑटो सेक्टर में आयी मंदी को टाला जा सकता है।
- इस उद्योग के सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी विकास और अधिग्रहण के लिए वित्त उपलब्ध कराने के साथ ही अनुसंधान पर भी रियायतें देना आवश्यक है।
- सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की परिभाषा को बदलने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेहतर परिभाषित प्रौद्योगिकी रोड मैप की जरूरत है।

■

6. क्षेत्रीय भाषाओं का विलुप्तिकरण : संरक्षण एवं संवर्द्धन की आवश्यकता

प्र. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2019 को देशीय भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इस संदर्भ में विभिन्न भाषाओं के विलुप्ति के कारणों का जिक्र करते हुए उनकी वर्तमान स्थिति को दर्शायें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2019 को 'देशीय भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' (International Year of Indigenous Languages) के रूप में घोषित किया गया है।

परिचय

- आधुनिक अर्थ में देशी भाषा से आशय देश में प्रचलित उन भाषाओं में से किसी एक से है जिनका उद्‌गम एवं विकास प्राकृत अथवा अपभ्रंश से हुआ हो अथवा जिनका उद्‌भव स्थानीय बोलियों के आधार पर प्रायः स्वतंत्र रूप से हुआ हो। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में इस तरह की बीसों देशी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इनमें से हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उड़िया आदि प्रथम (आर्यभाषाओं के) वर्ग में तथा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि द्वितीय (द्राविड़) वर्ग में आती हैं।

वर्तमान स्थिति

- भारत में 29 भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 1000000 (दस लाख) से ज्यादा है। भारत में 7 ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। भारत में 122 ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 10000 (दस हजार) से ज्यादा है।
- 2011 की जनगणना में भारतीयों भाषाओं के आंकड़ों के मुताबिक, 43.63 फीसदी लोगों की मातृभाषा हिंदी है। 2001 में 41.03 फीसदी लोगों की मातृभाषा हिन्दी थी। इस तरह 2001 से 2011 के बीच देश में हिन्दी बोलने वाले लोगें की संख्या ढाई फीसदी से ज्यादा बढ़ी है।

भाषा के विलुप्ति का कारण

- पलायन, जनसंख्या, आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी विकल्प के रूप में, तकनीकी का प्रसार और भाषा में क्लिष्टता आदि।

भाषा के संरक्षण की आवश्यकता क्यों

- भारत में एक कहावत है कि 'कोस-कोस पर पानी बदले और तीन कोस पर वाणी'। अर्थात प्रत्येक एक कोस (3 किमी.) पर पानी की प्रकृति बदल जाती है ठीक इसी प्रकार प्रत्येक तीन कोस पर भाषा बदल जाती है। अतः इसकी महत्ता को समझते हुए विश्व की कोई भी भाषा चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों न हो उसे संरक्षित किया जाना चाहिए।
- जब स्थानीय भाषा समृद्ध होती है तो उस क्षेत्र में विकास तेज गति से होता है और वहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त होता है जिससे कि शांति स्थापित होती है। इससे देश के विकास में सबका समान रूप से सहयोग प्राप्त होता है।

निष्कर्ष

- भाषा जो अपने समाज की प्रतिबिम्ब होती है, यदि वह संरक्षित व सुरक्षित नहीं रहेगी तो प्रतिबिम्ब की कल्पना नहीं की जा सकती है। लुप्त हो रही भाषाओं पर सिर्फ चिंता व्यक्त करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है बल्कि सरकार को इसके संरक्षण के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए इन भाषाओं को मुख्यधारा में लाना होगा, इन भाषाओं पर रिसर्च करना होगा, स्कूली स्तर पर इन्हें बढ़ावा देना होगा, इन्हें रोजगार परक बनाना होगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए इन्हें तैयार करना होगा तथा इन भाषाओं का सरलीकरण करना होगा आदि के माध्यम से सरकार और समाज दोनों मिलकर स्थानीय भाषाओं को बचा सकते हैं।

■

7. मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम : भ्रष्टाचार पर बढ़ता शिकंजा

प्र. धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) से आप क्या समझते हैं? इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को बताते हुए सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए पहलों की समीक्षा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) पर लगाम लगाने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई।

मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है

- मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में परिवर्तित करना है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका होता है।

प्रावधान के प्रमुख बिन्दु

- वर्तमान संशोधन मनी लॉन्डिंग को स्वमेव अपराध की श्रेणी में रखता है। उल्लेखनीय है कि अब तक धन शोधन को स्वतंत्र अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता था बल्कि यह किसी अन्य अपराध पर निर्भर करता था जिसे 'पूर्वगामी अपराध' या अनुसूचित अपराध के रूप में जाना जाता है।
- विदित हो कि जो अपराध धन शोधन निवारण (अधिनियम, 2002 की धारा 2(1) (वाई) में सूचीबद्ध होते हैं उसे ही अनुसूचित अपराध कहा जाता है। इस अपराध को दो भागों में बांटा गया है- भाग ए और भाग सी।
- भाग ए में 28 पैराओं में अनुसूचित अपराध को सूचीबद्ध किया गया है, जबकि भाग सी में सीमा पार से संबंधित अपराधों को रखा गया है।

चुनौतियाँ

- सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं के दृष्टिकोण से मनी लॉन्ड्रिंग अपराधिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी करता है। इसकी सफलता अपराधियों को अवैध काम के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसका खामियाजा समाज को भुगतान पड़ता है।
- मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। दरअसल इससे देश की अर्थव्यवस्था में ब्याज दर, मुद्रा विनियम दर तथा मुद्रास्फिति बढ़ती है।

आगे की राह

- निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि देश में मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या बहुत ही गंभीर हो चुकी है। और यदि समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो यह बलवती होती जाएगी। इसके लिए नितांत जरूरी है कि भारत सरकार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काले धन को नियंत्रण में लाने के यथासंभव प्रयास करे तथा देश के कर कानूनों में सुधार लाए। इस संदर्भ में कुछ सुझावों को यहाँ अमल में लाया जा सकता है।
- देश में कर संबंधी कानूनों में एकरसता, सरलता एवं साम्य स्थापित किया जाए।

■

सात ब्रेन बूस्टर्स

पीपीई अधिनियम, 2019

चर्चा का कारण

- **1.1** हाल ही में संसद ने सार्वजनिक परिसरों के सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 'सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2019' के नाम से एक नये अधिनियम को मंजूरी दे दी है।
- **1.2** नया अधिनियम 'सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2017' के स्थान पर लाया गया है।

पृष्ठभूमि

- **2.1** भारत सरकार का पीपीई अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों को बेदखल करना है।
- **2.2** हालांकि, बेदखली की कार्रवाई में असामान्य रूप से लंबा समय लगता है। इस वजह से नए लोगों के लिए सरकारी आवासों की उपलब्धता घट जाती है।
- **2.3** वर्तमान पीपीई अधिनियम, 1971, जिसमें पीपीई अधिनियम विधेयक, 2015 के जरिए संशोधन किया गया है, के तहत बेदखली की प्रक्रिया में लगभग 5 से 7 हफ्तों का समय लग जाता है।
- **2.4** हालांकि, अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों को बेदखल करने में बेहद लंबा समय, यहां तक कि कई वर्ष भी लग जाते हैं।
- **2.5** इस अधिनियम के तहत संपदा अधिकारी को नोटिस भेजने, कारण बताओ नोटिस भेजने और जांच करने जैसी लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना होगा, बल्कि वे तत्काल बिना किसी विलंब के बेदखली प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
- **2.6** यह देश के नागरिकों के लिए एक पारदर्शी और बाधा रहित गवर्नेंस के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला एक और महत्वपूर्ण निर्णय है।

कार्यान्वयन

- **3.1** नए अधिनियम में 'सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम, 1971' की धारा 2, धारा 3 और धारा 7 में संशोधन करने की बात कही गई है।
- **3.2** इसके लिए धारा 2 में अनुच्छेद (एफबी) से पहले अनुच्छेद (एफए), धारा 3 को धारा 3ए के नीचे एक नई धारा 3बी और 'सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम,1971' की धारा 7 के तहत उप-धारा (3) के नीचे एक नई उप-धारा 3ए जोड़ने की बात कही गई है।
- **3.3** प्रस्तावित संशोधनों से संपदा अधिकारी सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों की बेदखली के लिए बिना विलंब के कार्रवाई करने और मुकदमेबाजी की अवधि के दौरान सरकारी आवास पर कब्जा बनाए रखने के एवज में क्षति प्रभार लगाने में समर्थ हो जाएंगे।
- **3.4** इस विधेयक से सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों को तेजी से बेदखल करना और इसके साथ ही पात्र व्यक्तियों के लिए सरकारी आवासों की उपलब्धता बढ़ाना संभव हो जाएगा।
- **3.5** विधेयक के अधिनियम की धारा-7 में एक नई उप-धारा (3ए) सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति संपत्ति अधिकारी द्वारा निष्कासन के आदेश को किसी भी अदालत में चुनौती देता है तो उसे उसके द्वारा रखे गए आवास का हर महीने हर्जाना देना होगा।
- **3.6** मौजूदा कानून में एक कारण बताओ नोटिस और अपील प्रावधानों को शामिल करते हुए लंबी बेदखली प्रक्रिया है। इसलिए अनधिकृत कब्जा करने वाले को बेदखल करने में कई बार सालों लग जाते हैं।

प्रभाव

- **4.1** संशोधनों से सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों को बड़ी आसानी एवं तेजी से बेदखल करने में मदद मिलेगी और इस तरह से खाली होने वाले आवास प्रतीक्षा सूची में अपनी बारी का इंतजार कर रहे पात्र लोगों को आवंटन के लिए उपलब्ध हो जाएंगे।
- **4.2** इससे सरकारी आवास की सुविधा पाने की प्रतीक्षा अवधि कम हो जाएगी।

भारत छोड़ो आंदोलन

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ 8 अगस्त, 2019 को मनाई गई। हर साल 8 अगस्त को भारत में अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में

2.1 अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के असफल होने के लगभग चार महीने बाद ही स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का तीसरा जन आन्दोलन आरम्भ हो गया। इसे भारत छोड़ो आन्दोलन के नाम से जाना गया।

2.2 8 अगस्त, 1942 की शाम को बम्बई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में यह घोषित किया गया था कि अब भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत जरूरी हो गया है।

2.3 भारत छोड़ो आन्दोलन, द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 8 अगस्त, 1942 को आरम्भ किया गया था जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इस आन्दोलन का लक्ष्य भारत से ब्रितानी साम्राज्य को समाप्त करना था।

2.4 यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुम्बई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी काण्ड के ठीक सत्रह साल बाद 8 अगस्त सन 1942 को गांधीजी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरम्भ हुआ।

2.5 यह भारत को तुरन्त आजाद करने के लिये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आन्दोलन था। भारत छोड़ो का नारा युसुफ मेहर अली ने दिया था।

अगस्त-आन्दोलन का कारण

3.1 सर्वप्रथम क्रिप्स योजना से ब्रिटिश सरकार का रवैया स्पष्ट हो गया था। इंग्लैंड भारत में सही ढंग से संवैधानिक गतिरोध को दूर करना नहीं चाहता था।

3.2 क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से सरकार यह सिद्ध करना चाहती थी कि कांग्रेस भारत की आम जनता की प्रतिनिधि संस्था नहीं है। भारत में एकता का अभाव है। अतः सत्ता का हस्तान्तरण संभव नहीं है।

3.3 भारत पर जापानी आक्रमण की आशंका बढ़ गई थी। सिंगापुर, मलाया और बर्मा को छोड़ने के लिए अंग्रेजों को विवश हो जाना पड़ा। बंगाल छोड़ने के पहले सत्ता भारतीयों के हाथ में हस्तांतरित करने के लिए अगस्त-आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था।

3.4 बर्मा पर जापानी आक्रमण के समय शरणार्थियों के साथ अंग्रेजी सरकार ने भेदभाव की नीति अपनाई थी। भारतीयों को कष्टदायक स्थिति में रखा जा रहा था और भारतीय सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। भारतीयों के साथ ब्रिटिश सरकार के व्यवहार से क्षुब्ध होकर गाँधी ने अगस्त-आन्दोलन की घोषणा की।

3.5 पूर्वी बंगाल में सरकार ने आतंक का राज्य कायम कर रखा था। सैनिकों को रखने के लिए बलपूर्वक घर खाली करवा लिया गया था। बिना मुआवजा दिए भूमि अर्जित कर ली गई थी। सरकार की तानाशाही के विरोध में आन्दोलन प्रारम्भ करना आवश्यक हो गया था।

3.6 युद्धकाल में भारत की स्थिति संकटपूर्ण बन गई थी। मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई। कागजी मुद्रा का प्रचार हुआ। जन-साधारण का जीवनयापन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। अतः आर्थिक असंतोष हिंसक क्रान्ति का रूप ले सकता था। ऐसी अवस्था में गांधीजी ने भारत छोड़ो आन्दोलन की घोषणा की और भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए "करो या मरो" का मन्त्र दिया।

असफल प्रयास

4.1 हालाँकि अगस्त आन्दोलन (भारत छोड़ो आन्दोलन) सफल नहीं हो सका और भारत को स्वतंत्रता नहीं दिला सका। लेकिन फिर भी भारत के अन्य आन्दोलनों की तुलना में यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण साबित हुआ।

4.2 इस आन्दोलन ने जन-असंतोष को चरम बिंदु पर पहुँचा दिया। यह क्रान्ति अत्याचार और दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था जिसकी तुलना हम बास्तिल के पतन (fall of Bastille) या रूस की अक्टूबर क्रान्ति से कर सकते हैं।

प्रभाव

5.1 अहिंसा के इस आंदोलन में अंग्रेजी शासन की निर्ममता के चलते करीब 940 लोग मारे गए थे वहीं 1630 लोग घायल भी हुए थे।

5.2 60 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी दी। अंग्रेजी हुकूमत के दस्तावेजों के मुताबिक अगस्त 1942 से दिसंबर 1942 तक पुलिस और सेना ने प्रदर्शनकारियों पर 538 बार गोलियाँ चलाईं।

5.3 भले ही बापू के इस आंदोलन को आंशिक रूप से ही सफलता मिली हो लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। 1943 के अंत तक सारा देश संगठित हो गया।

5.4 अंत में हार मानकर ब्रिटिश सरकार ने संकेत दे दिया कि सत्ता हस्तांतरण कर उसे भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा तब जाकर गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया।

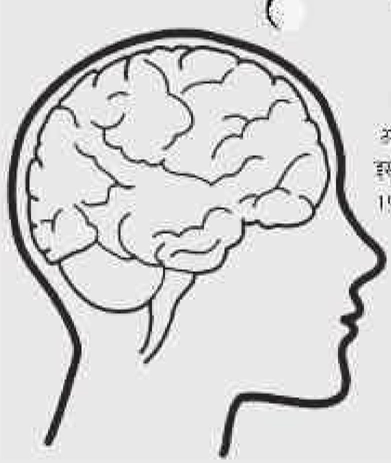

अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारत ने सिंगापुर में होने वाली मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि (UNISA) पर अपनी मंजूरी दे दी है।

क्या है UNISA?

2.1 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि को अपनाया था।

2.2 महासभा ने यह अधिकृत किया था कि यह कन्वेंशन 7 अगस्त, 2019 को सिंगापुर में होने वाले एक समारोह तक हस्ताक्षर के लिये खुला रहेगा और इसे 'सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिएशन' (Singapore Convention on Mediation) के रूप में जाना जाएगा।

2.3 यह संधि मध्यस्थता के परिणामस्वरूप होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों को लागू करने के लिये एक समान और कुशल तंत्र उपलब्ध कराती है।

2.4 इस संधि पर हस्ताक्षर से निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और विदेशी निवेशकों में वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution-ADR) पर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के पालन में भारत की प्रतिबद्धता को लेकर विश्वास पैदा होगा।

पृष्ठभूमि

3.1 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर, 2018 को मध्यस्थता (संधि) के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि को स्वीकार किया था। महासभा को 7 अगस्त, 2019 को सिंगापुर में होने वाले एक समारोह में समझौते पर हस्ताक्षर कराने के लिए अधिकृत किया गया था और इसे "मध्यस्थता पर सिंगापुर संधि" के नाम से जाना जाएगा।

3.2 यह संधि, मध्यस्थता के परिणामस्वरूप होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सुलह समझौतों को लागू करने के लिए एक समान और कुशल तंत्र उपलब्ध कराती है और विभिन्न पक्षों के लिए ऐसे समझौते, मध्यस्थता फैसले देने के लिए विदेशी पंचाट फैसलों को मान्यता देने और लागू कराने पर संधि (न्यूयॉर्क, 1958) से संबंधित तंत्र के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करती है।

3.3 यह संधि दो अतिरिक्त आधारों का भी वर्णन करती है, जिनके आधार पर एक अदालत राहत देने से इंकार कर सकती है। ये आधार इस वास्तविकता से संबंधित हैं कि एक विवाद का मध्यस्थता के द्वारा समाधान नहीं हो पाएगा या यह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है।

एडीआर व्यवस्था को प्रोत्साहन देने की पहल

4.1 भारत में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता को प्रोत्साहन देने के क्रम में मध्यस्थता के लिए एक व्यापक तंत्र विकसित करने के लिए सरकार एक वैधानिक संस्था के रूप में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र (एनडीआईएसी) स्थापित करने जा रही है।

4.2 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधन कर दिया गया है और मध्यस्थता व सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन के लिए वैधानिक प्रक्रिया फिलहाल जारी है।

4.3 इन पहलों का उद्देश्य भारत में मध्यस्थता और सुलह के एडीआर तंत्र के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के समाधान को प्रोत्साहन देना है।

4.4 कुछ चुनिंदा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में एक नया चैप्टर 3(ए) शामिल किया गया है। इस प्रकार 'संधि' के प्रावधान घरेलू कानूनों और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को मजबूत करने के प्रयासों के अनुरूप है।

पर्यावरण व सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क का मसौदा

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM) के लिए केन्द्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण व सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (ESMF) नामक मसौदा (Draft) जारी किया है।

क्या है ड्राफ्ट

2.1 इस ड्राफ्ट में तटीय क्षेत्रों में संभावित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए क्लीयरेंस हेतु आवेदन करने से पहले के दिशानिर्देश हैं।

2.2 इन दिशानिर्देशों का उपयोग करके तटीय राज्य विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दे सकते हैं तथा उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं।

2.3 इस दस्तावेज को सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट द्वारा तैयार किया गया है। अब तक केवल तीन राज्यों गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने विश्व बैंक के सहयोग से एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन (ICZM) के लिए योजनाएँ तैयार की हैं।

2.4 ड्राफ्ट को सोसायटी द्वारा एकीकृत तटीय प्रबंधन के लिए तैयार किया गया था, जो विश्व बैंक के समर्थन के साथ पर्यावरण मंत्रालय की एक संबद्ध संस्था है।

प्रमुख बिंदु

3.1 इस मसौदे में तटीय राज्यों के लिये समुद्र के आस-पास वाले क्षेत्रों में परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।

3.2 इस मसौदे का मुख्य उद्देश्य एकीकृत तटीय प्रबंधन दृष्टिकोणों (Integrated Coastal Management Approaches) को अपनाने और लागू करने के लिये सामूहिक क्षमता का निर्माण कर तटीय संसाधनों की दक्षता बढ़ाने में भारत सरकार की सहायता करना है।

3.3 इस संदर्भ में सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट (Society of Integrated Coastal Management- SICOM) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (Integrated Coastal Zone Management-ICZM) एक ही बार की जाने वाली कार्यवाही नहीं है बल्कि इसे एक सतत् प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिये।

मुख्य गतिविधियाँ

4.1 इस परियोजना में मैंग्रोव नवीकरण/आश्रय बेड, समुद्र-घास के मैदानों की बहाली, पेड़ों की पर्यावरण-बहाली, हैचरी के विकास, कछुए और अन्य समुद्री जानवरों के लिए बचाव/बचाव केंद्रों सहित आवासों के लिए निवेश शामिल हैं।

4.2 इसमें जलवायु लचीलापन या लवणता प्रतिरोधी कृषि को भी शामिल किया गया है। आधारभूत संरचना और सुविधाओं का निर्माण पर्यावरण-पर्यटन, समुदाय आधारित छोटे पैमाने पर कृषि, समुद्री शैवाल की खेती आदि को भी शामिल किया गया है।

विश्व बैंक

5.1 विश्व बैंक ऋण देने वाली एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना और विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के प्रयास करना है।

5.2 विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डी. सी. में है। इसकी स्थापना जुलाई 1945 को हुई थी। इसके कुल 189 सदस्य देश हैं। इसका आदर्श वाक्य "निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना" है।

एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन

6.1 एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन या एकीकृत तटीय प्रबंधन तटीय क्षेत्रों के प्रबंधन की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया धारणीयता की प्राप्ति के लिए तटीय क्षेत्रों के सभी पहलुओं, भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं को समाविष्ट करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह अवधारणा पहली बार 1992 में रियो डि जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अस्तित्व में आयी।

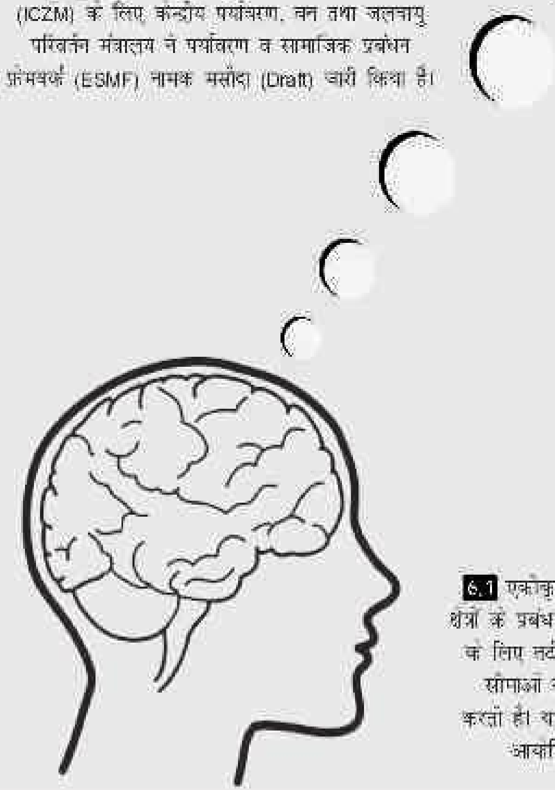

नर्मदा नदी जल विवाद

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में नर्मदा के पानी के मुद्दे पर, गुजरात सरकार और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश सरकार के बीच टकराव पैदा हो गया है।

1.2 उल्लेखनीय है कि सरदार सरोवर बांध पर बने दरवाजों की क्षमता की जांच करने के लिए गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को 138.68 मीटर के उच्चतम स्तर के लिए पानी की माँग की है, लेकिन मध्य प्रदेश द्वारा इसके बदले बिजली की माँग किए जाने के कारण दोनों राज्यों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

सरदार सरोवर बांध

2.1 सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवगाम के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है। यह बांध चार राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है।

2.2 यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्त्वाकांक्षी परियोजना थी जिसको संकल्पना को वर्ष 1960 के आसपास जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन इस परियोजना हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका।

2.3 वर्ष 1980 के आसपास विश्व बैंक की सहायता से इस परियोजना पर जमीनी कार्यवाही प्रारंभ की गई।

2.4 नर्मदा नदी दक्षिण-पश्चिम मालवा पठार के बाद एक लंबे गॉर्ज का निर्माण करती है। इस गॉर्ज का विस्तार गुजरात तक है जहाँ सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है।

वर्तमान स्थिति

3.1 सरदार सरोवर परियोजना में दो पावर हाउस, रिवर बेड पावर हाउस (RBPH:1200 MW) और कैनाल हेड पावर हाउस (250MW) शामिल हैं।

3.2 इसके तहत मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में 57:27:16 के अनुपात में बिजली साझा की जाती है।

3.3 गुजरात सरकार का कहना है कि जब तक पानी पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) तक नहीं पहुँचता है तब तक उत्पादन शुरू नहीं किया जा सकता है क्योंकि रिवर बेड पावर हाउस वर्ष 2017 से ही पानी की कमी के कारण बंद है।

3.4 रिवर बेड पावर की ऊँचाई 138.63 मीटर है जबकि वर्तमान में इसमें जलस्तर 129.65 मीटर है।

मध्य प्रदेश का तर्क

4.1 मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि अगर गुजरात सरकार बिजली नहीं देती है, तो पानी नहीं छोड़ा जाएगा।

4.2 मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि पानी का मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन करना था साथ ही गुजरात पानी का भंडारण भी कर सकता था।

4.3 मध्य प्रदेश सरकार ने अधूरे नियमों और विनियमों का हवाला देते हुए कहा कि यदि जलाशय का स्तर बढ़ता है, तो पुनर्वासित लोग और भी प्रभावित होंगे।

गुजरात का तर्क

5.1 गुजरात सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार नर्मदा के पानी पर राजनीति कर रही है क्योंकि वर्ष 2017 तथा वर्ष 2018 में गुजरात में वर्षा कम हुई है जिससे विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है।

5.2 गुजरात सरकार का कहना है कि उसकी प्राथमिकता बिजली उत्पादन नहीं बल्कि पेयजल और सिंचाई है।

5.3 सरकार का कहना है कि पानी की वर्तमान उपलब्धता बिजली उत्पादन के लिए अपर्याप्त है। यह तभी संभव है जब इस परियोजना से जुड़े राज्य उसका सहयोग करेंगे।

5.4 उसका कहना है कि रिवर बेड पावर हाउस बंद होने पर ही जलाशय भरना संभव है, क्योंकि बिजली के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले पानी का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है।

5.5 इस मुद्दे पर, गुजरात सरकार ने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के समक्ष यह मुद्दा रखने की तैयारी की है। वास्तव में, मध्यप्रदेश सरकार सरदार सरोवर बांध की 1450 मेगावाट पावर क्षमता की उच्च पावर से 57% पावर की माँग कर रही है।

सांसदों एवं विधायकों के लिए आचार संहिता

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में उपराष्ट्रपति ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि अपने घोषणापत्र में सांसदों और विधायकों सहित सभी जन प्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता को शामिल करें।

1.2 उल्लेखनीय है कि राज्यसभा सदस्यों के लिए एक ऐसी ही आचार संहिता 2005 से लागू है, किन्तु लोकसभा के लिए ऐसी कोई संहिता नहीं है।

परिचय

2.1 वर्ष 1964 में केन्द्रीय मंत्रियों के लिए एक संहिता अपनाई गई थी और राज्य सरकारों को भी सलाह दी गयी थी कि इसे वे भी अपनायें।

2.2 के.आर. नारायणन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी और 30 मई, 1997 को उन्होंने कहा था कि, "सदस्यों की नैतिकता एवं नैतिक आचरण की निगरानी करने के अलावा, नैतिक व अन्य दुर्व्यवहार के संदर्भ में संदर्भित मामलों की जाँच होनी चाहिए।

2.3 1999 में मुख्य न्यायाधीशों के एक सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के लिए आचार संहिता अपनाने का संकल्प पारित किया गया था।

लोकसभा में संहिता

3.1 लोकसभा में पहली नैतिकता समिति का गठन 16 मई, 2000 को किया जा सकता था जब जीएमसी बालयोगी स्पीकर थे। तब से यह मुद्दा हर लोकसभा में उठाया गया है। लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला।

3.2 लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में लोकसभा में प्रक्रिया और संचालन के नियमों के संशोधन के संबंध में नैतिकता समिति की रिपोर्ट 16 दिसम्बर, 2014 को स्पीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई, और 18 दिसम्बर, 2014 को सदन के पटल पर रखी गई।

3.3 5 अगस्त, 2015 को लोकसभा में, लोकसभा की नियम समिति की रिपोर्ट में इसकी सिफारिशें शामिल की गई थीं।

3.4 यह कहा गया कि नैतिकता समिति सदस्यों के लिए आचरण संहिता नियमबद्ध करेगी और समय-समय पर आचरण संहिता में संशोधन या परिवर्धन का सुझाव देगी। तब से यह मामला नैतिकता समिति के समक्ष लंबित है।

3.5 5 अगस्त, 2015 को पेश की गई नियम समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि "राज्यसभा पहले से ही अपने सदस्यों के हितों से संबंधित रजिस्टर को बनाये रख रही है। उपर्युक्त घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए समिति ने सिफारिश की है कि नैतिकता समिति, सुझाये गये सदस्यों के हितों की प्रकृति की जाँच के बाद ही उसे घोषित करेगा और लोकसभा के सदस्यों के हेतु उनके हितों के रजिस्टर के प्रारूप को बनाये रखेगी।" यह मामला भी नैतिकता समिति के समक्ष विचाराधीन है।

राज्य सभा के संहिता

4.1 नीतिशास्त्र समिति की प्रथम रिपोर्ट 15 दिसम्बर 1999 को अपनाई गई थी और समिति की आगामी रिपोर्ट में इसके फ्रेमवर्क को दोहराया गया था। चौथी रिपोर्ट राज्यसभा द्वारा 20 अप्रैल, 2005 को अपनाई गई थी और तब से सदन के सदस्यों के लिए 14 बिन्दु आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसमें शामिल हैं

4.1.1 यदि सदस्यों को ज्ञात होता है कि उनके निजी हितों और सार्वजनिक विश्वास के बीच कोई संघर्ष है, तो उन्हें ऐसे संघर्षों का समाधान करना चाहिए तथा समाधान इस प्रकार होना चाहिए कि उन्हें निजी हित उनके सार्वजनिक कर्तव्यों, दायित्वों के अधीन हों।

4.1.2 "सदस्यों को सदैव यह देखना चाहिए कि उनके निजी वित्तीय हितों और उनके नजदीकी परिवार के सदस्यों को इन संघर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ताकि जनहित को सर्वोपरि हो और यदि ऐसा कोई संघर्ष कभी उठता है, तो उन्हें ऐसे संघर्षों को इस प्रकार हल करना चाहिए, ताकि जनहित खतरे में न पड़े।"

4.1.3 सदस्यों को सदन के पटल पर वोट देने या न देने के लिए किसी प्रकार का शुल्क या लाभ न तो स्वीकार करनी चाहिए, न ही आशा करनी चाहिए। साथ ही विधेयक प्रस्तु करने, संकल्प को आगे बढ़ाने या संकल्प के आगे बढ़ने में व्यवधान डालने, प्रश्न पूछने या प्रश्न करने से रोकने या सदन की चर्चाओं में भाग लेने या किसी संसदीय समिति में भाग लेने के बदले किसी लाभ या पारिश्रमिक की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

4.1.4 राज्य की परिषदों में "प्रक्रिया और संचालन के नियम 293 में कहा गया है: " सदस्यों के हितों" से संबंधित एक रजिस्टर होगा, जिसका प्रारूप नैतिकता समिति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जो सदस्यों के निवेदन पर उनके निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा। यह आरटीआई अधिनियम के तहत सामान्य नागरिकों के लिए सुलभ है।

अन्य देशों में आचार संहिता

5.1 यूके में, सांसदों के लिए आचार संहिता, 19 जुलाई, 1995 के सदन के संकल्प के अनुसार तैयार की गई थी।

5.2 कनाडाई हाउस ऑफ कॉमन्स में एक अन्य सदस्य के अनुरोध पर या सदन के प्रस्तावित संकल्प या स्वयं की पहल पर हितों के संघर्ष सम्बन्धी संहिता के उल्लंघन के परीक्षण की शक्ति नैतिकता आयुक्त को प्रदान की गई है।

5.3 1972 से जर्मनी की संघीय सदस्यों के लिए आचार संहिता है। अमेरिका में 1968 से संहिता है। पाकिस्तान के सीनेट के लिए आचार संहिता है।

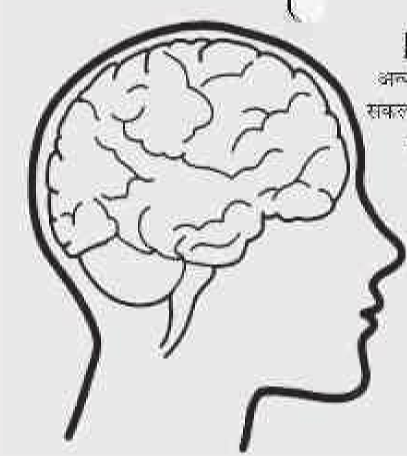

करेंसी मैनिपुलेशन

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में अमेरिका ने चीन को आधिकारिक तौर पर मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश (करेंसी मैनिपुलेटर) घोषित किया है।

पृष्ठभूमि

2.1 चीन में यह लम्बा इतिहास रहा है कि वह विदेशी विनिमय बाजार में व्यापक हस्तक्षेप करके अपनी मुद्रा का मूल्य नीचे रखता है।

2.2 अभी पिछले दिनों भी उसने अपनी मुद्रा के अवमूल्यन के लिए ठोस कदम उठाये हैं जबकि उसके पास विदेशी विनिमय का अच्छा-खासा भण्डार है।

2.3 युआन जब कमजोर होता है तो चीनी निर्यात सस्ता और अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक हो जाता है। अमेरिका इसी बात को लेकर चिंतित है।

2.4 अमेरिका ने चीन पर व्यापार में 'अनुचित प्रतिस्पर्द्धी लाभ' लेने के लिए युआन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। युआन चीन की मुद्रा है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले युआन की वैल्यू 7 से नीचे चली गई है।

2.5 ट्रंप ने 2016 में राष्ट्रपति चुनावी अभियान के दौरान चीन को मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश ठहराने का वादा किया था। लेकिन वित्त मंत्रालय ने यह कदम उठाने से इनकार करते हुए चीन को निगरानी सूची में डाल रखा था।

मुद्रा मैनिपुलेशन

3.1 अमेरिकी ट्रेजरी विभाग किसी देश को "मुद्रा मैनिपुलेटर" घोषित करने के लिये तीन मानदंडों का प्रयोग करता है

- 3.1.1 अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष 20 अरब डॉलर हो।
- 3.1.2 वर्तमान GDP का 3% चालू खाता अधिशेष हो।
- 3.1.3 एक वर्ष में देश से सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक विदेशी मुद्रा खरीदी गई हो।

3.2 अमेरिका का ट्रेजरी विभाग वर्ष में दो बार एक प्रतिवेदन प्रकाशित करता है जिसमें वैश्विक, आर्थिक एवं विनिमय दर से सम्बन्धित नीतियों की समीक्षा होती है।

3.3 इस प्रकार की घोषणा करके अमेरिका का ट्रेजरी विभाग उन देशों के प्रति ध्यान केन्द्रित करता है जिनका अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार अच्छा-खासा होता है और जिनका अमेरिकी और विश्व की अर्थव्यवस्था में अधिक महत्व होता है।

प्रभाव

4.1 1988 के विदेश व्यापार और प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम के अधीन अमेरिका को चीन से बात-चीत करनी होगी अथवा वह इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में ले जा सकता है। अमेरिका इस संदर्भ में जो दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है, वे हैं-

- 4.1.1 अमेरिका विकासशील देशों में निवेश करने वाली एजेंसी विदेश निजी निवेश निगम (Overseas Private Investment Corporation) को चीन को धनराशि देने से रोक सकता है। अमेरिका जो सरकारी खरीद करता है उसकी संविदाओं से वह चीन को बाहर रख सकता है।
- 4.1.2 अमेरिका के इस कदम से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार मोर्चे पर चल रहे टकराव के बढ़ने की आशंका है।
- 4.1.3 अमेरिका ने चीन की ओर से अपनी मुद्रा युआन को डॉलर के मुकाबले सात के स्तर से नीचे रखने की अनुमति देने के बाद यह कदम उठाया।
- 4.1.4 अब यह होगा कि दोनों देशों के बीच लेन-देन की बातें होंगी। वास्तव में इस प्रकार का वार्तालाप एक वर्ष पूर्व से ही आरम्भ हो चुका है।
- 4.1.5 अब अमेरिका नए सीमा शुल्क लाने पर विचार कर सकता है। उल्लेखनीय है कि "अमेरिका फर्स्ट व्यापार नीति" के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प पहले से ही अग्रसर हैं।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. पीपीई अधिनियम, 2019

प्र. पीपीई अधिनियम, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस अधिनियम में 'सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम, 1971' की धारा 2, धारा 3 और धारा 7 में संशोधन करने की बात कही गई है।
2. इस संशोधन से सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों को बड़ी आसानी एवं तेजी से बेदखल करने में मदद मिलेगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में संसद ने सार्वजनिक परिसरों के सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 'सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2019' के नाम से एक नये अधिनियम को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम में 'सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम, 1971' की धारा 2, धारा 3 और धारा 7 में संशोधन करने की बात कही गई है। इस संशोधन से सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों को बड़ी आसानी एवं तेजी से बेदखल करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार सभी कथन सही हैं। ■

2. भारत छोड़ो आंदोलन

प्र. भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अप्रैल, 1942 में क्रिप्स मिशन के असफल होने के लगभग चार महीने बाद ही स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का तीसरा जन आन्दोलन आरम्भ हो गया। इसे भारत छोड़ो आन्दोलन के नाम से जाना गया।
2. भारत छोड़ो आन्दोलन, द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 5 अगस्त, 1942 को आरम्भ किया गया था जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इस आन्दोलन का लक्ष्य भारत से ब्रितानी साम्राज्य को समाप्त करना था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के असफल होने के लगभग चार महीने बाद ही स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का तीसरा जन आन्दोलन आरम्भ हो गया, इसे भारत छोड़ो आन्दोलन के नाम से जाना गया। भारत छोड़ो आन्दोलन, द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 8 अगस्त, (न कि 5 अगस्त) 1942 को आरम्भ किया गया था जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इस आन्दोलन का लक्ष्य भारत से ब्रितानी साम्राज्य को समाप्त करना था। इस प्रकार कथन 2 गलत है जबकि कथन 1 सही है। ■

3. अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि

प्र. अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि को अपनाया था।
2. यह संधि मध्यस्थता के परिणामस्वरूप होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों को लागू करने के लिये एक समान और कुशल तंत्र उपलब्ध कराती है।
3. भारत में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता को प्रोत्साहन देने के क्रम में मध्यस्थता के लिए एक व्यापक तंत्र विकसित करने के लिए सरकार एक वैधानिक संस्था के रूप में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र (एनडीआईएसी) स्थापित करने जा रही है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में भारत ने सिंगापुर में संपन्न हुई मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि (UNISA) पर अपनी मंजूरी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि को अपनाया था। यह संधि मध्यस्थता के परिणामस्वरूप होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों को लागू करने के लिये एक समान और कुशल तंत्र उपलब्ध कराती है। इस प्रकार सभी कथन सही हैं। ■

4. पर्यावरण व सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क का मसौदा

प्र. पर्यावरण व सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क का मसौदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM) के लिए केन्द्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण व सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (ESMF) नामक मसौदा (Draft) जारी किया है।
2. इस मसौदे में तटीय क्षेत्रों में संभावित अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए क्लीयरेंस हेतु आवेदन करने से पहले के दिशानिर्देश हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM) के लिए केन्द्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण व सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (ESMF) नामक मसौदा (Draft) जारी किया है। इस मसौदे में तटीय क्षेत्रों में संभावित अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए क्लीयरेंस हेतु आवेदन करने से पहले के दिशानिर्देश हैं। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं।■

5. नर्मदा नदी जल विवाद

प्र. नर्मदा नदी जल विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवगाम के पास साबरमती नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है। यह बांध चार राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है।
2. नर्मदा नदी दक्षिण-पश्चिम मालवा पठार के बाद एक लंबे गॉर्ज का निर्माण करती है। इस गॉर्ज का विस्तार गुजरात तक है जहाँ सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है।
3. सरदार सरोवर मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में 57:27:16 के अनुपात में बिजली साझा की जाती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 3

उत्तर: (a)

व्याख्या: सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवगाम के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है। यह बांध चार राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है। नर्मदा नदी दक्षिण-पश्चिम मालवा पठार के बाद एक लंबे गॉर्ज का निर्माण करती है। इस गॉर्ज का विस्तार गुजरात तक है जहाँ सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। इसके तहत मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में 57:27:16 के अनुपात में बिजली साझा की जाती है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 और 3 सही हैं। ■

6. सांसदों एवं विधायकों के लिए आचार संहिता

प्र. सांसदों एवं विधायकों के लिए आचार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राज्यसभा सदस्यों के लिए आचार संहिता सन् 2005 से लागू है, किन्तु लोकसभा के लिए ऐसी कोई आचार संहिता नहीं है।
2. 1999 में मुख्य न्यायाधीशों के एक सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के लिए आचार संहिता अपनाने का संकल्प पारित किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: राज्यसभा सदस्यों के लिए एक आचार संहिता सन् 2005 से लागू है, किन्तु लोकसभा के लिए ऐसी कोई संहिता नहीं है। 1999 में मुख्य न्यायाधीशों के एक सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के लिए आचार संहिता अपनाने का संकल्प पारित किया गया था। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

7. करेंसी मैनिपुलेशन

प्र. करेंसी मैनिपुलेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अमेरिका ने चीन को आधिकारिक तौर पर मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश (करेंसी मैनिपुलेटर) घोषित किया है।
2. अमरीकी ट्रेजरी विभाग किसी देश को "मुद्रा मैनिपुलेटर" घोषित करने के लिये तीन मानदंडों का प्रयोग करता है जैसे- अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष 20 अरब डॉलर हो, वर्तमान GDP का 3% चालू खाता अधिशेष हो। एक वर्ष में देश से सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक विदेशी मुद्रा खरीदी गई हो।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में अमेरिका ने चीन को आधिकारिक तौर पर मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश (करेंसी मैनिपुलेटर) घोषित किया है। अमरीकी ट्रेजरी विभाग किसी देश को "मुद्रा मैनिपुलेटर" घोषित करने के लिये तीन मानदंडों का प्रयोग करता है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न-2019 से सम्मानित किया गया?

   -प्रणब मुखर्जी

2. हाल ही में किस राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना' शुरू करने को मंजूरी दे दी है?

   -उत्तर प्रदेश

3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) का अगला चरण 2020 से लेकर किस वर्ष तक पूरा किया जायेगा?

   -2025

4. हाल ही में किस देश ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की है?

   -पाकिस्तान

5. हाल ही में पारित हुए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार मोटर वाहनों से संबंधित दंड शुल्क में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि की जाएगी?

   -10%

6. हाल ही में ललित कला अकादमी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया?

   -65वाँ

7. हाल ही में किस राज्य ने मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के विरुद्ध विधेयक पारित किया?

   -राजस्थान

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. वर्तमान समय में आधार से जुड़ी वे कौन सी समस्याएँ हैं जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है? साथ ही यह भी बताएँ कि आधार कितना सुरक्षित है?

2. पूर्वोत्तर भारत में निजी निवेश का अभाव है और पूँजी निर्माण का स्तर निम्न है। इस संदर्भ में बताएँ कि यहाँ सुशासन की कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं?

3. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का लक्ष्य और मिशन सौर संसाधनों से समृद्ध देशों के बीच सहयोग के लिए मंच मुहैया कराना है। विश्लेषण कीजिए।

4. समावेशी विकास में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि विकास प्रक्रियाओं में सभी अधिकारविहीन और बहिष्कृत समूह हितधारक हों। चर्चा कीजिए।

5. क्या अनुच्छेद 370 के अप्रभावी होने से जम्मू-कश्मीर का विकास सुचारू रूप से हो सकेगा? तर्क सहित उत्तर दें।

6. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताएँ कि निर्वाचन आयोग स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में किन चुनौतियों का सामना कर रहा है?

7. नैनो क्रांति से आशा की जाती है कि आज की तुलना में आने वाले समय में संगणन करने की राह अरबों गुणा अधिक आसान बन जाएगी और यह ऐसे रोगियों का उपचार कर सकेगी जिनके बचने की आशा समाप्त हो गई हो। विश्लेषण कीजिए।

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर रोक लगाई

भारत द्वारा अनुच्छेद 370 में संशोधन किये जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्ध पर रोक लगा दी है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के उच्चायुक्त को वापस भेजने का निर्णय लिया है। अनुच्छेद 370 के मामले को पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में लेकर जाने की बात कर रहा है।

इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पारित किया, इसके द्वारा राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। क्षेत्रफल के हिसाब से जम्मू-कश्मीर देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होगा, जबकि लद्दाख क्षेत्रफल के आधार पर देश का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होगा।

भारत-पाक व्यापारिक सम्बन्ध

14 फरवरी, 2019 को पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' का दर्जा छीन लिया था। यह निर्णय 15 फरवरी, 2019 को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक में लिया गया था।

वित्त वर्ष 2018-19 में जनवरी से मार्च की अवधि के दौरान पाकिस्तान से आयात में 47% की कमी आई है, इसका मूल्य लगभग 53.65 मिलियन डॉलर है। मार्च, 2019 में भारत द्वारा पाकिस्तान को किये जाने वाले निर्यात में 32% की कमी आई, इसका मूल्य लगभग 171 मिलियन डॉलर है। वित्त वर्ष 2018-19 में भारत के निर्यात में 7.4% (लगभग 2 अरब डॉलर) की वृद्धि हुई है।

भारत ने पाकिस्तान के कपास, ताजा फल, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद तथा खनिज पर 200% आयात शुल्क लगाया था। मार्च 2019 में पाकिस्तान से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थीं : बुने हुए कपड़े, ऊन, कपड़े, वनस्पति मसाले, रसायन, मानव निर्मित तंतु तथा प्लास्टिक इत्यादि। ■

2. भारत रत्न पुरस्कार

हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जनसंघ के नेता नाना जी देशमुख और प्रख्यात गायक, संगीतकार भूपेन हजारिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नाना जी देशमुख और भूपेन हजारिका को यह सम्मान मरणोपरांत दिया जा रहा है।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में कोलकाता के छोटे से गांव मराठी में हुआ था, जोकि बीरभूम जिले में पड़ता है।

राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने देश में कई अहम जिम्मेदारियाँ संभाली, जिनमें वित्त मंत्रालय सहित कई अहम पद थे। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप में अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है।

प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में ही भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की अन्तिम किस्त नहीं लेने का गौरव अर्जित किया था। सन 1980-1984 के दौरान प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता की थी।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को इससे पहले 2008 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी सम्मान मिल चुका है।

कौन थे नानाजी देशमुख

नानाजी देशमुख को जनसंघ के संस्थापकों के रूप में याद किया जाता है। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन्हें मोरारजी देसाई के मन्त्रिमण्डल में शामिल किया गया था।

नानाजी का जन्म महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कडोली नामक छोटे से कस्बे में हुआ था।

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही भारत सरकार ने उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण स्वावलम्बन के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिये 1999 में पद्म विभूषण भी प्रदान किया था।

नानाजी देशमुख ने 95 साल की उम्र में चित्रकूट स्थित भारत के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय (जिसकी स्थापना उन्होंने खुद की थी) में कार्यरत रहते हुए अन्तिम सांस ली।

भूपेन हजारिका कौन थे

भूपेन हजारिका भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम से एक बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार और गायक थे। इसके अलावा वे असमिया भाषा के कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति और संगीत के अच्छे जानकार भी थे।

हजारिका का जन्म असम के तिनसुकिया जिले की सदिया में हुआ था। दस संतानों में सबसे बड़े, हजारिका का संगीत के प्रति लगाव अपनी माता के कारण हुआ, जिन्होंने उन्हें पारंपरिक असमिया संगीत की शिक्षा जन्म घुट्टी के रूप में दी।

हजारिका को साल 1975 में सर्वोत्कृष्ट क्षेत्रीय फिल्म के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार, 1992 में सिनेमा जगत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें 2009 में असोम रत्न और इसी साल संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड, 2011 में पद्म भूषण जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

भारत रत्न के बारे में

भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल आदि शामिल हैं।

भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी।पहला भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ■

3. 'समग्र शिक्षा–जल सुरक्षा' अभियान

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में समग्र शिक्षा-जल सुरक्षा पहल लांच की, इसका उद्देश्य देश भर के स्कूली छात्रों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। इसका उद्देश्य जल शक्ति अभियान के तहत "जल संचय" अभियान को बढ़ावा देना है।

समग्र शिक्षा जल सुरक्षा पहल

यह एक समयबद्ध अभियान है, इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों के द्वारा जल संरक्षण से सम्बंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत छात्रों को जल संचय के महत्व के बारे में अवगत करया जायेगा।

इसकी क्रियान्वयन एजेंसी स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) है।

पाँच मुख्य उद्देश्य

- जल संरक्षण के बारे में स्कूली छात्रों को जागरूक करना।
- छात्रों को जल की कमी की समस्या के बारे में अवगत करवाना।
- छात्रों को जल के प्राकृतिक स्त्रोतों की सुरक्षा करने के लिए प्रेरित करना।
- प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन कम से कम एक लीटर पानी बचाने के लिए प्रेरित करना।
- छात्रों को घर तथा स्कूल में पानी की कम से कम बर्बादी सुनिश्चित करना।

लक्ष्य

- एक छात्र – प्रतिदिन एक लीटर जल बचाना
- एक छात्र – एक वर्ष में 365 लीटर जल बचाना
- एक छात्र – 10 वर्ष में 3650 लीटर जल बचाना ■

4. इसरो द्वारा बंगलुरु में एसएसएएम (SSAM) केंद्र की स्थापना

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो) ने हाल ही में कर्नाटक के बंगलुरु में एसएसएएम (Space Situational Awareness Control Centre) की आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य भारतीय उपग्रहों को अन्तरिक्ष में फैले हुए कचरे से बचाना है।

एसएसएएम

यह निष्क्रिय उपग्रहों से भारतीय उपग्रहों की रक्षा में काफी कारगर सिद्ध होगा, इससे विपरीत मौसम के बारे में जानकारी भी मिलेगी। यह केंद्र निष्क्रिय उपग्रहों के बारे में डाटा एकत्रित करेगा। इससे अन्तरिक्ष में फैले हुए कचरे को हटाने तथा अन्तरिक्ष के सतत उपयोग में भी सहायता मिलेगी।

वर्तमान में इसरो के 50 अधिक उपग्रह कार्यशील हैं। यह उपग्रह संचार, नेविगेशन तथा निगरानी के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं। इससे पहले अन्तरिक्ष में फैले हुए कचरे से सम्बंधित जानकारी और मॉनिटरिंग के लिए इसरो नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेन्स कमांड (NORAD) पर निर्भर था।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

इसकी स्थापना 1969 में की गई। 1972 में भारत सरकार द्वारा 'अंतरिक्ष आयोग' और 'अंतरिक्ष विभाग' के गठन से अंतरिक्ष शोध गतिविधियों को अतिरिक्त गति प्राप्त हुई। 'इसरो' को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। 70 का दशक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में प्रयोगात्मक युग था जिस दौरान 'भास्कतर', 'रोहिणी' 'आर्यभट्ट', तथा 'एप्पल' जैसे प्रयोगात्मक उपग्रह कार्यक्रम चलाए गए।

80 का दशक संचालनात्मक युग बना जबकि 'इन्सेट' तथा 'आईआरएस' जैसे उपग्रह कार्यक्रम शुरू हुए। आज इन्सेट तथा आईआरएस इसरो के प्रमुख कार्यक्रम हैं। अंतरिक्ष यान के स्वदेश में ही प्रक्षेपण के लिए भारत का मजबूत प्रक्षेपण यान कार्यक्रम है। इसरो की व्यावसायिक शाखा एंट्रिक्स, विश्वभर में भारतीय अंतरिक्ष सेवाओं का विपणन करती है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की खास विशेषता अंतरिक्ष में जाने वाले अन्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विकासशील देशों के साथ प्रभावी सहयोग है। ■

5. राजस्थान ने रेस (RACE) नामक नया उच्चतर शिक्षा मॉडल लॉन्च किया

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सरकारी कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने एवं गुणवत्ता बनाये रखने के लिए उत्कृष्टता के साथ कॉलेजों के लिए संसाधन सहायता (RACE) नामक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। राज्य सरकार ने जिला स्तर पर सरकारी कॉलेजों के बीच संसाधनों की उपलब्ध,ता को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से राजस्थान ने यह उच्च शिक्षा मॉडल शुरू किया है।

योजना के लाभ

- यह मॉडल सुविधाओं के वितरण के लिये एक पूल का निर्माण करेगा जिससे बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले कॉलेज लाभान्वित होंगे। नए मॉडल को अपनाने से सभी कॉलेजों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के समान अवसर प्राप्त होंगे।
- यह मॉडल छोटे शहरों में स्थित उन कॉलेजों की मदद करेगा जो प्राध्यापकों और बुनियादी ढाँचे की कमी का सामना कर रहे हैं।
- नया मॉडल कॉलेजों की निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावी रूप से विकेंद्रीकृत करेगा और उन्हें जिले के भीतर भौतिक एवं मानव संसाधनों को साझा करने के लिये प्रोत्साहित करेगा।
- रेस (RACE) छोटे कॉलेजों को स्वायत्तता देगा और स्थानीय स्तर पर उनकी समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करेगा।

क्या होगी प्रक्रिया?

जरूरतमंद कॉलेज अपने जिले के नोडल कॉलेज को अपनी आवश्यकता के बारे में सूचित करेंगे, इसके बाद नोडल कॉलेज आवश्यकतानुसार शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजेगा साथ ही आवेदन करने वाले कॉलेज को प्रोजेक्टर, डिजिटल लाइब्रेरी, उपकरण और तकनीशियन जैसी सुविधाएँ प्रदान करेगा। ■

6. मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की मुख्यमंत्री मदद योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में "मुख्यमंत्री मदद योजना" लॉन्च की। इस योजना के तहत जनजातीय परिवार में बच्चे के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्य बिंदु

जनजातीय परिवार में लड़के अथवा लड़की के जन्म पर परिवार को 50 किलोग्राम गेहूँ तथा चावल दिए जायेंगे। परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु पर सरकार द्वारा 100 किलोग्राम गेहूँ अथवा चावल तथा पकाने के लिए बर्तन प्रदान किये जायेंगे। इसके अलावा राज्य में 40 नए एकलव्य स्कूल भी स्थापित किये जायेंगे, इससे जनजातीय लोगों के बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिल सकेगी। जनजातीय इतिहास के संरक्षण के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से जबलपुर में एक संग्रहालय भी बनाया जायेगा।

ऋण माफी

मध्य प्रदेश सरकार ने विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर राज्य में जनजातीय लोगों द्वारा लिए गये ऋण को माफ करने की घोषणा की है। सरकार जनजातीय लोगों को डेबिट कार्ड्स भी प्रदान करेगी, जिसके द्वारा वे एटीएम से 10,000 रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं। इस निर्णय से 1.5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। ■

7. नेपाल में खोजी गई नई झील

हाल ही में नेपाल के मनंग जिले में खोजी गई काजिन सारा झील (Kajin Sara) दुनिया की सबसे ऊँची झील होने का रिकॉर्ड बना सकती है। यह 5200 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। हिमालय क्षेत्र में मनंग जिले में ही 4919 मीटर की ऊँचाई पर स्थित तिलिचो झील अभी विश्व की सबसे ऊँची झील है।

द हिमालयन टाइम्स के मुताबिक, मनांग जिले में काजिन सारा झील को कुछ महीने पहले ही पर्वतारोहियों के एक दल ने खोजा था।

चामे ग्रामीण नगर पालिका अध्यक्ष लोकेंद्र घाले के अनुसार यह झील 5200 मीटर की ऊँचाई पर है। यह करीब 1500 मीटर लंबी और 600 मीटर चौड़ी है।

5000 मीटर से अधिक की ऊँचाई पर स्थित होने की आधिकारिक पुष्टि होने पर यह विश्व की सबसे ऊँची झील बन जाएगी।

झील जिसे नेपाल में सिंगार कहा जाता है, का निर्माण हिमालय की पिघली बर्फ से हुआ है। यहाँ 18 घंटे की चढ़ाई के बाद पहुँचा जा सकता है।

वर्तमान में दुनिया की सबसे लंबी झील 'टिलिचो झील' है।यह झील भी नेपाल में ही स्थित है और वर्तमान में यह दुनिया की सबसे लंबी झील है।यह झील लगभग 4,919 मीटर (16,138 फुट) की ऊँचाई पर स्थित है।नेपाल के जल एवं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, इस झील में कोई भी जलीय जीव नहीं पाया गया है। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. धार्मिक सद्‌भाव और अनेकता में एकता के मूल्यों का संरक्षण

- उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि धार्मिक सद्‌भाव और अनेकता में एकता हमारी सभ्यता के पोषित मूल्य हैं और प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।
- भारत की शिक्षा प्रणाली को विश्वस्तरीय बनाने के लिए उसके कायाकल्प और पुनर्जागरण की आवश्यकता है। साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं को अकादमिक उत्कृष्टता, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सतर्कता, नैतिक शुचिता और सामाजिक विवेक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- विश्वविद्यालयों को ज्ञान नेटवर्क, अनुसंधान और नवाचार केंद्रों, कौशल विकास कार्यक्रमों का सृजन तथा संकाय (विशिष्ट विभाग या शाखा) विकास की सहायता के माध्यम से शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और पहुँच की चुनौतियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
- प्रौद्योगिकी दिन-प्रतिदिन हमारे जीवन में गहरी पैठ बनाती जा रही है, इसलिए देश को अधिक से अधिक ऊँचाइयों तक पहुंचाने के लिए आज जरूरत इस बात की है कि अकादमिक पाठ्यक्रम को बदलते प्रौद्योगिकीय विकास के अनुरूप तथा औसत से बेहतर बनाया जाए।
- प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में विश्वस्तरीय प्रकाशनों के लिए भारत को अनुसंधान सुविधाओं को उन्नत बनाने की आवश्यकता है। अनुसंधान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ भारत पिछड़ रहा है इसलिए देश में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है।
- हमारी समृद्ध संस्कृति, विशेषकर हमारी भाषाओं के संरक्षण के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए, उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि स्कूलों में हाई स्कूल के स्तर तक शिक्षण का प्राथमिक माध्यम मातृभाषा को बनाया जाना चाहिए।
- उपराष्ट्रपति ने अकादमिक और उद्योग जगत के बीच सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया। उन्होंने उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे अकादमिक जगत के साथ सहयोग और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर कोष निर्धारित करें।
- भारत में दुनिया का मानव संसाधन केंद्र बनने की क्षमता है। जनसांख्यिकीय लाभांश को साकार करने और भारत को 21 वीं सदी का नवाचार केंद्र बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, ज्ञान और रचनात्मक चिंतन आवश्यक है।
- साथ ही उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को वैश्विक मानकों के अनुरूप उत्कृष्टता के केंद्रों में परिवर्तित करना चाहिए और विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थागत संस्थानों को ऊंचाइयाँ छूनी चाहिए तथा उनकी गिनती शीर्ष रैंकिंग वाले वैश्विक शैक्षणिक संस्थानों में होनी चाहिए।

2. कर्टन रेजर समारोह

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए तीसरी बैठक और एक्सपो (अक्षय ऊर्जा-निवेश 2019) को ध्यान में रखते हुए कर्टन रेजर समारोह आयोजित करने की घोषणा की, जो भारत में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2019 तक आयोजित होगी।
- यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की दूसरी महासभा के साथ-साथ सम्पन्न होगी। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना तथा भारत की वर्तमान अक्षय ऊर्जा गाथा को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना इस आयोजन का उद्देश्य है।
- इससे वैश्विक ऊर्जा के वातावरण को बल मिलेगा और ऐसे एक अरब से भी अधिक लोगों तक बिजली पहुंच सकेगी, जो विश्व में फिलहाल बिजली की सुविधा से वंचित हैं।
- भारत में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावना है और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए यह एक आकर्षक

स्थान है। भारत अक्षय ऊर्जा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति के उदय का गवाह है और इसे आगे ले जाने के लिए अक्षय ऊर्जा-निवेश एक सम्पूर्ण मंच उपलब्ध कराता है।

- 2015 में भारत ने यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि 2022 तक भारत 175 जीडब्ल्यू (गीगा वाट) अक्षय ऊर्जा की क्षमता हासिल कर लेगा। वर्तमान में भारत ने 80 जीडब्ल्यू क्षमता स्थापित कर ली है और लक्ष्य से आगे जाना निश्चित है।
- भारत उन देशों में शामिल है जहां अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 30 जून, 2019 को भारत के पास 80.47 जीडब्ल्यू की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता है, जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी क्रमशः 29.55 जीडब्ल्यू और 36.37 जीडब्ल्यू है।
- बायोमास और छोटी पनबिजली इकाइयों की हिस्सेदारी क्रमशः 9.81 जीडब्ल्यू और 4.6 जीडब्ल्यू है। इस प्रकार भारत में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के अत्यधिक अवसर हैं। भारत सरकार अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और वितरण की परियोजनाओं के लिए शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देती है।

3 फेम के दूसरे चरण के तहत 5595 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी

- भारत के भारी उद्योग विभाग ने 'फेम इंडिया स्कीम' के दूसरे चरण के तहत शहर के अंदर परिचालन के साथ-साथ एक शहर से दूसरे शहर के बीच परिचालन के उद्देश्य से 64 शहरों, राज्य सरकारों के निकायों और राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) के लिए 5595 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है।
- इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में स्वच्छ ईंधन वाली गतिशीलता को और ज्यादा बढ़ावा देना है।
- भारी उद्योग विभाग ने 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों, स्मार्ट सिटी, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियों और विशेष श्रेणी वाले राज्यों के शहरों से अभिरुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किए थे, ताकि वे परिचालन लागत के आधार पर इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती अथवा इस्तेमाल के लिए अपने-अपने प्रस्ताव पेश कर सकें।
- परिचालन लागत के आधार पर स्वीकृत इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती अथवा इस्तेमाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक चयनित शहर/राज्य परिवहन उपक्रम के लिए खरीद प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से शुरू करने की जरूरत है। ये बसें फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत वित्त पोषण के योग्य मानी जाएंगी, जो आवश्यक स्थानीयकरण स्तर और फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत अधिसूचित तकनीकी अर्हता पर खरी उतरेंगी।
- ये बसें अपनी अनुबंध अवधि के दौरान लगभग 4 अरब किलोमीटर की दूरी तय करेंगी और इन बसों के द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान कुल मिलाकर तकरीबन 1.2 अरब लीटर ईंधन की बचत होने की आशा है। इसकी बदौलत 2.6 मिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइड (सीओ2) के उत्सर्जन से बचा जा सकेगा।

4. विश्व जैव ईंधन दिवस

- विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर-जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालना है।
- इस वर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम 'प्रयुक्त कुकिंग ऑयल (यूसीओ) से जैव डीजल का उत्पादन करना' है।
- जैव ईंधनों के विभिन्न फायदों में आयात निर्भरता में कमी, स्वच्छ पर्यावरण, किसानों को अतिरिक्त आमदनी और रोजगार सृजन शामिल हैं। जैव ईंधन कार्यक्रम इसके अलावा भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया', स्वच्छ भारत और किसानों की आमदनी बढ़ाने से जुड़ी पहलों के पूरक के तौर पर भी है।
- वर्ष 2014 से लेकर अब तक जैव ईंधनों का उत्पादन बढ़ाने एवं इन्हें मिश्रित करने के लिए अनेक पहल की गई हैं।
- भारत में समान कुकिंग ऑयल का उपयोग विभिन्न चीजों को तलने-भुनने के लिए किया जाता है। हालांकि, तलने-भुनने के दौरान अनेक बुनियादी यौगिकों के बनने के कारण संबंधित लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर होता है।
- ये बुनियादी यौगिक विभिन्न तरह की बीमारियों जैसे कि हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, अल्जाइमर रोग तथा यकृत रोग से जुड़े होते हैं।
- 'प्रयुक्त कुकिंग ऑयल (यूसीओ)' या तो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है अथवा पर्यावरण अनुकूल ढंग से इसका निस्तारण नहीं हो पाता है, जिससे नालियां और सीवरेज प्रणालियाँ जाम हो जाती हैं।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में जैव ईंधनों पर जारी राष्ट्रीय नीति में प्रयुक्त अथवा इस्तेमाल में लाए जा चुके कुकिंग ऑयल से जैव ईंधन (बायोफ्यूल) का उत्पान करने की परिकल्पना की गई है।
- यूसीओ का स्वरूप बदल जाने अथवा इससे कोई अन्य उत्पाद तैयार करने से अनेक तरह के स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करने

में मदद मिलेगी क्योंकि यूसीओ की किसी भी तरह की रिसाइक्लिंग नहीं होगी।

- मौजूदा समय में भारत में हर महीने लगभग 850 करोड़ लीटर हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की खपत होती है।
- 'जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018' में वर्ष 2030 तक एचएसडी में 5 प्रतिशत जैव डीजल (बायोडीजल) को मिश्रित करने के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है।
- मिश्रित करने के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर वर्ष 500 करोड़ लीटर जैव डीजल की जरूरत है। भारत में लगभग 22.7 एमएमटीपीए (2700 करोड़ लीटर) कुकिंग ऑयल का उपयोग होता है, जिनमें से 1.2 एमएमटीपीए (140 करोड़ लीटर) यूसीओ को बल्क उपभोक्ताओं जैसे कि होटलों, रेस्तरां, कैंटीन इत्यादि से प्राप्त किया जा सकता है।
- इससे हर वर्ष तकरीबन 110 करोड़ लीटर जैव डीजल की प्राप्ति होगी। मौजूदा समय में प्रयुक्त कुकिंग ऑयल के लिए कोई संग्रह श्रृंखला स्थापित नहीं की गई है। अतः प्रयुक्त कुकिंग ऑयल से जैव डीजल का उत्पादन करने के व्यापक अवसर मौजूद हैं।

5. विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार

- भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ विक्रम साराभाई के शताब्दी वर्ष समारोह के अंग के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने पत्रकारिता में दो श्रेणियों के पुरस्कारों की स्थापना की है।
- इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान, अनुप्रयोगों और अनुसंधान के क्षेत्र में सक्रिय योगदान देने वाले पत्रकारों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा की है।
- इन पुरस्कारों के लिए नामांकन पत्रकारिता का अच्छा अनुभव रखने वाले समस्त भारतीयों के लिए खुला है। इसरो का कहना है कि इन पुरस्कारों के लिए 2019 से 2020 तक प्रकाशित लेखों पर विचार किया जाएगा।
- पुरस्कारों की दो श्रेणियां हैं, जिनमें पहली श्रेणी के अंतर्गत दो पत्रकारों या प्रिंट मीडिया के स्वतंत्र पत्रकारों को 5,00,000 रुपये नकद, एक पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।
- नामांकित उम्मीदवारों का आकलन वर्ष 2019 से 2020 के दौरान भारत में हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित लोकप्रिय पाक्षिक पत्रिकाओं, विज्ञान पत्रिकाओं या पत्रिकाओं में छपे लेखों या सफलता की कहानियों के आधार पर किया जाएगा।
- पुरस्कार की दूसरी श्रेणी के तहत पत्रकारों या प्रिंट मीडिया के स्वतंत्र पत्रकारों के लिए 3,00,000, 2,00,000 और 1,00,000 रुपये के 3 नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे।
- लेख या सफलता की कहानियाँ भारत में एक वर्ष के दौरान लोकप्रिय समाचार पत्रों या समाचार पत्रिकाओं में हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होनी चाहिए, जैसा कि प्रस्ताव में सूचित किया गया है। चुने गए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा 1 अगस्त, 2020 को की जाएगी।

6. एनएचआरसी की राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक आयोजित

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की राष्ट्रीय स्तर की बैठक में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कानून और उसको लागू करने के बीच की उत्पन्न खाई पर चर्चा की गई। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एच.एल. दत्तू ने बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को सुधारने के प्रयास किए गए हैं लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में आवश्यक सुविधा और उपलब्धता के बीच खाई बनी हुई है।
- मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र की निगरानी नीति के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल नियम 2017 के लागू होने के बाद की जमीनी वास्तविकताओं का मूल्यांकन करना आवश्यक है।
- न्यायमूर्ति ने कहा कि देश में 13500 मनोरोग चिकित्सकों की आवश्यकता है लेकिन 3827 चिकित्सक ही उपलब्ध हैं। 20250 क्लीनिकल मनोरोग चिकित्सकों की आवश्यकता है जबकि केवल 898 उपलब्ध हैं। इसी तरह पैरामेडिकल स्टाफ की भी भारी कमी है।
- मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने बंदियों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जिक्र किया और कहा कि ऐसे बंदियों के अधिकारों की रक्षा करना मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के खंड 103 के अंतर्गत राज्य का दायित्व है और उच्चतम न्यायालय ने भी हाल के अपने एक निर्णय में इस पर बल दिया है।
- देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुधारने के काम में केंद्र सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसके लिए राज्यों का सहयोग आवश्यक है। आयोग ने कहा कि धन की कोई कमी नहीं है लेकिन राज्यों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 को लागू करने के प्रस्ताव के साथ आगे आना होगा। इसके लिए राज्यों को खर्च के बारे में समय से रिपोर्ट देनी होगी।

- 19 राज्यों ने अब तक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम को लागू किया है। देश की 10.6 प्रतिशत युवा आबादी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। यह बहुत बड़ी संख्या है और इसके लिए सुरक्षा कवच, कानूनी रूपरेखा तथा चिकित्सा सुविधाओं वाली समग्र सोच की जरूरत है।
- यह सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य पर बल देने वाले विकास लक्ष्य-3 का हिस्सा है। कुछ राज्यों ने अच्छे व्यवहारों को अपनाया है और दूसरे राज्यों को इन व्यवहारों को अपनाना चाहिए।

7. बीबीबीपी योजना के अंतर्गत राज्यों और जिलों का सम्मान

- महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाले जिलों और राज्यों को सम्मानित और पुरस्कृत करते हुए 7 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया।
- अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों तथा जिलों को सम्मानित करने के कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमएमआईएस) डाटा के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार करना और जन-जागरूकता में उत्कृष्ट कार्य करना है।
- 22 जनवरी, 2015 को लॉन्च की गई बीबीबीपी योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। अभी इसे 640 जिलों (2011 की जनगणना के अनुसार) में लागू किया जा रहा है।
- सभी 640 जिलों में इसका प्रचार अभियान चलाया गया है। इन 640 जिलों में से 405 जिले बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किये गये हैं, जिसमें 100 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का अनुदान बीबीबीपी के लिए डीएम/डीसी को प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराया जाता है।
- 2014-15 तथा 2018-19 के लिए राज्यवार व जन्म के समय लिंग अनुपात पर आई ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि जन्म के समय लिंग अनुपात 918 से बढ़कर 931 हुआ है जो राष्ट्रीय स्तर पर सुधार का संकेत देता है।

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. बैंक खाता रखने वाली महिलाओं का राज्यवार प्रतिशत

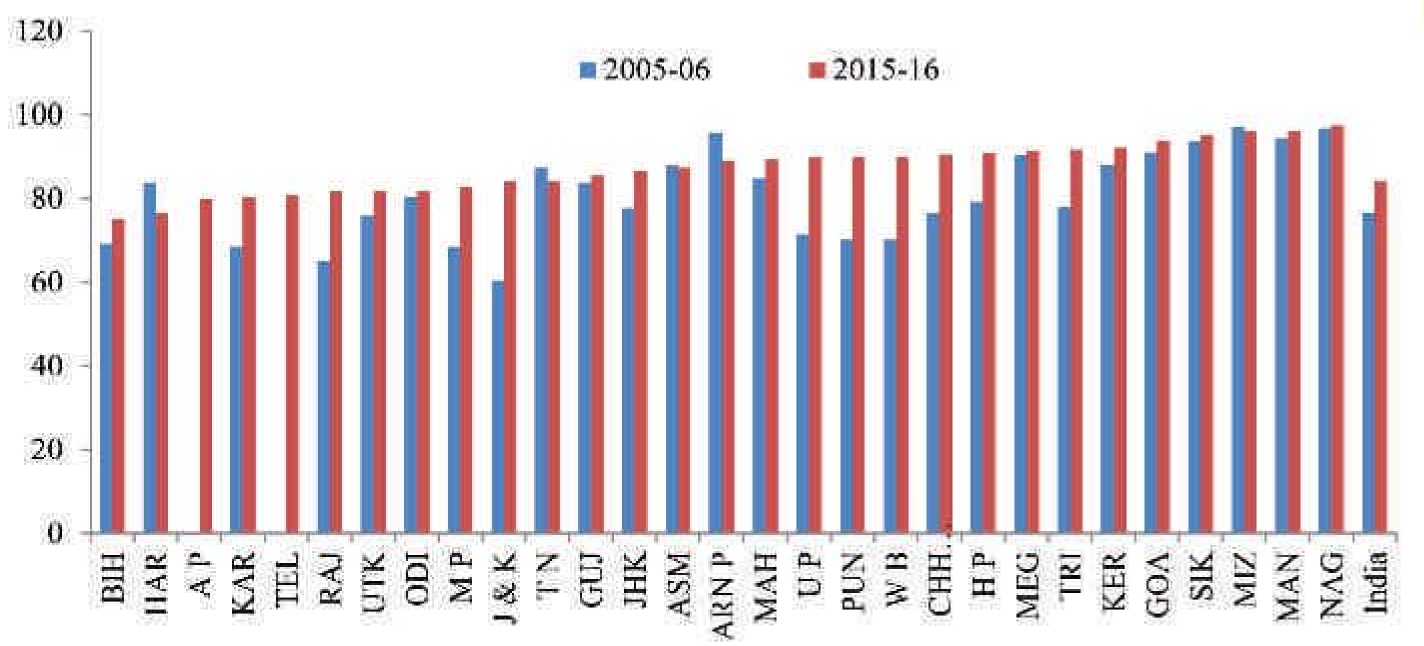

स्रोत: एनएफएचएस-4 (2015-16) (अद्यतन उपलब्ध)।

टिप्पणी: नए बने राज्य, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के वर्ष 2005-2006 के लिए डाटा उपलब्ध नहीं है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- हाल ही में जारी आर्थिक समीक्षा (2018-19) के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर बैंक या बचत खाते रखने वाली महिलाओं का अनुपात वर्ष 2005-06 में 15.5% से बढ़कर 2015-16 में 53% हो गया है।
- महिलाओं के वित्तीय समावेशन को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक आवश्यक उपकरण माना जाता है क्योंकि यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
- जहाँ तक भारत में वित्तीय समावेशन का संबंध है, इसमें पिछले एक दशक के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
- उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की उम्मीद है। अत: इसको प्राप्त करने हेतु सभी देशों के लिए लैंगिक समानता (एसडीजी-5) एक महत्वपूर्ण घटक है।
- यह ध्यान रखना होगा कि महिलाओं की भूमिका न केवल कृषि और औद्योगिक सेक्टर में बल्कि गवर्नेंस, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी महत्वपूर्ण है।
- वित्तीय समावेशन का ही असर है कि घरेलू निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी में तेजी से सुधार हुआ है। यह न सिर्फ शहरों में बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी देखा जा रहा है।
- विदित हो कि लैंगिक समानता के बिना पितृ सत्तात्मक और लैंगिक रुढ़िवादिता वाले समाज निरंतर प्रगति नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इत्यादि जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाया जा सके और महिलाओं का समाज में बदलाव का सक्रीय प्रतिनिधि बनाया जा सके

2. लैंगिक समानता सूचकांक एवं प्राइवेट विद्यालयों में नामांकन में लैंगिक अंतर

महत्वपूर्ण तथ्य

- हाल ही में जारी आर्थिक समीक्षा (2018-19) के अनुसार प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने पर जोर देने के कारण कुल नामांकन दर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।
- शैक्षणिक सांख्यिकी की एक झलक (ईएसएजी), 2018 के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने पर जोर देने से कुल नामांकन दर (जीईआर) में महिलाओं के संबंध में अच्छे परिणाम हासिल हुए हैं।

लैंगिक समानता सूचकांक (2015-16)

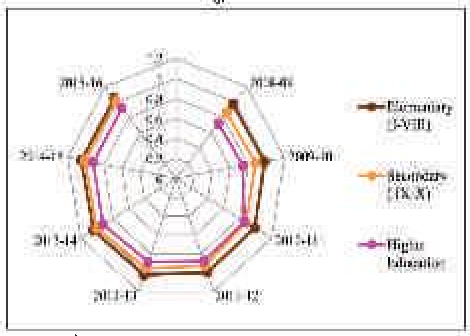

स्रोतः शैक्षणिक सांख्यिकी, 2018 की एक झलक।

प्राइवेट विद्यालयों में नामांकन के लिए कुल नामांकन दर में लैंगिक अंतर (प्रतिशत)

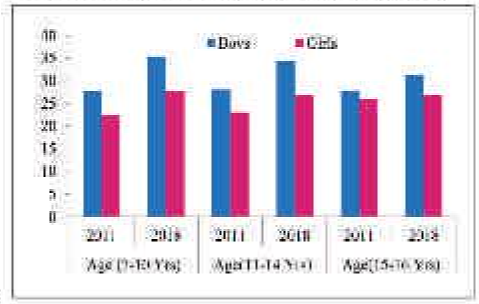

स्रोतः शैक्षणिक रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (एएसईआर) 2018

- 2015 से 2017 के दौरान माध्यमिक स्तर पर महिला भागीदारी के संबंध में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और बालिकाओं के लिए कुल नामांकन दर लड़कों की कुल नामांकन दर से बढ़ गई है (सरकारी विद्यालयों में)।
- कुल नामांकन दर पर आधारित महिला-पुरुष सूचकांक सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी का बढ़ता हुआ रूझान दर्शाता है।
- यद्यपि, सरकारी विद्यालयों में लड़कियों का नामांकन लड़कों के नामांकन से अधिक है, किन्तु प्राइवेट विद्यालयों के मामले में इसके उलट स्थिति है। यहाँ नामांकन में महिला-पुरुष (सभी आयु वर्ग) अंतर में लगातार वृद्धि हो रही है।
- उच्चतर शिक्षा स्तर पर लड़कियों की नामांकन दर लड़कों की अपेक्षा कम है। उच्चतर शिक्षा स्तर पर महिला पुरुष समानता का स्तर नीचे है (उच्चतर शिक्षा के स्तर वर्ष 2015-16 में 0.92 और अन्य सभी स्तरों के लिए यह 1 से ऊपर था)।

3. मातृत्व मृत्यु दर एवं ईएजी राज्यों के लिए मातृत्व मृत्यु दर में कमी

महत्वपूर्ण तथ्य

- नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ-मृत्यु दर में रिकॉर्ड 22 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-13 में मातृ-मृत्यु दर जहाँ 167 थी, वहीं वो वर्ष 2014-16 में घटकर 130 हो गयी।
- उल्लेखनीय है कि मातृ-मृत्यु दर को 1,00,000 जीवित जन्मों की मातृ-मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- यह गिरावट इंपावर्ड एक्शन ग्रुप (EAG) राज्यों (246 से घटकर 188) में सबसे महत्वपूर्ण है- इनमें बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और असम शामिल हैं।

मातृत्व मृत्यु दरः वैश्विक तुलना

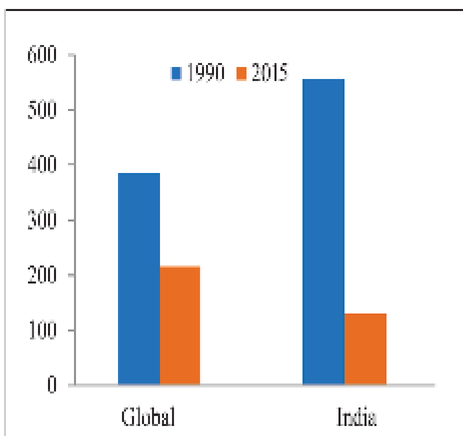

ईएजी राज्यों के लिए मातृत्व मृत्यु दर में कमी वर्ष 2011 से 2013 तक (बिन्दुओं में)

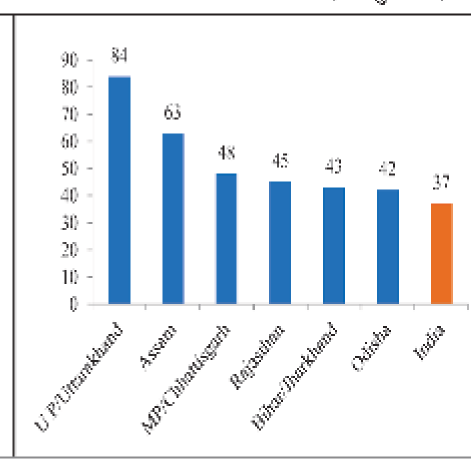

स्रोतः भारत (2018) और ईएजी राज्यों के लिए एमएमईआईजी रिपोर्ट 2015 (अद्यतन उपलब्ध)।

- उत्तर प्रदेश 30 प्रतिशत की कमी के साथ राज्यों की रैंकिंग में सबसे ऊपर है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिणी राज्यों में यह 93 से घटाकर 77 और अन्य राज्यों में 115 से घटकर 93 रह गई है।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दो उप मिशन राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हैं।
- इस मिशन के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है, ताकि जिला अस्पताल तक के स्तर पर सुलभ, सस्ती, जवाबदेही और प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध हो सके।
- एनआरएचएम के अधीन मुख्य कार्यक्रम घटक प्रजनन, मातृ, नवजात और किशोर बच्चों के स्वास्थ्य तथा संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियाँ हैं।

4. सरकारी स्वास्थ्य व्यय एवं चालू स्वास्थ्य व्यय और आउट ऑफ पॉकेट व्यय

सरकारी स्वास्थ्य व्यय और आउट ऑफ पॉकेट व्यय (प्रतिशत)

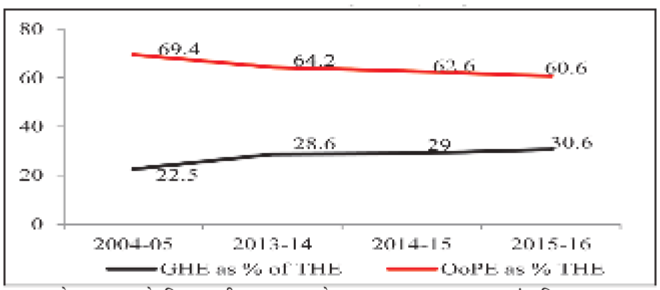

स्रोतः भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा प्राक्कलन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (अद्यतन उपलब्ध)

चालू स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में आउट ऑफ पॉकेट व्यय (ओओपीई)

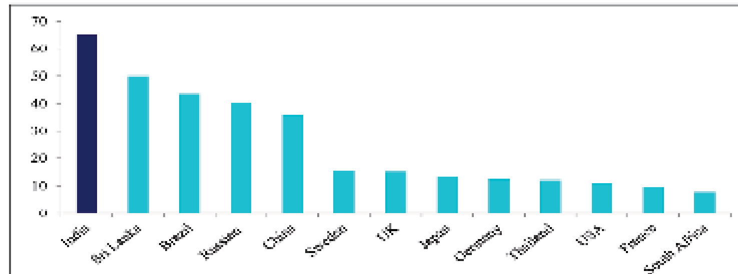

स्रोतः ग्लोबल हैल्थकेयर एक्सपेंडिचर डाटाबेस, विश्व स्वास्थ्य संगठन (31.05.2019 के प्राप्त सारांश)

महत्वपूर्ण तथ्य

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा प्राक्कलनों के अनुसार वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान आउट ऑफ पॉकेट व्यय में कमी आई है तथा कुल स्वास्थ्य व्यय में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि देखी गई है। कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय वर्ष 2004-05 में 22.5% की तुलना में वर्ष 2015-16 में 30.6% हो गया है।
- आउट ऑफ पॉकेट व्यय का एक मुख्य घटक दवाओं पर होने वाले व्यय के रूप में है। सरकार ने सरकारी सुविधाओं में मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम को संचालित किया है, बावजूद इसके आज भी अधिकांश मरीजों (60% से अधिक) को दवाओं के बदले भुगतान करने के लिए विवश किया जाता है। उल्लेखनीय है कि व्यापक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में से 'आयुष्मान भारत योजना' एक महत्वपूर्ण कदम है।
- विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, एनसीडी आदि के अंतर्गत ऐसी अनेक परियोजनाएँ हैं, जिन्हें आयुष स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ संयुक्त रूप से स्थापित किया जा सकता है।

5. राज्य-वार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर

महत्वपूर्ण तथ्य

- हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उच्च प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों की कमी है, साथ ही जो हैं उनको सेवा में रखना और नियमित रूप से उनकी सेवा लेना एक बड़ी चुनौती है।
- ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बड़ी संख्या है जहाँ केवल एक डॉक्टर हैं अथवा डॉक्टर नहीं हैं।
- ऐसे राज्यों में 'शिशु मृत्यु दर' और 'मातृत्व मृत्यु दर' अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है।

राज्य-वार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहां डाक्टर है या नहीं हैं। (प्रतिशत में), ग्रामीण शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर

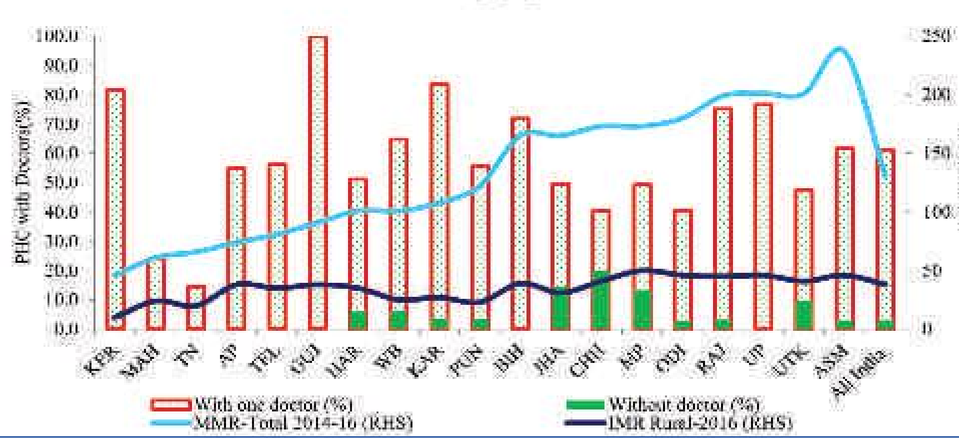

स्रोतः ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2017, और जनगणना एसआरअस बुलेटिन, विषय मातृ मृत्यु दर 2014-16 (अद्यतन उपलब्ध)

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के विस्तार के अधीन, 'कायाकल्प' नामक 'स्वच्छ अस्पताल योजना' की शुरूआत वर्ष 2015 में की गई थी।
- कायाकल्प के अधीन आने वाले स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की संख्या वर्ष 2015-16 में 712 थी जो कि वर्ष 2017-18 तक बढ़कर 23975 हो चुकी है।
- उल्लेखनीय है कि भारत की मेडिकल काउंसिल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017 तक एलोपैथी में पंजीकृत कुल डॉक्टरों की संख्या 10,41,395 है, जिनमें लगभग 80% डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

6. राज्यवार ग्रामीण सड़कों की लंबाई (हजार किमी. में)

महत्वपूर्ण तथ्य

- लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का विकास अति आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरूआत की गई।
- वर्ष 2000 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य राज्यों में पक्की सड़कों द्वारा गाँवों को जोड़ने के लिए ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए धन मुहैया कराना है।
- इसके तहत वर्ष 2014 के बाद से लगभग 1,90,000 किमी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है।

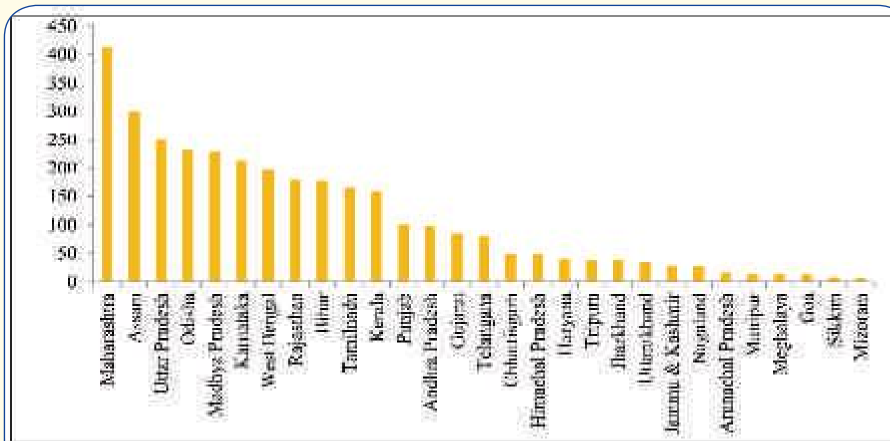

स्रोतः भारत की मूल सड़क सांख्यिकी, 2016-17 (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय)।

टिप्पणीः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योगना, ग्रामीण की ग्रामीण सड़कों में राज्य के लोक निर्माण विभाग/आरडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित सड़कें और पंचायती राज द्वारा निर्मित सड़कें शामिल हैं।

- सर्वाधिक ग्रामीण सड़कों वाले राज्य महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश एवं ओडिशा हैं। जबकि सिक्किम, मिजोरम, गोवा एवं मेघालय में ग्रामीण सड़कों की लंबाई बहुत कम है।
- पीएमजीएसवाई के तहत न सिर्फ सड़कों का निर्माण किया जा रहा है बल्कि हरित प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण सड़क के 'कार्बन फुटप्रिंट' में कमी लाने, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने तथा किफायती मूल्य को बनाये रखने में कामयाबी मिली है।
- अभी तक 28,619 किलोमीटर सड़क का निर्माण ग्रीन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए किया जा चुका है।

7. मनरेगा को बजटीय सहायता (हजार करोड़ में)

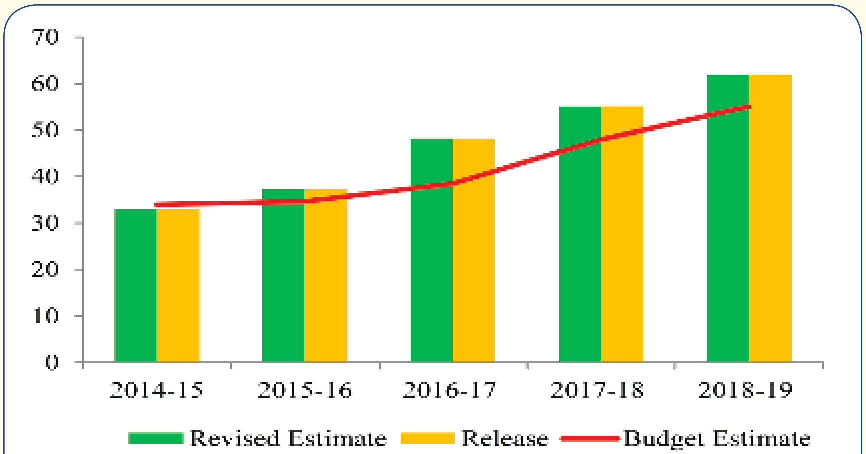

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय।

महत्वपूर्ण तथ्य

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 2 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था।
- इसका उद्देश्य, वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवारों जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हो, को कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी प्रदान करना है।
- उल्लेखनीय है कि निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व, सामाजिक समावेश, लैंगिक सामनता, सामाजिक सुरक्षा तथा उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण मनरेगा के आधारभूत स्तंभ हैं।
- मनरेगा रोजगार के द्वारा 267.97 करोड़ व्यक्तिदिवस का सृजन किया गया है।
- कुल व्यक्तिदिवसों में से महिलाओं का प्रतिशत 54.55, अनुसूचित जाति का प्रतिशत 20.67 तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 17.4 है।
- 2018-19 के दौरान वैयक्तिक लाभार्थी योजनाओं से संबंधित किए गए कार्य कुल कार्यों का 66 प्रतिशत रहा तथा कृषि और संबद्ध कार्यों पर कुल व्यय का 63 प्रतिशत व्यय किया गया है।
- सरकार ने मनरेगा को पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता दी है जो पिछले चार वर्षों में राज्यों को किए गए बजट आवंटन और धन जारी करने की वृद्धिशील प्रवृत्ति से परिलक्षित होता है।
- 2018-19 के दौरान मनरेगा के अंतर्गत लगभग 85,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है।

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

LEGACY OF SUCCESS CONTINUES...
with 122+ selections in CSE 2018

AIR 1
KANISHAK KATARIA

AIR 3
JUNAID AHMED

ADMISSIONS OPEN FOR
NEW SESSION 2019-20

MUKHERJEE NAGAR (DELHI)
GENERAL STUDIES
Pre-cum-Mains
16 AUG | 8:30 AM

OLD RAJENDRA NAGAR (DELHI)
GENERAL STUDIES
Pre-cum-Mains
23 AUG | 10:30 AM

LAXMI NAGAR (DELHI)
GENERAL STUDIES
IAS REGULAR BATCH
13 AUG | 10:30 AM
IAS WEEKEND BATCH
17 AUG | 11 AM
PCS BATCH
13 AUG | 7:30 AM
UP PCS TARGET FOR PRE
22 AUG | 6 PM

PRAYAGRAJ (ALLAHABAD)
GENERAL STUDIES
Pre-cum-Mains
19 AUG | 8 AM

LUCKNOW (ALIGANJ)
GENERAL STUDIES
Pre-cum-Mains
19 AUG | 6 PM

LUCKNOW (GOMTI NAGAR)
GENERAL STUDIES
Pre-cum-Mains
19 AUG | 6 PM
IAS WEEKEND BATCH
17 AUG | 5:30 PM

LIVE STREAMING
GENERAL STUDIES
IAS REGULAR BATCH
13 AUG | 10:30 AM
IAS WEEKEND BATCH
17 AUG | 11 AM
PCS BATCH
13 AUG | 7:30 AM

COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES
TARGET 2020
18th AUGUST 2019
TOTAL 37 TESTS

GREATER NOIDA
GENERAL STUDIES
Pre-cum-Mains
13 AUG | 3:30 PM

BHUBANESWAR
GENERAL STUDIES
Pre-cum-Mains
26 AUG
7:30 AM & 6 PM

OPTIONAL SUBJECTS
- Sociology
- History
- Geography
- Political Science

Face to Face Centres
DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068 , **LUCKNOW (ALIGANJ)** 0522-4025825 | 9506256789, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres
BIHAR : PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621| **GUJRAT** : AHMEDABAD - 9879113469| **HARYANA** : HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADYA PRADESH** : GWALIOR -9993135886, 9893481642 , JABALPUR - 8982082023, 8982082030, REWA – 9926207755, 7662408099| **MAHARASHTRA** : MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB** : PATIALA - 9041030070 , LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN** : JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND** : HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH** : ALIGARH – 9837877879, 9412175550 , AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962 , LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221 , VARANASI - 7408098888

FOR DETAILS VISIT US ON WWW.DHYEYAIAS.COM OR CALL ON 011 49274400
YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJRAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

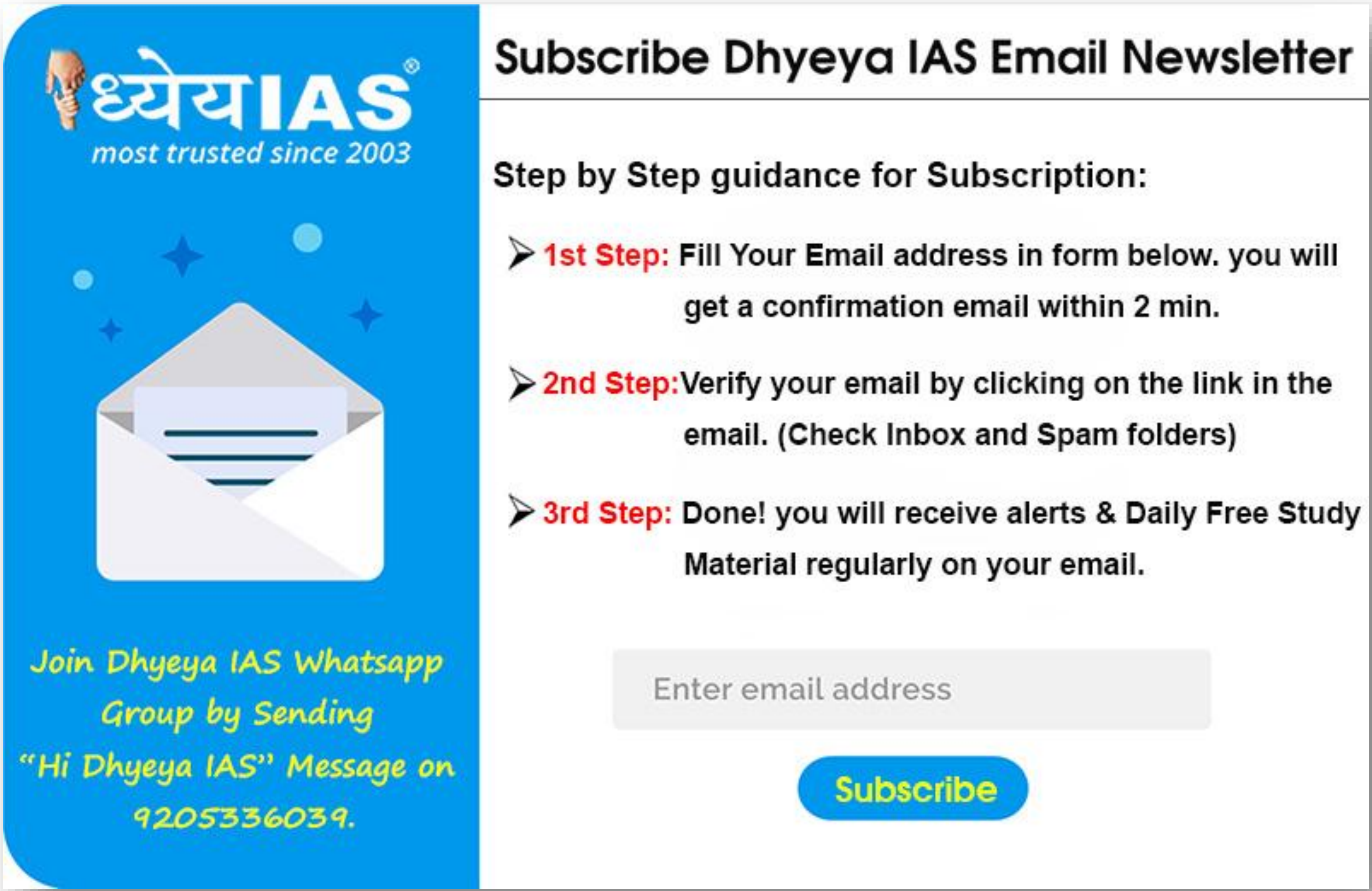

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए **9355174442** पर **"Hi Dhyeya IAS"** लिख कर मैसेज करें

नोट: अगर आपने हमारा Whatsapp नंबर अपने Contact List में Save नहीं किया तो आपको प्रीतिदिन के मैटेरियल की लिंक प्राप्त नहीं होंगी इसलिए नंबर को Save जरूर करें।

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400